निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1941 (श0)

(सं0 पटना 1068) पटना, मंगलवार, 17 सितम्बर 2019

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
17 सितम्बर 2019

सं० 4/वी0मु0—20—93/18—3174/एम0—खान एवं भूतत्व (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम 67) की धारा 15 सहपठित धारा 23ग तथा धारा 26 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः—

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019

अध्याय—1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ—**
   (1) यह नियमावली बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
2. **परिभाषाएँ—** इस नियमावली, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो —
   (i) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम 67) ;
   (ii) **''समाहर्त्ता''** से अभिप्रेत है किसी जिले का समाहर्त्ता—सह—जिला दण्डाधिकारी अथवा समाहर्त्ता—सह—जिला दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का अनुपालन करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ;
   (iii) **''सक्षम पदाधिकारी''** से अभिप्रेत है—
      (क) भारतीय वन अधिनियम 1927 (केन्द्रीय अधिनियम XVI 1927) के अधीन सुरक्षित और संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित भूमि में उत्खनन अनुज्ञापत्र की दशा में जहाँ वास्तविक खनन कार्य केवल सतह से अथवा पॉच फीट से अनधिक गहराई से कुछ हटाना मात्र हो, तथा केवल 10000 घन फीट की सीमा तक हो संबंधित सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र का प्रमंडलीय वन पदाधिकारी;

(ख) सभी भूमि तथा उप मिट्‌टी, जिसमें खान और खनिज का कोई अधिकार, चाहे खोज निकाला गया हो तथा चाहे उस पर कार्य किया जा रहा हो या नहीं, सम्मिलित है, के सभी अन्य मामलों में जिला का खनन पदाधिकारी,

(iv) **''सक्षम प्राधिकार''** से अभिप्रेत है इस नियमावली में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकार और इसमें पर्यावरणीय अनापत्ति देने के मामले में पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी शामिल है ;

(v) **''वाहन''** से अभिप्रेत है किसी मोड़ या सवारी की सुविधा जिसके द्वारा अयस्क/ खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता हो और इसमें यांत्रिक उपाय, व्यक्ति, जानवर, गाड़ी, नाव शामिल हैं ;

(vi) **''विभाग''** से अभिप्रेत है खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार;

(vii) **''प्रमंडलीय आयुक्त''** से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त प्रमंडल का आयुक्त ;

(viii) **''खान निदेशक''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त खान निदेशक;

(ix) **''निर्यात''** से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा–शुल्क सीमान्त से पार से अन्यथा बिहार राज्य के बाहर ले जाना ;

(x) **''प्रपत्र''** से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची I में दिए गए प्रपत्र ;

(xi) **''सरकार''** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;

(xii) **''आयात''** से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत के पार से अन्यथा बिहार राज्य में लाना ;

(xiii) **''स्थानीय प्राधिकार''** से अभिप्रेत है नगर पालिका समिति, जिला पर्षद अथवा किसी नगरपालिका या स्थानीय विधि के नियंत्रण या प्रबंधन से सरकार द्वारा विधिक रूप से हक दिया गया अथवा न्यस्त किया गया कोई अन्य प्राधिकार ;

(xiv) **''खान आयुक्त''** से अभिप्रेत है आयुक्त खान एवं भूतत्व, बिहार अथवा इस नियमावली के अधीन खान आयुक्त के कर्त्तव्यों का पालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ;

(xv) **''लघु खनिज''** से अभिप्रेत है खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड (ई0) में यथा परिभाषित लघु खनिज और इसमें ऐसे खनिज शामिल है जो खान मंत्रालय द्वारा इनकी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 423(ई0), दिनांक 10.02.2015 में अधिसूचित किए गए हैं ;

(xvi) **''खनिज समानुदान''** से अभिप्रेत है लधु खनिजों के संबंध में खनन पट्टा या बन्दोबस्ती और इसमें खनन अनुज्ञा पत्र और इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार लघु खनिजों के खदान क्रिया का अनुज्ञा पत्र देना शामिल है ;

(xvii) **''खनिज समानुदान धारक/बंदोबस्तधारी/पट्टाधारी''** से अभिप्रेत है कि बंदोबस्त/पट्टाधारित क्षेत्र से खनन किया पत्थर, बालू और अन्य लघु खनिजों को निकालने के लिए कोई वैध खनिज समानुदान धारित करता हो और उसका बहुवचन भी इसमें शामिल होगा;

(xviii) **''खनन योजना''** से अभिप्रेत है लघु खनिज का धारक विभाग/खनन समानुदान के निमित्त मान्यता प्राप्त अर्हताप्राप्त व्यक्ति द्वारा तैयार की गई योजना और इसमें आनुक्रमिक तथा खान बंदी योजना शामिल है ;

(xix) **''खनन अधिकारी''** से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन यथोल्लिखित अधिकारी ;

(xx) **''व्यक्ति''** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संगठन अथवा व्यक्ति निकाय; कोई संस्था अन्यथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का विभाग ;

(xxi) **''विहित''** से अभिप्रेत है इस नियमावली अथवा मार्गदर्शन द्वारा विहित ;

(xxii) **''लोक मांग''** से अभिप्रेत है बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (1914 का अधिनियम 4) के अधीन यथा परिभाषित लोक मांग ;

(xxiii) **''खनन क्रिया अनुज्ञा पत्र''**से अभिप्रेत है इस नियमावली के अध्याय vii के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से विनिर्दिष्ट मात्रा में किसी लघु खनिज को निकालने और हटाने के लिए दिया गया अनुज्ञा पत्र;

(xxiv) **''मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति''** से अभिप्रेत है विभाग द्वारा इस रूप में जो अधिसूचित/पैनलकृत किया गया हो;

(xxv) **''बालूघाट''** से अभिप्रेत है बालू वाला क्षेत्र जहाँ से बालू उत्खनन किया तथा वाहन के माध्यम से परिवहन किया जा सके;

(xxvi) **''बंदोबस्ती''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित प्रतियोगी बोली लगाने की प्रक्रिया द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट बालू तथा अन्य लघु खनिजों के खनन, खान से अयस्क निकालने, कार्य करने और ढो ले जाने के लिए सरकार की ओर से दिया गया खनन अधिकार ;

(xxvii) **''अनुसूची''** से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची;

(xxviii) **''परिवहन''** से अभिप्रेत है बिहार राज्य के भीतर एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाना;

(xxix) **''कार्य विभाग''** से अभिप्रेत है राज्य अथवा केन्द्र सरकार का वैसा विभाग जिसमें सरकारी कंपनी , निगम, उपक्रम, स्वायत्त निकाय शामिल हो तथा जो कार्य संवेदकों को अपनी ओर से किसी निर्माणा कार्य के लिए वचनबद्ध करता हो ;

(xxx) **''कार्य संवेदक''** से अभिप्रेत कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघटन या व्यष्टि निकाय जो कार्य विभाग से किसी करार के अधीन उक्त विभाग के लिए कार्य करता हों ;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।

अध्याय–II
स्थापना और नियंत्रण

3. **खान आयुक्त की नियुक्ति–** राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खान आयुक्त नियुक्त कर सकेगी जो राज्य स्तर पर इस नियमावली के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

4. **खान निदेशक की नियुक्ति–** राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खान निदेशक नियुक्त कर सकेगी जो जिला स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में इस नियमावली के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

5. **समाहर्त्ता की भूमिका–**

(1) जिले का समाहर्त्ता अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) समाहर्त्ता इस नियमावली के अधीन खनन अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम भी होगा।

(3) समाहर्त्ता जिलों के सभी खनन अधिकारियों पर सीधा नियंत्रण एवं अधीक्षण का प्रयोग करेगा।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खान विभाग के खनिज विकास पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी अथवा राजस्व विभाग के उप समाहर्त्ता से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को, वैसे पदनाम, शक्तियों तथा कर्त्तव्यों के साथ, जो सरकार उचित समझे, समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त कर सकेगी।

6. **पुलिस अधीक्षक की भूमिका–** पुलिस अधीक्षक निम्नलिखित करेगा :–

(क) अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में समाहर्त्ता को सहायता करना ;

(ख) समाहर्त्ता के सीधे नियंत्रण एवं अधीक्षण के अधीन कार्य करना;

(ग) अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन यथा निर्गत समाहर्त्ता, या खान आयुक्त अथवा खान निदेशक के विधि पूर्ण निदेशों को लागू तथा क्रियान्वयन करना ;

(घ) वैसा प्रतिवेदन उस रीति से समर्पित करना जैसी समाहर्त्ता अथवा खान आयुक्त या खान निदेशक की इच्छा हो।

7. **खान आयुक्त की शक्तियाँ एवं कृत्य–** खान आयुक्त

(क) राज्य में सभी खनन अधिकारियों पर सभी नियंत्रण तथा अधीक्षण का प्रयोग करेगा ;

(ख) ऐसे दस्तावेजों, लेखा अथवा अन्य साक्ष्य जिसे उचित समझा जाय, सूचना द्वारा, अपने समक्ष उपस्थापित करने हेतु किसी लघु खनिज समुदान धारक से अपेक्षा कर सकेगा।

(ग) अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी, अधिकारी अथवा उसके अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा संचालित किसी कार्यवाही के अभिलेख की मांग तथा परीक्षण, स्वप्रेरण्य से, कर सकेगा और यदि उसका विचार हो कि उसमें पारित कोई आदेश गलत अथवा राजस्व, खान नियमावली के हितों तथा पर्यावरणीय शर्त्तों के प्रतिकूल है तो वह लघु समानुदान धारक अथवा संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश

पारित कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझें ;

(घ) खनिज समानुदान धारक के क्रियाकलापों का अनुश्रवण करेगा तथा यदि उसका प्रथमदृष्टया समाधान हो जाता है कि कोई खनिज समुदान धारक लीज/बंदाबस्ती की सभी या किसी शर्त्त का उल्लंघन किया है अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा निर्गत विधिपूर्ण निदेश को पूरा नहीं कर रहा है तो वह समाहर्त्ता को इस लीज या बंदाबस्ती को रद्द/निलंबित करने हेतु कार्यवाही आरंभ करने हेतु निदेश देगाः

8. **खान निदेशक की शक्तियाँ एवं कृत्य–**

(1) वह खान निदेशालय का प्रधान होगा और विभाग के सभी खनन पदाधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करेगा।

(2) वह राज्य में सभी खनन प्रचालनों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह यह भी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि राज्य के हित सुरक्षित हैं और सभी खनिज समुदान धारक, निगम, अन्य अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार क्रियाशील हैं।

(3) वह स्वामिस्व तथा अन्य भुगतेय राजस्वों के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) उसके अधीन एक सुरक्षा निदेशालय हो सकेगा जो सिविल/पुलिस कर्मी अथवा सेवानिवृत सुरक्षा/पारा मिलिटरी/पुलिस कर्मी से प्रतिनियुक्त अथवा भर्त्ती द्वारा पर्याप्त कर्मी को नियोजित कर सकेगा।

(5) सुरक्षा निदेशालय निदेशक के नियंत्रण तथा अधीक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का कारित अपराधों के अनुसंधान सहित, निर्वहन करेगा जो निदेशक द्वारा उसे समनुदेशित किया जाय।

(6) सुरक्षा निदेशालय की संरचना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

9. **जिला स्तर पर खनन अधिकारी–** राज्य के सभी जिलों में एक खनन कार्यालय होगा जिसके प्रधान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक समुचित खनन अधिकारी करेगें।

10. **विशेष शक्तियों के साथ व्यक्ति–** राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के विचार से खनन अधिकारी से अन्यथा किसी सरकारी कृत्यकारी को इस नियमावली अधीन किसी खनन अधिकारी के सभी या किसी कृत्य के पालन हेतु शक्तियों से सशक्त कर सकेगी और वैसा व्यक्ति इन कृत्यों के प्रयोग में एक खनन अधिकारी समझा जाएगा।

अध्याय–III

खनन संक्रियाओं का दायित्व लेने संबंधित सामान्य प्रतिबंध

11. **बिना अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा के खनन प्रचालन का प्रतिषेध–**

(1) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में, खनन संक्रियाए इस नियमावली के अधीन अनुदत्त, यथा स्थिति, अनुज्ञप्ति या खनन पट्टें के अधीन तथा उसके निबंधनों और शत्तों के अनुसार करेगा, अथवा नहीं :

परन्तु इस उप नियम की कोई बात उन खनन संक्रियाओं पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका खनन किसी क्षेत्र में इस नियमावली के प्रारंभ के पूर्व अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के निबंधनों और शर्त्तों के अनुसार किया गया हो।

(2) कोई भी खनन पट्टा अथवा खनन अनुज्ञप्ति इस नियमावली के प्रावधानों के विरूद्ध निर्गत नही किया जा सकेगा।

12. **खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा देने पर प्रतिबंध–**

(1) कोई खनिज समुदान अनुज्ञप्ति/पट्टा निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन ही देय होगा :–

(क) सरकार के पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक न हो;

(ख) सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय सरकार, स्थानीय प्राधिकार के उपयोग अथवा किसी अन्य आमजन के लिए अथवा विशेष प्रयोजनों के लिए यथा आरक्षित सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि के संबंध में;

(ग) संबंधित प्रमंडलीय वन अधिकारी के परामर्श के बिना आरक्षित और सुरक्षित वन क्षेत्र के संबंध में;

(घ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय किसी ग्राम, पुल राष्ट्रीय पथ या जल स्त्रोत से 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी भूमि के संबंध में ;

(ङ) पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा अपने शब्दकोश के अर्थानुसार यथा पहचानकृत "वन" के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद के सिवाय;

(च) सुरक्षित क्षेत्र यथा राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, कम्यूनिटी रिजर्वस, पारिस्थितिक

संवेदनशील जोन, अधिसूचित आर्द्रभूमि तथा वन्य प्राणी कॉरिडोर के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र के संबंध में;

(छ) जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18) के प्रावधानों के अधीन यथा परिभाषित जैव–विविधता विरासत दृश्यों के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र के संबंध में ; और

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित वर्जित खनन जोन के संबंध में।

(2) कोई भी खनन पट्टा तथा खनन क्रिया अनुज्ञा पत्र किसी ऐसे लघु खनिज के लिए नहीं दिया जाएगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय।

परंतु ऐसी अधिसूचना संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए जारी की जा सकेगी।

13. **सतह के नीचे सीमा**– किसी खनिज समुदान द्वारा आच्छादित क्षेत्र की सीमा भूमि के केन्द्र की ओर सतह के नीचे उर्ध्वरूप से होगी।

14. **खनन पट्टा/बंदोबस्ती के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम क्षेत्र**–

(क) कोई व्यक्ति राज्य में 200 (दो सौ) हेक्टेयर से अधिक कुल क्षेत्र से आच्छादित करने वाला एक या अधिक खनिज समुदान किसी लघु खनिज के संबंध में अर्जित नहीं करेगा;

परंतु बालू बंदोबस्ती के मामले में यह अधिकतम सीमा बिहार बालू खनन नीति, 2019 के कंडिका–5(i) में उल्लेखित नदियों के मामले में ही लागू होगा।

(ख) खनिज समुदान देने के लिए न्यूनतम क्षेत्र 5 (पाँच) हेक्टेयर होगाः

15. **खनिज समानुदान का संहृत ब्लॉक में होना**– कोई भी खनिज समानुदान वैसे किसी क्षेत्र के संबंध में नहीं दिया जाएगा जो संहृत तथा जुड़ा न हो;

16. **खनिज समानुदान की अवधि**– लघु खनिजों के लिए खनिज समानुदान की अवधि 5 (पाँच) वर्षों की होगी ;

17. **खनन योजना**–प्रत्येक खनिज समानुदान धारक/सरकार/निगम यथा स्थिति को एक खनन योजना, खनन प्रचालन आरंभ होने के पूर्व विभाग/खनन अधिकारी के समक्ष समर्पित करना होगा। ऐसे खनन योजना किसी मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति के द्वारा तैयार की जायेगी।

(1) **खनन योजना (प्लान) की तैयारी के लिए विचारणीय आवश्यक कारक**–

खनन योजना (प्लान) तैयार करते समय आवश्यक निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए :–

(i) उत्पादन का प्राक्कलित स्तर;

(ii) यंत्रीकरण का प्राक्कलित स्तर;

(iii) प्रयुक्त होने वाली मशीनरी का प्रकार;

(iv) डिजल/ईंधन खपत की प्राक्कलित मात्रा;

(v) खनन कार्य के कारण उखाड़े जाने वाले पेड़ों की प्राक्कलित संख्या।

(vi) नदी तल, खनन तल का पूर्व के तल का मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा खनन योग्य खनिज का गणना हेतु खनन योजना में उल्लेख किया जाएगा।

(vii) भू–जल स्तर का अध्ययन एवं भू–जल स्तर के नीचे खनन कार्य न हो इसके लिए खनन स्थल पर भू–जल का स्तर और उसका समावेश खनन योजना में किया जाएगा।

(viii) नदी तल के खनिज के खनन के मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार निरंतर बालू खनन के लिए वार्षिक पूनः पूर्ति दर की गणना करना होगा। ।

(ix) खनन योजना में निर्धारित स्तर पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टे क्षेत्र में बालू की वार्षिक पुनःपूर्ति पर्याप्त होने से संबंधित अध्ययन।

(2) **खनन योजना (प्लान) के महत्वपूर्ण पहलू**–उक्त खनन योजना (प्लान) में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा–

(i) लघु खनिज रिजर्व का स्वरूप एवं विस्तार को प्रदर्शित किया जाने वाला नियत क्षेत्र का योजना (प्लान);

(ii) स्थल/स्थलों जहाँ उत्खनन कार्य प्रस्तावित है और इसका विस्तार;

(iii) प्रस्तावित उत्खनन–स्थलों का विस्तृत क्रास सेक्शन और विस्तृत प्लान;

(iv) नियत क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत लघु खनिज का भंडार है, का भूतात्विक विवरण।

(v) नियत क्षेत्र में हस्त–चालित खनन/यांत्रिक खनन का विस्तार।

(vi) खान समापन योजना (प्लान) प्रगतिशील एवं अंतिम खान समापन योजना (प्लान) के तहत् कार्रवाई।

(vii) वार्षिक कार्यक्रम और सम्पूर्ण पट्टा/बन्दोबस्ती अवधि के लिए वर्षानुवर्ष नियत क्षेत्र में उत्खनन के लिए योजना (प्लान),

(viii) वृक्ष/पौधों का संरक्षण एवं विकास योजना।

(ix) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार खनन योजना (प्लान) में उपबंधित किए जाने की अपेक्षा करे।

(3) **खनन योजना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी जो नीचे विनिर्दिष्ट अर्हता तथा अनुभव रखता हो–**

(i) खनन अभियंत्रण में डिग्री अथवा संसद या राज्य विधान मंडल किसी अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित अथवा सम्मिलित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 1956 का 3) की धारा 4 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा दी गई भू–विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उसके समतुल्य कोई अर्हता; और

(ii) खंड (i) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता प्राप्त करने के बाद खनन के क्षेत्र पर्यवेक्षकीय हैसियत से कार्य करने का पॉच वर्षों का व्यवसायिक अनुभवः

परन्तु वह व्यक्ति राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के साथ पैनलकृत हो।

(4) **खनन योजना का अनुमोदन और समर्पित किया जाना–** सभी खनिज समानुदान धारक अथवा सरकार/निगम यथा स्थिति किसी मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से तैयार किया गया और निदेशक या विभाग द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत पदाधिकारी/व्यक्ति/शैक्षणिक संस्थान/सरकारी संस्था अथवा अनुमोदित खनन योजना उस तिथि से, जिस तिथि को खनिज समुदान देने से संबंधित संसूचना, यथा स्थिति, प्राप्त की गई हो, तीन माह की अवधि अथवा अनुमोदित खनन योजना समर्पित करने के लिए विभाग द्वारा विनिश्चित/स्वीकृत अन्य अवधि के भीतर समर्पित करेगाः

परन्तु यदि विभाग द्वारा एजेन्सी के माध्यम से खनन योजना तैयार करायी जाती है, तो उस पर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित खनिज समानुदान धारक/बंदोबस्तधारी से की जायेगी।

(5) **खनन योजना (प्लान) की वैधता की अवधि–** एक बार अनुमोदित खनन योजना (प्लान) सम्पूर्ण खनिज समानुदान की अवधि के लिए तब तक वैध रहेगा, जब तक कि खनिज समानुदान अवधि के दौरान वह संशोधित/परिवर्तित न हो।

(6) **खनन योजना (प्लान) में परिवर्तन–**

(i) निदेशक अथवा विभाग द्वारा इस निमित्त कोई प्राधिकृत व्यक्ति खनन प्लान में ऐसा परिवर्तन करने अथवा ऐसी शर्तों को अधिरोपित करने, जैसा कि वह आवश्यक समझे, लिखित रूप में आदेश द्वारा खनिज समानुदान धारक से अपेक्षा कर सकेगा, यदि ऐसा परिवर्तन अथवा शर्तों का अधिरोपन आवश्यक समझा जाय।

(क) खान के संचालन के अनुभव की दृष्टि से;

(ख) तकनीकी विकास में परिवर्तन के दृष्टिकोण से;

(ग) विधिक उपबंधों अथवा किसी न्यायालय के आदेश के आलोक में किसी परिवर्तन की दृष्टि से;

(ii) अनुमोदित खनन योजना (प्लान) में परिवर्तन की माँग का इच्छुक खनन् पट्टाधारी/बन्दोस्तधारी विभाग अथवा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष परिवर्तन संबंधी आशय को बताते हुए और उसके लिए कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन करेगा;

(iii) निदेशक अथवा विभाग की ओर से इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी/व्यक्ति/शैक्षणिक संस्था/सरकारी एजेन्सी, खान योजना में परिवर्तन के लिए ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि के साठ दिनों की अवधि के अन्तर्गत परिवर्तन का अनुमोदन कर सकेगी/कर सकेगा अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुमोदन कर सकेगी/ कर सकेगा, जैसा कि वह समीचीन समझे;

(iv) जहाँ साठ दिनों की उपर्युक्त अवधि के अन्तर्गत कोई निर्णय संसूचित नहीं किया जाता है तो यथास्थिति खनन योजना (प्लान) या परिवर्तित खनन योजना (प्लान)

अथवा खनन स्कीम तबतक औपबंधिक तौर पर अनुमोदित समझे जाएंगे, जब तक उस विषय में अंतिम निर्णय संसूचित न कर दिया जाय।

(v) पट्टे क्षेत्र या उत्पादन क्षमता में किसी भी वृद्धि के मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के सक्षम प्राधिकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(7) (i) **खान समापन योजना (प्लान)**–प्रत्येक खान में खान समापन प्लान होगा, जो दो प्रकार के होंगे–

(क) उत्तरोत्तर खान समापन योजना (प्लान); और

(ख) अंतिम खान समापन योजना (प्लान)।

(ii) **उत्तरोत्तर खान समापन योजना (प्लान) का समर्पण –**

(क) खनन पट्टा/बन्दोबस्ती की स्वीकृति के मामले में, खनन पट्टा/बन्दोबस्ती का मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक, यथास्थिति, इस निमित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के यहाँ खनन पट्टा के एक घटक के रूप में एक उत्तरोत्तर खान समापन प्लान ऐसे खनिज समानुदान की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(ख) यथास्थिति विभाग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी इसकी प्राप्ति की तिथि के नब्बे दिनों के अन्तर्गत उत्तरोत्तर खान समापन योजना (प्लान) के अपने अनुमोदन अथवा इंकार के विषय में अवगत कराएगा।

(ग) यदि विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत खनन पट्टा/बन्दोबस्ती के मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक को उत्तरोत्तर खान समापन प्लान के अनुमोदन अथवा इंकार के बारे सूचित नहीं किया जाता है, तो उत्तरोत्तर खान समापन प्लान को औपबंधिक तौर पर अनुमोदित समझा जाएगा और जब कभी संसूचित हो ऐसा अनुमोदन अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

(iii) **अंतिम खान समापन योजना का समर्पण –**

(क) खनिज समानुदान धारक का मालिक एजेन्ट अथवा प्रबंधक खान के प्रस्तावित समापन के एक वर्ष पूर्व विभाग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष अंतिम खान समापन योजना (प्लान) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(ख) विभाग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी यथास्थिति इसकी प्राप्ति की तिथि के नब्बे दिनों के अन्तर्गत अंतिम खान समापन योजना (प्लान) को अपने अनुमोदन अथवा इन्कार के बारे में खनन पट्टा/बन्दोबस्ती के मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक को अवगत कराएगा।

(ग) यदि यथा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत खनिज समानुदान धारक के मालिक एजेन्ट अथवा प्रबंधक को अंतिम समापन प्लान के अनुमोदन अथवा इंकार के विषय में सूचित नहीं किया जाता है, तो अंतिम खान समापन प्लान को औपबंधिक तौर पर अनुमोदित समझा जाएगा और जब कभी संसूचित हो, ऐसा अनुमोदन अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।

(घ) खान योजना, परिवर्तित खान योजना की तैयारी के लिए आवश्यक कारक तथा अंतिम खान समापन योजना की सुपूदर्गी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी मार्गदर्शन के अधीन रहते हुए होगी।

18. **पर्यावरण की सुरक्षा–**

(1) खनिज समानुदान का प्रत्येक धारक खनन प्रचालन, सज्जीकरण क्रशिंग अथवा कोई सहबद्ध क्रियाकलाप संचालित करते समय पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी संभव पूर्व सावधानी लेगाः

(2) **पर्यावरणीय स्वीकृति**–सभी खनिज समानुदान धारक अथवा सरकार /निगम यथा स्थिति प्रचलित पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना और भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अंतिम अनुदेशों के अनुसार तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर लेंगे।

परन्तु भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिला समाहर्त्ता द्वारा समय–समय पर, निर्गत पर्यावरणीय सुरक्षा तथा पर्यावरणीय अनापत्ति से संबंधित अन्य अनुदेशों को मानेंगे और पालन करेंगे।

(3) **पर्यावरणीय अनापत्ति के अनुसार खनन प्रचालन होना–** सभी खनन प्रचालन पर्यावरणीय अनापत्ति के अधीन अधिकथित निर्बंधनों और शर्त्तों के अनुसार होंगे।

19. **जिला खनिज फाउन्डेशन निधि में अंशदान–**

(1) खनिज समुदान धारक जिला खनिज फाउन्डेशन निधि में, जो जिला खनिज फाउन्डेशन निधि (न्यास) नियमावली के अनुसार सृजित की गई हो, राज्य सरकार द्वारा विहित दर पर खनन और खनन क्रिया द्वारा प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के लाभ के लिए जमा अथवा भुगतान करेंगे।

(2) वह रीति जिस रीति से भुगतान की अपेक्षा हो तथा भुगतान का ढंग राज्य सरकार द्वारा सुसंगत नियमावली में विहित किया जाएगा।

20. **वन क्षेत्रों में खनन–**

(1) किसी वन क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले लघु खनिजों की बंदोबस्ती समाहर्त्ता द्वारा इस शर्त्त के साथ की जा सकेगी कि भावी बंदोबस्ती धारक वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन विभाग से सम्यक् अनुमति लाएगा।

(2) औपचारिक खनन पट्टा विलेख वन विभाग से अपेक्षित अनापत्ति प्राप्त होने के बाद ही निष्पादित की जाएगा।

21. **अन्य शर्त्तें–**

(1) विभाग किसी खनिज समानुदान धारक से पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण क्रियाकलाप करने तथा आधुनिक सुविधाओं जैसे खनन क्षेत्र या उसके परिसर पर धर्मकाँटा, कम्प्यूटर, कार्यालय अधिष्ठापित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) विभाग खनिज समानुदान धारकों पर, समय–समय पर, ऐसी अन्य शर्त्तें अधिकथित कर सकेगा, जैसी अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के विचार से वह उचित समझे। साथ–साथ इनमें ऐसी शर्त्तें शामिल है जो किसी विशिष्ट लघु खनिज अथवा किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के प्रति विचित्र हों।

अध्याय– IV

बालू के अतिरिक्त खनन पट्टा देने की प्रक्रिया

22. किसी खनन पट्टे के रूप में कोई खनिज समानुदान केवल लोक नीलामी– सह– निविदा द्वारा ई–बिडिंग मोड में माध्यम से और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अंतिम अधिसूचना में उपवर्णित अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय समय पर, यथा विनिश्चित प्रक्रिया के अनुसार, बदोबस्त किया जाएगा।

(1) **लोक नीलामी–सह–निविदा द्वारा खनिज समानुदान देने के प्रयोजनार्थ, समाहर्त्ता क्षेत्र का निम्नलिखित विशिष्टियाँ अधिसूचित करेगा, यथा :–**

(क) क्षेत्र तथा सीमाओं का विस्तार टोपोशीट संख्या;

(ख) ग्राम, सर्किल का नाम, प्लॉट संख्या, खाता संख्या आदि;

(ग) खनिज समानुदान की अवधि;

(घ) नीलामी की तिथि, नीलामी की तिथि से एक माह पूर्व अधिसूचित की जाएगी।

(2) खनिज समानुदान का प्रत्येक बोली लगाने वाला लोक नीलामी–सह– निविदा के पूर्व राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर, यथा अधिसूचित अपेक्षित दस्तावेज निम्नलिखित के साथ दाखिल करेगा–

(क) खनन बकाया यथा प्राप्त स्वामिस्व या मृत लगान और सतह लगान के संबंध में स्वच्छता प्रमाण–पत्र जैसे सक्षम अधिकारी से के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र;

(ख) एक शपथ–पत्र यह अभिकथित करते हुए संलग्न होगा कि आवेदक ने –

(i) अधतन आयकर विवरणी दाखिल कर दिया है;

(ii) अपनी कुल आय पर निर्धारित आयकर का भुगतान कर दिया है।

(ग) प्रतिभूति के रूप नीलामी राशि के 10 (दस) प्रतिशत के बराबर राशि जो नीलामी राशि की अंतिम किस्त में समायोजित की जाएगी यदि खनन पट्टाधारक भुगतान में अन्यथा व्यतिक्रमी न हो। असफल बीडर की दशा में प्रतिभूति जमा समाहर्त्ता द्वारा वापस कर दी जाएगी।

(3) **बोली की राशि का भुगतान–** बोली की राशि समान किस्तों में वार्षिक आधार पर जमा की जाएगी और प्रत्येक किस्त प्रथम वर्ष के दौरान पट्टा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष

पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा की जाएगी।

परंतु उन पट्टों जिनका निष्पादन इस नियमावली के लागू होने के पूर्व हो चुका है वार्षिक किस्त की राशि 31 जनवरी के पूर्व जमा करता रहेगा।

परंतु इस नियमावली में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए या अन्यथा बंदोबस्ती धारक बोली की राशि के समतुल्य मात्रा से अधिक उत्खनित और प्रेषित पत्थर/बालू की मात्रा के लिए अतिरिक्त स्वामिस्व का भुगतान करेगा।

(4) **भुगतान में व्यक्तिक्रम–** यदि कोई किस्त विहित अवधि के पूर्व जमा नही जाएगी तो 24 प्रतिशत् साधारण ब्याज दो माह तक प्रभारित की जाएगी और उसके बाद रद्दकरण की कार्रवाई की जाएगी।

(5) **न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण–**न्यूनतम आरक्षण मूल्य का निर्धारण, विभाग द्वारा, समय–समय पर, यथा विनिश्चित होगा।

(6) **सफल बीडर की ओर से असफलता–**यदि सफल बीडर इस संबंध में राज्य सरकार की प्रचलित अधिसूचना में यथा निर्देशित विहित समय सीमा के भीतर अन्य भुगतेय करों के साथ–साथ अपेक्षित प्रतिभूति जमा करने असफल रहता है तो उसका प्रतिभूति जमा जब्त हो जाएगी और एक नई बंदोबस्ती प्रक्रिया लोक नीलामी के माध्यम से आरंभ की जाएगी।

23. केन्द्र सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 423 (ई) दिनांक–10.02.2015 द्वारा अधिसूचित तथा अनुसूची–IIIक में अंतर्विष्ट सभी खनिज लोक नीलामी–सह–निविदा के माध्यम से ई–नीलामी मोड के माध्यम अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय–समय पर, यथा विनिश्चय के बंदोबस्त किए जाएंगे।

24. **खनन पट्टा की मंजूरी हेतु आवेदन–** इस नियमावली में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, खनन पट्टा की मंजूरी के लिए आवेदन निम्नलिखित रीति से निपटाया जाएगा :–

(1) (क) ग्रेनाइट को छोड़कर कोई खनन पट्टा समाहर्त्ता द्वारा मंजूर किया जाएगा।

(ख) ग्रेनाईट खनिज का खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जाएगा।

(2) किसी खनिज के संबंध में खनन पट्टा के लिए प्रत्येक आवेदन **प्रपत्र–क** में सक्षम अधिकारी अथवा समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को दिया जाएगा।

(3) खनन पट्टा के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 10,000/– रूपये के शुल्क और उस भूमि का ब्योरा, जिसके संबंध में खनन पट्टा के लिए आवेदन दिया गया हो, और जहाँ अपेक्षित हो अधिकार अभिलेख का सुसंगत उदाहरण की प्रभाजित प्रतियों या प्रतियाँ साथ में देनी होगी।

(4) खनन पट्टा के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ बिहार राज्य में धारित सभी खनिज समुदान के संबंध में गत् वित्तीय वर्ष के अंत तक का खनन बकाए, यथा स्वामिस्व या नियत लगान, सतह लगान तथा सेस के भुगतान का वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न होगा।

(5) प्रत्येक आवेदन के साथ यह अधिकथित करते हुए एक शपथ पत्र संलग्न होगा कि आवेदक –

(क) अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है ;

(ख) इसपर निर्धारित आयकर का भुगतान कर दिया है; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 में यथा प्रावधानित स्वनिर्धारण के आधार पर आयकर का भुगतान कर दिया है।

(6) प्रत्येक आवेदन के साथ, इस राज्य में खनिज वार क्षेत्रों की विशिष्टियों को दर्शाते हुए, जिसमें आवेदक अथवा कोई व्यक्ति उसके साथ संयुक्त हो –

(क) खनन पट्टा के अधीन पहले से धारित करता है;

(ख) आवेदन दिया किंतु मंजूरी नहीं मिली; और

(ग) बार–बार आवेदन देता रहा है;

एक शपथ–पत्र संलग्न होगा।

(7) जहाँ आवेदक भूमि का मालिक न हो वहाँ खनन पट्टा की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ लिखित रूप में एक अभिकथन लगा होगा कि आवेदक क्षेत्र पर सतह–अधिकार प्राप्त कर लिया है अथवा खनन प्रचालन आरंभ करने के लिए स्वामियों से सहमति प्राप्त कर ली है :

परन्तु जहाँ भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में वहाँ ऐसे किसी अभिकथन की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु और कि क्षेत्र या उसके भाग में खनन प्रचालन आरंभ करने के लिए भूमि के रैयतो/स्वामियों की सहमति लीज विलेख के निष्पादन के बाद किंतु उक्त में प्रविष्टि के पूर्व सुपूर्द कर देना।

जब खनन पट्टा के लिए आवेदन के साथ उपनियम (2) से (7) तक उल्लेखित कागजात संलग्न न हो तो उसे प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर नामंजूर कर दिया जाएगा।

25. **क्षेत्र का सर्वेक्षण**– खनिज समानुदान के अधीन क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा सीमांकन खनिज समानुदान धारक द्वारा किया जाएगा और इसका सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। कोई भी खनन अथवा खनन क्रिया का प्रचालन खनन पट्टा अथवा खनन क्रिया अनुज्ञा पत्र देने के लिए आवेदित क्षेत्र की सीमाओं के सत्यापन के पूर्व आरंभ नहीं होगा।

26. **शर्त्तें**–

(1) (क) प्रत्येक खनन पट्टा **प्रपत्र 'ख'** अथवा प्रत्येक मामले में अपेक्षित उनकी परिस्थितियों के नजदीकी प्रपत्र होगा।

(ख) **प्रपत्र 'ख'** में दी गई शर्त्तें इस नियम के अधीन अधिरोपित शर्त्तें समझी जाएंगी और पट्टाधारक पर आबद्धकर होंगी।

(2) पट्टाधारी अपने पट्टा धारण क्षेत्र की चौहद्दी पर नियमित अन्तरालों में सीमा स्तम्भों (किसी भी दशा में 20 (बीस) मीटर से अधिक नहीं) की स्थापना करेगा। उक्त सीमा–स्तम्भ कम से कम एक वर्ग फीट आयाम का तथा 1.5 मीटर ऊचाई के रूप में प्रबलित कंकरीट का खम्भा होगा, जिसका 1/3 मात्र जमीन के नीचे गाड़ा जाएगा। जमीन से ऊपर खम्भे का भाग क्रमानुसार सफेद–काले रंग (जेबरा ढंग का) से रंग दिया जायेगा, ताकि एक विशिष्ट रूप में दिखाई पड़े।

(3) समाहर्त्ता ऐसी अन्य शर्त्त अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह निम्नलिखित के संबंध में उचित समझें :–

(क) लगान और रॉयलिटी के भुगतान की समय–सीमा ढंग तथा स्थान;

(ख) खनिज समानुदान धारक भूमि के सतह अधिभोगी को उस मुआवजा का भुगतान करेगा जो इस नियमावली के अधीन भुगतेय हो गया हो;

(ग) खनिज समानुदान धारक उस क्षेत्र में अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चयनित किसी अन्य क्षेत्रों में किसी खनन प्रचालन के कारण नष्ट किये गए पेड़ों की संख्या के कम से कम दोगुने पौधारोपण अथवा उस हद तक जहाँ तक संभव हो ऐसे प्रचालन द्वारा नष्ट किए गए फ्लोरा तथा अन्य वनस्पति के प्रत्यावर्त्तन के लिए उपाय करेगा;

(घ) किसी प्राधिकार द्वारा प्रतिषिद्ध किसी क्षेत्र में सतही प्रचालन पर निर्बंधन;

(ड०) सतह अधिभोग के लिए खनिज समुदान धारक द्वारा नोटिस ;

(च) उचित तौलने वाली मशीनों का प्रावधान;

(छ) पट्टा क्षेत्र अथवा समवर्त्ती क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य खनिजों के लिए खनिज समुदान धारक द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ;

(ज) दुर्घटनाओं को प्रतिवेदित करने;

(झ) पिट्स एण्ड शॉफ्ट को सुनिश्चित करने;

(ञ) तीसरे पक्ष के दावों के विरूद्ध सरकार को क्षतिपूर्त्ति;

(ट) पट्टा का समर्पण, समाप्ति या अवसान पर भूमि तथा खान का कब्जा देना;

(ठ) युद्ध अथवा आपातकाल के कारण प्लांट, मशीनरी, परिसर तथा खानों का कब्जा लेने की शक्ति;

(ड) लीजधारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा।

(4) समाहर्त्ता, यदि उसकी राय हो कि खनिज विकास के हित में वैसा करना आवश्यक हो, सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी मामले में ऐसी शर्त्तों अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह उचित समझें।

27. **खनिज समानुदान धारक का हस्तांतरण के लिए आवेदन**–

(1) अंतरण में हितबद्ध अंतरक तथा अंतरिती खनन बकाए जैसे बंदोबस्ती की राशि स्वामिस्व, नियत लगान, सतह लगान आदि के भुगतान संबंधित वैध अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपस्थापित करेगा।

(2) (क) खनिज समानुदान धारक खनन क्रियालीज अथवा उसमें निहित किसी अधिकार, हक या हित को समनुदेशित, सब–लेट बंधक नहीं करेगा अथवा किसी अन्य

रीति से अंतरित तब तक नही करेगा जब तक कि समाहर्त्ता का पूर्व आदेश प्राप्त न हो गया हो।

(ख) उपनियम (1) के अधीन पूर्व आदेश चाहने वाला प्रत्येक खनिज समानुदान धारक खनन पदाधिकार को एक आवेदन देगा जिसके साथ स्वामी अथवा भूमि का अधिभोगी का इस प्रभाव का सहमति पत्र लगा होगा कि अंतरिती द्वारा लघु खनिजों की खनन क्रिया के लिए उसे कोई आपत्ति नहीं है।

(ग) खनिज समानुदान के हस्तांतरण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय/राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार /जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण की आवश्यकता होगी।

28. **पट्टा निष्पादन–**

(1) इस नियमावली के अधीन जहाँ खनिज समानुदान दिया गया हो, वहाँ सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश के 180 दिनों के अन्दर प्रपत्र 'ख' में समाहर्त्ता द्वारा औपचारिक पट्टा निष्पादित किया जाएगा और यदि जिस व्यक्ति को खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है, वह व्यक्ति उपर्युक्त अवधि के अन्तर्गत निष्पादन के लिए अपेक्षित कागजात पेश करने में चूक जाता है, तो खनन पट्टा स्वीकृति आदेश प्रति संहृत समझा जायेगा और उस हालत में आवेदन शुल्क और प्रतिभूति जमा राशि जप्त हो जायेगी;

परंतु ऐसा कोई भी पट्टा तब तक निष्पादित नहीं किया जायेगा जब तक कि जिस व्यक्ति को ऐसा पट्टा स्वीकृत किया गया है, इस नियमावली के अधीन यथा अपेक्षित खनन योजना तथा पर्यावरणीय अनापत्ति समर्पित नहीं कर देता;

परन्तु यह और कि जहाँ समाहर्त्ता को यह समाधान हो जाता है कि जिस व्यक्ति को ऐसा पट्टा स्वीकृत किया गया है, वह औपचारिक पट्टा के निष्पादन में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं है तो वह (समाहर्त्ता) 180 दिनों की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी औपचारिक पट्टा के निष्पादन की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(2) जिस अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है उस अवधि की शुरूआत की तिथि वह तिथि होगी, जब उप–नियम (1) के अधीन खनन पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया है तथा पट्टाधारी को खनन पट्टा के निष्पादन की तिथि से किराया (रेंट)/स्वामिस्व (रॉयल्टी) का दायी होगा।

(3) लीज विलेख उचित स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन शुल्क का भुगतान करते हुए सम्यक्रूप से निबंधित करना होगा।

(4) लीज अवधि के विस्तार का कोई दावा किसी विलंब के लिए स्वीकार नही किया जाएगा।

अध्याय–V

बालू की बंदोबस्ती

29 **(क) (1) बन्दोबस्ती की रीति–** लघु खनिज के रूप में बालू की बन्दोबस्ती समाहर्त्ता द्वारा/राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा सबसे अधिक ई–बोली लगाने वाले व्यक्ति (उच्चतम डाकवक्ता) के पक्ष में सार्वजनिक नीलामी–सह–निविदा के माध्यम से किया जाएगा–

(क) राज्य सरकार बालूघाटों के बंदोबस्ती के लिए विस्तृत प्रक्रिया के बारे में समय–समय पर और जब कभी अपेक्षित हो, अधिसूचना निर्गत करेगी।

(ख) सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति (उच्चतम डाकवक्ता) नीलामी के तुरत बाद नीलामी राशि की 10% राशि जमा करेगा और उसके बाद सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश समाहर्त्ता/ /राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा उसके नाम से निर्गत किया जाएगा।

(ग) उच्चतम डाकवक्ता इसके संबध राज्य सरकार द्वारा निर्गत विद्यमान अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट विहित समय–सीमा के अन्तर्गत अपेक्षित दस्तावेज समर्पित करेगा और उसके बाद समाहर्त्ता/राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा उसके नाम से कार्य आदेश निर्गत किया जाएगा।

(घ) सफल डाकवक्ता अथवा सरकार/निगम यथा स्थिति संबंधित बालूघाट के लिए तैयार और निदेशक अथवा इसके संबंध में यथा प्राधिकृत पदाधिकारी/व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित एक खनन योजना समर्पित करेगा।

(ड.) सफल डाकवक्ता अथवा सरकार/निगम यथास्थिति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरण समाघात मूल्यांकन अधिसूचना के अनुसार और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सक्षम पदाधिकारी से पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करेगा।

(2) **बालू खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र–**

(i) बालू का उत्खनन किसी रेलवे पुल अथवा किसी राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के अन्तर्गत पड़ने वाले किसी पुल के दोनों ओर 300 (तीन सौ) मीटर दूरी के अन्तर्गत निषिद्ध होगी और किसी अन्य पुल के दोनों ओर की 100 (एक सौ) मीटर की दूरी के अन्दर निषिद्ध होगी। तथापि इसके संबंध में किसी अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा किसी पुल के बारे में इस निषिद्ध क्षेत्र का विस्तार किया जा सकेगा, यदि वैसी आवश्यकता सुरक्षा के कारणों से हो।

(ii) सार्वजनिक स्थल यथा शमशान घाट/कोई धार्मिक स्थल आदि के 50 मीटर अन्दर उत्खनन की अनुमति नही दी जाएगी।

(iii) नदी के दोनों किनारों से 5 (पाँच) मीटर के अन्तर्गत उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) बालू की उत्खनन सिंचाई प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी डैम, बंधारा अथवा कोई अन्य संरचना से उपरिधारा और निचली धारा के 100 (एक सौ) मीटर के अन्तर्गत निषिद्ध रहेगी।

(v) अधिमानतः बालूघाट तटबंध के नदी भाग में रहेगा। 6 मीटर से कम ऊँचाई वाले तटबंधों के लिए तटबंध के टो/हील से 25 मीटर तक उत्खनन प्रतिबंधित होगा एवं इसके परे 1.00 मीटर गहराई तक उत्खनन की अनुमति होगी। उच्च तटबंधों के मामले में तटबंध के टो/हील से 50 मीटर तक उत्खनन प्रतिबंधित होगा एवं इसके परे 75 मीटर की दूरी तक अधिकतम 1.50 मीटर गहराई तक तथा 75 मीटर की दूरी के आगे अधिकतम 2.00 मीटर गहराई तक उत्खनन की अनुमति होगी। तटबंध के लिए समानान्तर प्रवाह के विकास को कम करने के लिए माईनिंग पिट्स के गहराई के आठ गुणा चौड़ाई का क्रॉसबार 50 से 60 मीटर केन्द्र से केन्द्र अंतराल पर रखा जाना अनिवार्य होगा।

(vi) सिंचाई मार्ग को उसी स्तर पर बनाये रखा जायेगा जैसा कि नदी तल का स्तर है और किसी भी दशा में नदी तल का स्तर सिंचाई मार्ग के स्तर से नीचे रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्तःस्तुप कूप/अन्तर्ग्राही कूप के चारो ओर 5 मीटर की दूरी तक उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii) वैसी नदियों, जहाँ से सिंचाई नहर का प्रवाह निकलता है, के मामले में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के उपरान्त ही बालू निकासी की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(viii) बन्दोबस्तधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की रैयती भूमि में बालू उत्खनन की अनुमति तबतक नहीं दी जाएगी जब तक कि बन्दोबस्तधारी द्वारा संबंधित भू–स्वामी (रैयत) की सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाती है।

(ix) वैसे किसी क्षेत्र में बालू उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार ने प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है।

(3) **बालू उत्खनन के लिए अधिकतम अनुज्ञेय गहराई–** नदी तल में बालू उत्खनन की अधिकतम गहराई किसी समय में अखनित तल स्तर से तीन मीटर अथवा जल स्तर में, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(4) **न्यूनतम आरक्षण मूल्य का निर्धारण–**

(i) न्यूनतम आरक्षण मूल्य का निर्धारण विभाग द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित होगा।

(ii) यदि तीन बार प्रयासों के बाद भी उक्त निर्धरित न्यूनतम सुरक्षित मूल्य पर नीलामी की प्रक्रिया के दौरान कोई बीडर नहीं मिलता है तो न्यूनतम सुरक्षित मूल्य, विभागीय तकनीकी समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र और अन्य स्थानीय/तकनीकी दशाओं में निक्षेपित बालू के आधार पर तथा समाहर्त्ता की अध्यक्षता वाली जिलास्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त कर पुनरीक्षित की जा सकेगी। उक्त खण्ड/बालू खंड/बालूघाट की पुनः नीलामी, राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, पुनरीक्षित न्यूनतम सुरक्षित मूल्य के आधार पर की जाएगी।

(5) **उच्चतम डाकवक्ता की ओर से चूक–**यदि सफल डाकवक्ता, राज्य सरकार की अभिभावी अधिसूचना में यथा निर्दित विहित समय–सीमा के भीतर अन्य भुगतेय कर के साथ–साथ अपेक्षित प्रतिभूति जमा जमा करने के चूक करता है तो उसकी प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी और लोक नीलामी के माध्यम से संबंधित बालूघाट इकाई/ पट्टी/बालूघाट के लिए एक नई बंदोबस्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

29 (ख) (1) **प्रतिभूति जमा का भुगतान।**–लघु खनिज के रूप में बालू का प्रत्येक बन्दोबस्तधारी, बन्दोबस्ती

के निबंधन एवं शर्त्तो के सम्यक् अवलोकन के लिए प्रतिभूति जमा राशि के रूप में नीलामी/ निविदत्त राशि के 25 (पच्चीस) प्रतिशत के समतुल्य राशि जमा करेगा, जो सक्षम पदाधिकारी (नियमावली में यथा परिभाषित) द्वारा बन्दोबस्ती की अंतिम किस्त में समायोजित की जाएगी/बन्दोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद लौटायी जाएगी।

(2) **समानुदान प्रदान करना तथा विलेख का निष्पादन**–सफल डाकवक्ता को 5 वर्षों की कालावधि के लिए समानुदान प्रदान किया जाएगा। सफल डाकवक्ता इस नियमावली में विहित **प्रपत्र–'ख'** में अथवा उसके समरूप प्रपत्र में कार्य आरंभ करने के पूर्व खनिज समानुदान विलेख निष्पादित करेगा। अगर किसी कारणवश खनन योजना अनुमोदित नही हुई एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नही की गई हो तो उस स्थिति में सफल निविदादाता खनन पट्टा निष्पादन के पूर्व उसे प्राप्त करेगा।

(3) **स्वामिस्व/बंदोबस्ती राशि के भुगतान की रीति**–

(i) बंदोबस्तधारी निविदा दस्तावेज में यथोपदर्शित बंदोबस्ती की राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ii) निकाले गए खनिजों के लिए वार्षिक आधार पर की गई स्वामिस्व की संगणना वार्षिक बंदोबस्ती की राशि से यदि अधिक हो तो बंदोबस्तधारी निकाली गई अतिरिक्त मात्रा के लिए बंदोबस्ती राशि के अतिरिक्त अत्याधिक स्वामिस्व के भुगतान के लिए दायी होगा।

(4) **भुगतान में चूक**– विहित तिथि के भीतर किसी किस्त का भुगतान में चूक की स्थिति में, वार्षिक 24 प्रतिशत् की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

29(ग) **खनन योजना (प्लान)/पर्यावरण क्लीयरेंस के शर्त्तों एवं बंधेजों का पालन**– बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती से संबंधित खनन योजना (प्लान) के शर्त्तों एवं बंधेजों और पर्यावरण क्लीयरेंस में दिये गये शर्त्तों एवं बंधेजों का पालन करेगें।''

29घ **बालूघाटों में मशीनरी लगाना**– बंदोबस्तधारी सतत् बालू खनन प्रबंधन मार्गदर्शन, 2016/पर्यावरणीय अनापत्ति में विनिर्दिष्ट शर्त्तों का पालन करेगा।

29ड़ **ऑन लाईन बालू पोर्टल**– बंदोबस्तधारी सभी उपभोक्ताओं (छोटे, मध्यम एवं बड़े) को बालू का विक्रय या तो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड के माध्यम से करेगा। सभी संव्यवहार/भुगतान, उत्खनन/उत्पादन/परिवहन भंडारण का ब्योरा विभागीय ऑनलाइन रीयल टाइम मोनिटरिंग सिस्टम द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा। बालू का विक्रय इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण, जो केन्द्रीय दस्तावेजीकरण अनुश्रवण सुविधा से जुड़ा रहेगा, से नियंत्रित किया जाएगा और बंदोबस्तधारी द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभागीय पोर्टल पर डाला जाएगा।

29च **धर्मकांटा का प्रतिष्ठापन**–प्रत्येक बालूघाट पर सेंट्रल सर्वर से एकीकृत एक इलेक्ट्रोनिक धर्मकाँटा का अधिष्ठापन हो सकेगा। हांलाकि संलग्न बालूघाटों के लिए विभाग कॉमन धर्मकाँटा के उपयोग की स्वीकृति दे सकेगा। उचित वजन/ई–चालान बिना बालू ढोते पाया जाने वाला कोई वाहन खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 या उसके अधीन बनी नियमावली के प्रावधानों के अधीन जब्त किए जाने का दायी हो सकेगा।

29छ **गाद निकालने का जिम्मा लेने हेतु सरकार का अधिकार**– राज्य सरकार के पास ऐसे खनन ब्लॉकों में नदी प्रवाह, बाधों की सुरक्षा तथा जीओ तकनीकी एवं जल विज्ञानी विचारणों के चलते नदियों के साथ निवासियों को बनाए रखने हेतु डिसिल्टिंग ऐजेन्ट को अपने हाथ में रखने का अधिकार आरक्षित है। विभाग गाद निकालने की प्रक्रिया में निकाले गए बालू के निष्पादन के लिए मार्गदर्शन जारी करेगा।

29ज **रैयती भूमि से उप मिट्टी बालू का हटाया जाना**– खनिज समानुदान धारक भू–स्वामियों की सहमति लेने और पर्याप्त प्रतिकर देने के बाद रैयती भूमि से उपमिट्टी बालू को हटा सकेगा। ऐसे प्रस्ताव खनन योजना में शामिल किए जाएंगे और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से सम्यक पर्यावरणीय अनापत्ति खनन प्रचालन आरंभ करने के पूर्व प्राप्त किया जाना है।

29झ **जल संसाधन विभाग से अनापत्ति**– किसी बालूघाट से बालू उठाने की दशा में यदि लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो तो खनिज समानुदान धारक जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे। आवेदन की तिथि के एक माह के भीतर यदि इस संबंध में खनिज समानुदान धारक को कोई विनिश्चय संसूचित नहीं किया जाय तो यह समझा जाएगा कि संबंधित विभाग को इस प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं है।

30. **निर्बंधनों के भंग की दशा में शास्ति**–

(1) प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर खनन अथवा 3 मीटर की गहराई से अधिक बालू खनन की दशा में प्रथम बार उल्लंघन के लिए बंदोबस्तधारी के विरूद्ध एक लाख की शास्ति समाहर्त्ता द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

(2) द्वितीय बार उल्लंघन के लिए बंदोबस्तधारी के विरूद्ध पाँच लाख रूपये से दस लाख

रूपये तक की शास्ति अनियमितता की गंभीरता के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी।

(3) तृतीय अथवा उससे अधिक बार ऐसे अपराध में जब कभी खनिज समानुदान धारक संलिप्त पाया जाता है तो उस विशिष्ट बालूघाट की बंदोबस्ती समाहर्त्ता द्वारा अस्थायी रूप से अधिकतम एक माह के लिए निलंबित की जा सकेगी जबतक कि उल्लंघनों में सुधार न कर लिया जाय। समाहर्त्ता द्वारा इस संबंध में दिए गए समय के भीतर यदि उल्लंघनों में सुधार नहीं किया जाता है तो संबंधित बालूघाट की बंदोबस्ती के रद्दकरण की कार्रवाई की जाएगी।

(4) बालू का परिवहन केवल ढ़के हुए वाहनों से क्रियान्वित किया जाएगा और कोई गीला बालू वाहनों में नहीं लादा जाएगा। गीला और बिना ढ़के बालू के किसी परिवहन के लिए उक्त वाहन में लदे बालू के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना परिवहनकर्त्ता के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

अध्याय– VI

राज्य स्वामिस्व वाले खनन निगम में भूमिका

31. **बिहार राज्य खनन निगम द्वारा क्रियाकलाप।** – (1) राज्य सरकार सभी अथवा किसी खनन क्रियाकलाप अथवा व्यापार, बिहार राज्य खनन निगम को सौंपेगा। निगम विशेषकर बालू के खनन क्रियाकलाप, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, भंडारण, परिवहन आदि की जिम्मेवारी ले सकेगाः

(2) निगम उक्त प्रयोजनार्थ किसी सरकार अथवा अर्धसरकारी अथवा प्राईवेट उपक्रम के साथ कोई व्यवस्था कर सकेगा।

32. **निगम द्वारा विहित दरों पर खनिज का क्रय किया जाना।** – विभाग सभी खनिज समानुदान धारकों को अपने उत्पाद का कुछ अनुपात जो उनके उत्पाद का 50 प्रतिशत् से अनधिक होगा, निगम को पिट हेड मूल्य पर विक्रय करने हेतु निदेश दे सकेगा।

अध्याय– VII

खनन क्रिया अनुज्ञा पत्र देने की प्रक्रिया

33. **खनन क्रिया अनुज्ञा पत्र देना**–(1) आवेदन दिए जाने पर, खनन अधिकारी किसी व्यक्ति को अपनी अधिकारिता के भीतर किसी विनिर्दिष्ट भूमि से दस हजार घनमीटर से अनधिक किसी खनिज बालू एवं पत्थर को छोड़कर का एक अनुज्ञा पत्र के अधीन **अनुसूची–III'क'** में विनिर्दिष्ट दरों पर रॉयलिटी के पूर्व भुगतान पर, उत्खनन एवं हटाने के लिए **प्रपत्र 'घ'** में खनन क्रिया पर परमिट दे सकेगा। ऐसा परमिट देने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी स्वयं यह समाधान कर लेगा कि परमिट की अपेक्षाएँ सही है और कि उस क्षेत्र में खनन लीज प्राप्त करने की आवश्यकताओं का निवारण नहीं करती जिसके संबंध में खनिज के निष्काषन के लिए आवेदन दिया गया है।

(2) खनन अधिकारी लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ ऐसे परमिट जारी करने से इंकार कर सकते है।

(3) इस नियम के अधीन साधारण मिट्टी के निष्कासन के लिए परमिट वैसे मामलों के लिए, जहाँ साधारण मिट्टी/क्ले/मृदा के नीचे ''बालू निक्षेप'' उपलब्ध हो, तीन फीट की गहराई से अधिक उत्खनन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी रैयत खनन के लिए किसी व्यक्ति को पहले ही लीज दी गई/बंदोबस्त की गई किसी विनिर्दिष्ट भूमि से खनन के लिए परमिट हेतु कोई दावा नही कर सकता है।

(4) विभाग किसी विशिष्ट खनिज या खनिजों के लिए खनन कार्य हेतु अनुज्ञा परमिट देने पर रोक लगाने के अनुदेश जारी कर सकेगा।

34. **खनन परमिट के लिए आवेदन**–(1) खनन क्रिया परमिट के लिए आवेदन **प्रपत्र 'ग'** में खनन अधिकारी को समर्पित किये जाएंगे।

(2) खनन कार्य हेतु परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ (5,000/–रू0) की फीस (बंगला भट्टा के परमिट के लिए फीस केवल 500/– रू0) संलग्न करना होगा।

(3) खनन क्रिया परमिट के प्रत्येक आवेदन के साथ एक वैध तथा खनन बकाए के यदि कोई हो, भुगतान का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाएगा। अगर खनन हेतु भूमि रैयती है तो रैयत से अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि रैयत को उनके भूमि से खनिज निकालने में कोई आपत्ति नही है।

(4) आवेदन फीस और रॉयलिटी वापस नहीं की जाएगी यदि रैयत बाद में रैयती क्षेत्रों मे अनुज्ञप्तिधारक को कार्य करने की अनुमति देने से इन्कार कर दे।

(5) परमिट की अवधि विस्तार के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 1000/– रूपये की फीस संलग्न करना होगा।

(6) खनन क्रिया परमिट देने के लिए आवेदित क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक आच्छादित नहीं करने वाले संहृत ब्लॉक में होगा।

35. **खनन क्रिया परमिट के लिए आवेदन का निपटारा।–**

(1) खनन क्रिया देने के लिए आवेदन का निपटारा खनन अधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(2) यदि किसी आवेदन का निपटारा उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

36. **शर्त्तें जिन पर खनन क्रिया परमिट दिया जाएगा :–**

(1) नियम 33(1) के अधीन दिये जाने वाले प्रत्येक खनन क्रिया परमिट में एक शर्त्त अंतर्विष्ट होगी कि सतह के नीचे अधिकतम 3 (तीन) मीटर तक ही खनन कार्य किया जाएगा।

(2) नियम 33(1) के अधीन दिये जाने वाले किसी खनन क्रिया परमिट में ऐसी निम्नलिखित अन्य शर्त्ते अंतर्विष्ट हो सकेगी जिसे आवश्यक समझा जाय यथा–

(क) लगान तथा रॉयलिटी के भुगतान की समय सीमा, ढंग तथा स्थान;

(ख) परमिट द्वारा अच्छादित भूमि के नुकसान के लिए छतिपूर्त्ति;

(ग) पेड़ों को गिराने के लिए वन क्षेत्रों की दशा में प्रमंडलीय वन अधिकारी के परामर्श से तथा अन्य क्षेत्रों की दशा में अपर समाहर्त्ता के परामर्श से;

(घ) किसी प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किसी क्षेत्र में सतह प्रचालन पर रोक;

(ड०) दुर्घटनाओं को प्रतिवेदित करना ;

(च) तीसरे पक्ष के दावों के विरूद्ध सरकार को क्षतिपूर्त्ति;

(छ) अवधि का निर्धारण जिसके भीतर लघु खनिज निकाले और प्रेषण करेगें एवं अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर अथवा लघु खनिज, जिसके के लिए परमिट वैध हो, की मात्रा के हटाए जाने पर भूमि कब्जा का परिदान;

(ज) परमिट के रद्दकरण के बाद बची हुई संपत्ति की जप्ती; तथा

(झ) परमिट की समाप्ति के बाद स्टॉक स्थल में खनिजों का निपटारा।

(3) दिए गए परमिट के अध्ययधीन किसी शर्त्त के भंग होने की दशा में खनन अधिकारी अपने द्वारा निर्गत परमिट को रद्द कर सकेगा। परमिट के रद्दकरण पर, भूमि पड़ी खनन क्रिया की गई खनिज सामग्री जिससे वह निकाली गई हो, सरकार की अनन्य संपत्ति हो जाएगी और खनन अधिकारी द्वारा लोक नीलामी द्वारा बेची जा सकेगी।

(4) खनन अधिकारी, जाँच पड़ताल तथा सत्यापन के बाद विहित अवधि के अंत में अधिक मात्रा के लिए रॉयलिटी और शास्ति की राशि का निर्धारण करेगा।

(5) प्रत्येक परमिट धारक नियम 18(2) में यथा विनिर्दिष्ट पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करेगा।

(6) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी (परमिटधारी) निम्नलिखित शर्त्तों का भी अनुपालन करेगा :–

(i) ईंट निर्माण, पथ निर्माण, तटबंध निर्माण आदि के प्रयोजनार्थ ईंट मिट्टी और साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन् से संबंधित क्रियाकलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा।

(ii) खनन/ उत्खनन् क्रियाकलाप में कार्य स्थल पर सामान्य धरातल स्तर के 3 मीटर के नीचे अधिकतम गहराई के संबंध में प्रतिबंध रहेगा।

(iii) खनन/ उत्खनन् संबंधी क्रियाकलाप कार्य स्थल पर भूजल स्तर से ऊपर किया जाएगा।

(iv) खनन/उत्खनन् संबंधी क्रिया–कलाप क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा।

(v) खोदे गए/ उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा।

(vi) खोदे गए/ उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।

(vii) ढुलाई के दौरान खोदी गई/उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किए जायेंगे।

(viii) मिट्टी के खनन/उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोगवाहकों (वेक्टर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरूद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जायंगे।

(ix) कामगारों/मजदूों को पेयजल और सफाई संबंधी सुविधायें प्रदान की जायेगी।

(x) प्रस्तावित उत्खनन की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जायेगी।

(xi) किसी उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी असैनिक संरचना की दूरी कम से कम

15 मीटर रखी जायेगी।

(xii) राष्ट्रीय पार्कों और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलो मीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में ''ईंट मिट्टी'' अथवा साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन की अनुमति नहीं दी जायेगी:

परन्तु अनुज्ञापत्रधारी (परमिटधारी) द्वारा इस संबंध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शर्त्त अथवा निर्गत किसी अनुदेश का पालन किया जाएगा।

37 (1) **भवन/संरचना/विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्राप्त खनिज के लिए खनिज निपटान परमिट दिया जाना**–इस नियमावली किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, जहाँ कोई खनिज किसी भवन निर्माण अथवा विकास योजना की प्रक्रिया में प्राप्त हो और उस परियोजनाओं की प्रक्रिया में निकाला गया हो तो समाहर्त्ता, संबंधित खनन अधिकारी के प्रतिवेदन पर, वैसी किसी विनिर्दिष्ट भूमि से, जो पहले खनन के लिए किसी व्यक्ति को पहले लीज बंदोबस्त न की गई हो, ऐसे किसी लघु खनिज को हटाने एवं उसका उपयोग करने के लिए परमिट दे सकेगा। उक्त अनुमति विनिर्दिष्ट मात्रा तथा अनधिक तीन माह के लिए अग्रिम सरकार के लिए स्वामिस्व तथा अन्य प्रकार के भुगतान पर दी जा सकेगी।

(2) **सिंचाई विभाग द्वारा नहर तथा जल निकास प्रणाली के संधारण की प्रक्रिया में निष्कासित खनिजों के लिए खनिज निपटाव परमिट दिया जाना**– इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहाँ किसी नहर या जल निकासी प्रणाली अथवा जल निकास की सफाई, संधारण और रख–रखाव की प्रक्रिया में किसी गाद या बालू या साधारण मिट्टी या किसी अन्य खनिज को निकाला जाता है वहाँ समाहर्त्ता, संबंधित खनन अधिकारी के प्रतिवेदन पर वैसे किसी लघु खनिज को हटाने और उपयोग करने का परमिट दे सकेगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता उक्त खनिज के निपटाव के लिए परमिट निर्गत करने हेतु खनन अधिकारी के समक्ष एक आवेदन देगा। उक्त अनुमति सरकार को लागू स्वामिस्व तथा अन्य प्रकार के अग्रिम भुगतान पर विनिर्दिष्ट मात्रा तथा अनधिक तीन माह के लिए दी जा सकेगी।

(3) **विनिर्दिष्ट आपात स्थितियों के लिए परमिट–**

इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समाहर्त्ता उस क्षेत्र से लघु खनिज निष्कासन के लिए परमिट दे सकेगा जो वैसे सरकारी विभाग अथवा किसी सरकारी एजेन्सी अथवा किसी व्यक्ति को, जिसे आपात दशा में मानव एवं मवेशी जीवन की सुरक्षा के लिए आपात बाढ़ सुरक्षा कार्य अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा अन्य दबावकारी परिस्थितियों से संबंधित कार्य निष्पादन के लिए खनिज की आवश्यकता हो। उक्त अनुमति सरकार को लागू स्वामिस्व तथा अन्य प्रभार विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए अग्रिम भुगतान पर दी जा सकेगी।

नियम 37(1), (2) और (3) के अधीन सभी आवेदन प्रपत्र –'ड.' में होगें परमिट प्रपत्र–'च' में दिए जाऐगा।

अध्याय– VIII

ईट भट्ठों से राजस्व संग्रहण तथा विनियमन।

38. **ईट मिट्टी पर समेकित स्वामिस्व का निर्धारण–**

(1) इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार इस नियमावली की अनुसूची–III ख में यथोल्लिखित प्रति वर्ष प्रति ईट भट्ठा से समेकित स्वामिस्व या भुगतान पट्टा के स्वामी/ ईंट मिट्टी हटाने वाले से प्राप्त करेगी एवं प्रत्येक वर्गीकृत क्षेत्र के लिए ईंटों की नियत संख्या पर समेकित स्वामिस्व निर्धारित करेगी जो तीन वर्षों में एक बार पुनरीक्षित की जा सकेगी, विनिश्चित कर सकेगी।

परंतु राज्य सरकार, इस प्रकार दी जाने वाली स्वामिस्व की समेकित राशि विनिश्चित करने के लिए प्रयोजनार्थ स्थान को उन तथ्यों का ध्यान रखते हुए जिसे राज्य सरकार उचित समझें, विभिन्न कोटि में वर्गीकृत कर सकेगी।

(2) **कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल अधिकारी तथा अंचलाधिकारी को प्राधिकृत करना।**–संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल अधिकारी तथा अंचलाधिकारी को इस नियम के अधीन उपबंधित रीति से कार्य करने हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत होगें।

(3) **ईट मिट्टी के लिए खनन क्रिया परमिट दिया जाना–** किसी आवेदक द्वारा खनन पदाधिकारी को आवेदन दिए जाने और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति बिहार राज्य प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उत्सर्जन सहमति आदेश तथा इस नियमावली की अनुसूची–III'ख' के अनुसार रॉयलिटी की समेकित राशि के साथ साथ इस नियमावली के नियम 34 में यथा विहित अपेक्षित दस्तावेजों को सुपूर्द करने पर वे अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर किसी विनिर्दिष्ट भूमि से किसी विशिष्ट ईंट मौसम के लिए किसी ईट भट्ठा के संबंध में उत्खनन एवं ईंट मिट्टी हटाने के लिए **प्रपत्र 'घ'** में खनन क्रिया परमिट दे सकेगा।

(4) **भुगतान का रीति–** ईट भट्ठा स्वामी/ईट मिट्टी हटाने वाला राज्य सरकार को अनुसूची–III'ख' के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति भट्ठा समेकित राशि का भुगतान नीचे सारणी में विशिष्ट ईट मौसम के लिए दर्शायी गयी तिथि के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के लिए करेगाः–

क्र0	समेकित स्वामिस्व राशि जमा करने की तिथि	भुगतेय राशि
1	30वीं नवम्बर तक	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 95 प्रतिशत्
2	31वीं दिसम्बर तक	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 100 प्रतिशत्
3	31वीं जनवरी तक	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 105 प्रतिशत्
4	28/29 वीं फरवरी तक	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 110 प्रतिशत्
5	31 वीं मार्च तक	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 115 प्रतिशत्
6	30 वीं जून तक	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 150 प्रतिशत्
7.	30 वीं जून के बाद	एक किस्त में समेकित रॉयलिटी का 200 प्रतिशत्

(5) **भुगतान में चूक के लिए कार्रवाई–** यदि ईट मिट्टी हटाने वाला/ ईट भट्ठा स्वामी उस विशिष्ट मौसम की इस प्रकार विहित रीति में रॉयलिटी की समेकित राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे व्यवसाय चालू रखने की स्वीकृति नही दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी उस व्यवसाय को रोक देने हेतु सक्षम होगा।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोनार्थ –

(क) **''व्यवसाय''** से अभिप्रेत और शामिल है ईट मिट्टी हटाने वाले/ईट भट्ठा स्वामी द्वारा ईट बनाना, पकाना और बेचना तथा ऐसा अन्य क्रियाकलाप जो ईट विनिर्माण से सहयुक्त हो।

(ख) इस नियम के प्रयोजनार्थ ईट मिट्टी हटाने वाले से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है वह व्यक्ति जिसके द्वारा अथवा जिसकी ओर से ईट विनिर्माण के लिए ईट मिट्टी हटाई जाती है।

(ग) इस नियम के प्रयोजनार्थ भट्ठा स्वामी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो ईट भट्ठा का स्वामी है अथवा जिसकी ओर से उस भट्ठा में ईटों का विनिर्माण किया जाता है और इसमें उस व्यक्ति का प्रबंधक, एजेन्ट और लीज धारक शामिल है।

(6) **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार से अपेक्षित अनापत्ति समर्पित नही करने वाले ईट भट्ठों के विरूद्ध कार्रवाई–** यदि ईट मिट्टी हटाने वाला/ईट भट्ठा स्वामी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार से अपेक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति और/या बिहार राज्य नियंत्रण बोर्ड से अपेक्षित उत्सर्जन सहमति आदेश समर्पित करने में असफल रहता है तो सक्षम अधिकारी /अनुमंडल अधिकारी/अंचल अधिकारी व्यवसाय रोक देगा और नियमों के उल्लंघन के लिए दंड प्रावधानों को आरंभ करने के लिए मामला पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार/ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

अध्याय–IX

पट्टा धारित क्षेत्र से बाहर लघु/वृहद खनिजों का भंडारण।

39 (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी लीज धारित क्षेत्र से बाहर लघु /वृहद खनिज का व्यवसाय चलाता है, खनन अधिकारी से **प्रपत्र–''ट''** में भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा जिसे व्यवसाय के सहजदृश्य स्थल पर दर्शाया जाएगा और सभी ऐसे खनिजों क्रय और विक्रय का समुचित लेखा एक रजिस्टर में **प्रपत्र ''ज''** में संधारित किया जाएगा। जिसके निरीक्षण के लिए खान आयुक्त, निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान एवं उपनिदेशक, खान या खनन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष

उपस्थापित किया जाएगा **प्रपत्र ''ट''** में लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ 10,000/– (दस हजार) रूपयें की फीस संलग्न की जाएगी।

(क) प्रत्येक ऐसा अनुज्ञप्ति एक कलेन्डर वर्ष के लिए वैध होगा।

(ख) अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन के साथ 2000/– का फीस संलग्न करना होगा।

(2) **उपनियम (1)** यथोल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति **प्रपत्र–'छ'** में अथवा विहित प्रपत्र में परिवहन चालान प्रत्येक वाहक को अपने स्टॉक से खनिजों को प्रेषित करते समय निर्गत करेगा।

(3) **उपनियम (1)** यथोल्लिखित व्यक्ति यदि **प्रपत्र ''ज''** में एक रजिस्टर संधारित करने अथवा **प्रपत्र ''ट''** में लाईसेंस प्राप्त करने अथवा **प्रपत्र ''झ''** में अथवा विहित प्रपत्र में चालान निर्गत करने में असफल रहता है वह साधारण कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा खनिज मूल्य के साथ 10,000/–(दस हजार) रू0 तक बढ़ाया जा सकेगा से अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

(4) किसी भी व्यक्ति को पट्टा क्षेत्र के बाहर किसी स्टोन क्रशर लगाने, प्रतिष्ठापित करने या प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परन्तु क्रशर के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर खनिज के लिए धारित विद्यमान भंडारण अनुज्ञप्ति, सभी सुसंगत नियमों/विधि के प्रावधानों/ अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्त्तों/बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी स्थापना हेतु सहमति/संचालनार्थ सहमति में वर्णित शर्त्तों के पालन करने पर उनके अनुज्ञप्ति अवधि की वैधता तक प्रचालन में रहेगा अन्यथा उल्लघंन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।

परंतु विभाग लीजधारक को अथवा विभाग द्वारा यथा विनिश्चित शर्त्तों पर निर्माण क्रियाकलाप में सीधे लगा हुआ व्यक्ति को पट्टा क्षेत्र सीमा के 500 मीटर की परिधि के भीतर मोबाइल क्रशर सहित किसी क्रशर के प्रतिष्ठान की स्वीकृति दे सकेगा।

अध्याय–X

ई–अपेक्षाएँ।

40. **इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के उपयोग–** खान आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, सभी खनिज समानुदान धारक अथवा किसी अन्य पणधारी से अपनी विवरणी (रिटर्न), विवरण तथा क्रियाकलाप इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने तथा इलेक्ट्रॉनिक रीति से सभी अथवा किसी कार्य की जिम्मेवारी लेने की अपेक्षा कर सकेगा। विभाग के कार्य प्रणाली को ई0 ऑफिस प्रणाली में परिवर्त्तित किया जायेगा ताकि कागज रहित व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके।

41. **ई–चालान।** –(1) लघु खनिजों का संचलन का, चाहे खनिज समानुदान धारक द्वारा हो या निगम द्वारा, अनुश्रवण प्रपत्र–**'छ'** में अथवा विहित ई–चालान के माध्यम से किया जाएगा।

42. **खनन एम.आई.एस.**–(1) विभाग सभी खनिज समानुदान धारक, निगम, और लघु खनिजों के परिवहन और व्यापार में लगे अन्य व्यक्तियों से, इस नियमावली के उपबंध के अधीन आने तथा विभाग द्वारा विकसित किए गए खनन एम.आई.एस. प्रणाली के अनुसार अपनी गतिविधियाँ की जिम्मेवारी लेने के लिए, अपेक्षा करेगा।

(2) विभाग अपने एम.आई.एस. के लिए विस्तृत मार्गदर्शन अधिकथित करेगा।

अध्याय–XI

खनिजों के संचलन के लिए पारगमन पास/चालान/ ई–चालान दिया जाना।

43. **परिवहन पर निषेध–** कोई भी व्यक्ति कोई अयस्क/खनिज का निकलने वाले स्थान से किसी साधन द्वारा पट्टा क्षेत्र या खनिजों के एक स्टॉक से अन्य स्थान पर इस नियमावली के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रपत्र **प्रपत्र–'छ'** में या विहित प्रपत्र में वैध पारगमन पास/चालान/ई–चालान अपने पास रखे बिना, परिवहन नही करेगा या करवाएगा अथवा ले जाएगा।

44. **खनिजों को ले जाने वाले वाहनों पर निर्बंधन–** राज्य सरकार किसी लघु खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकेगी और उनके कतिपय विनिर्देशनों पर दृढ़ रहने की अपेक्षा कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार परिवहन यानों जी0 पी0एस0 अथवा ऐसी अन्य युक्ति जो आवश्यक अधिष्ठापित करने तथा ऐसे निदेश देने, जिसे उचित समझे, देने की अपेक्षा कर सकेगा।

45. **खनिजों के संचलन विनियमित करने की शक्ति।–** अधिसूचना के माध्यम से विभाग, राज्य से अन्य राज्यों में खनिजों के निर्यात को नियंत्रित कर सकता है। इस क्रम में विभाग चेक पोस्ट, बैरियर धर्मकांटा इत्यादि अधिष्ठापित कर सकेगा।

यदि विभाग का विचार हो कि विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना खनिजों का परिवहन एवं भंडारण के रोकने की दृष्टि से वैसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा राज्य के भीतर

किसी स्थान या स्थानों पर चेक पोस्ट लगाने या बैरियर स्थापित करने अथवा दोनों के लगाने हेतु निदेश करेगा।

46. **रजिस्टर, रिटर्न और साईन बोर्ड।**–

(1) प्रत्येक खनिज समुदानधारक **प्रपत्र** ''**ज**'' मे एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें दिन–प्रतिदिन का संव्यवहार दर्ज किया जाएगा। वह साईन बोर्ड भी प्रदर्शित करेगा।

(2) प्रत्येक खनिज समानुदान धारक प्रत्येक माह सक्षम अधिकारी को **प्रपत्र** ''**झ**'' में खनिजों के लिए एक सत्य एवं सही रिटर्न जिस माह से वह संबंधित हो उसके अगले माह की 15वीं तिथि तक प्रत्येक समर्पित करेगा।

(3) प्रत्येक खनिज समानुदान धारक इस नियमावली से संलग्न **प्रपत्र** ''**ञ**'' में वर्षिक रिटर्न प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व पश्चात्वर्त्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में समर्पित करेगा।

(4) प्रत्येक खनिज समानुदान धारक खनन अधिकारी या खान निदेशक, खान अपर निदेशक या खान उपनिदेशक अथवा समाहर्त्ता द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को खनिज लेखाओं का निरीक्षण, सत्यापन एवं चेक करने की सभी युक्ति युक्त सुविधाएँ देगा।

(5) खनिज समानुदान धारक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो खनिजों को हटाया हो, प्रस्तुत किया लेखा, रिटर्न तथा अन्य साक्ष्य यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी की राय में पूर्णतः, या अंशतः अशुद्ध, अपूर्ण अथवा अविश्वासनीय हो तो संबंधित अधिकारी खनन अधिकारी को प्रतिवेदित करेगा जो बंदोबस्तधारी से बकाए स्वामिस्व की राशि अपनी सर्वोत्तम विवेक वृद्धि से निर्धारण करने हेतु अग्रसर होगा :

परन्तु यदि खनन अधिकारी स्वयं अपनी राय बना ली हो बंदोबस्तधारी से बकाए की स्वामिस्व की राशि का निर्धारण अपने सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से करने हेतु तुरंत अग्रसर होगाः

(6) राज्य सरकार लेखा/रिटर्न या अन्य साक्ष्य के अतिरिक्त आधुनिक प्रौधोगिकी यथा–ऐरियल सर्वे/ग्राउन्ड सर्वे या अद्यतन किसी रीति लगाकर प्रासंगिक समानुदान अवधि के दौरान उत्खनित खनिज की वास्तविक मात्रा विनिश्चित करने हेतु निदेश भी दे सकेगी।

अध्याय–XII

खनिज समुदान का रद्दकरण

47. **खनिज समानुदान स्थगित अथवा रद्द करने की शक्ति**–

(1) समाहर्ता अपने जिला में किसी खनिज समानुदान धारक का कोई खनन पट्टा रद्द/स्थगित करने के लिए सक्षम होगा।

(2) समाहर्ता राज्य सरकार द्वारा यथा विहित प्रतिबंधों के अध्यधीन सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी खनिज समानुदान को स्थगित अथवा रद्द कर सकेगा और उनकी प्रतिभूति जमा/अग्रधन जमा राशि जप्त कर सकेगाः–

(क) यदि खनिज समानुदान प्राप्त करने के लिए गलत दस्तावेज समर्पित किया जाता है, अथवा

(ख) यदि खनिज समानुदान अंतरित या उप पट्टा किया जाता है अथवा उसके धारक द्वारा शिकमी दिया जाता है; अथवा

(ग) यदि उसके धारक द्वारा देय खनन राजस्व का सम्यक् रूप से भुगतान नहीं किया जाता है; अथवा

(घ) ऐसे पट्टाधारी अथवा उसके अभिव्यक्त अथवा विवक्षित अनुमति से उसके सेवक अथवा अभिकर्ता अथवा उसकी ओर से कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे खनिज समानुदान, के किसी निबंधन और शर्तों को भंग करने की दशा में;

(ड.) यदि खनिज समानुदान धारक अथवा उसका अभिकर्ता अथवा कर्मचारी अधिनियम अथवा इस नियमावली अथवा खनन विषयों अथवा खनन राजस्व से संबंधित विषयों से जुड़े और सुसंगत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय अपराध अथवा किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन किसी संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध में सिद्धदोष हो;

(च) जिस उद्देश्य के लिए खनिज समानुदान स्वीकृत किया गया था वह यदि अस्तित्वहीन हो जाय;

(छ) यदि दुर्व्यपदेशन अथवा कपट से खनिज समानुदान प्राप्त किया गया हो।

(ज) यदि खनिज समानुदान धारक इस नियमावली में उल्लिखित किसी शर्तों का उल्लंघन किया हो।

(झ) यदि कोई खनिज समानुदान धारक पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असफल रहता है या उसमें उल्लिखित किसी शर्त्त का अतिक्रमण करता है।

(ञ) यदि खनिज समानुदान धारक खनन प्रचालन, करार हस्ताक्षर करने के तिथि से

तीन माह के भीतर, आरंभ करने में असफल रहता है;

(ट) यदि, किसी अन्य कारण से समाहर्ता का प्रथमदृष्टया यह समाधान हो जाये कि खनिज समानुदान रद्द किए जाने के योग्य है।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गई किसी कार्रवाई के लिए, खनिज समानुदान धारक किसी क्षतिपूर्त्ति या वापसी जो कुछ भी हो, का पात्र नहीं होगा।

(4) ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम, इस नियमावली और खनन पट्टा के किसी अन्य शर्त्त के किसी प्रकार के उल्लंघन का पता लगने की स्थिति में, राज्य सरकार या समाहर्ता उक्त खनन पट्टा को रद्द करने के अलावा उपयुक्त वित्तीय शास्तियाँ और/या आपराधिक अभियोजन भी अधिरोपित कर सकेंगे।

(5) ऐसी कोई भी शास्ति का उद्ग्रहण लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (अधिनियम 4/1914) के अधीन वसूलनीय होगा।

48. **प्रबंधन ग्रहण करने की समाहर्ता की शक्ति**— यदि कोई खनिज समानुदान धारक अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी नियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या उसपर अधिरोपित किसी शर्त्त का अनुपालन करने में चूकता है या इस नियमावली के अधीन समाहर्ता द्वारा निर्गत ऐसे युक्तियुक्त निदेशों का पालन करने से इंकार किए जाने पर या खनन पट्टा—अवधि की समाप्ति या वापसी होने पर, समाहर्ता, किसी भी समय, ऐसे खनन पट्टा या विशेषाधिकार रद्द करते हुए या उसके रद्दकरण के बिना —

(1) उस स्थापना के स्वामी की हानि और जोखिम पर ऐसे खनन कार्यों का प्रबंधन ग्रहण कर सकेगा; या

(2) उस स्थापना के स्वामी की हानि और जोखिम पर ऐसे स्थापना का प्रबंधन ग्रहण कर सकेगा; या

(3) खनन पट्टा या विशेषाधिकार की अनवसित अवधि के लिए उस स्थापना को, उसके स्वामी की हानि और जोखिम पर, किसी अन्य व्यक्ति या निगम को अंतरित कर सकेगा।

49. **लघु खनिज अधियाचना करने की समाहर्ता की शक्ति**—ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, किसी प्राकृतिक आपदा या भारी कमी या ऐसी अन्य आकस्मिकताओं की स्थिति में अथवा बफरस्टॉक बनाए रखने के लिए समाहर्ता खनिज समानुदान धारक से लघु खनिज की एक विनिर्दिष्ट मात्रा का उत्पादन अथवा उत्खनन करने एवं ऐसे स्थान एवं ऐसे दर पर वितरण करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

50. **खनिज समानुदान धारक द्वारा कारोबार छोड़ने का विकल्प**—

(1) कोई खनिज समानुदान धारक यथास्थिति, खनन पट्टा अवधि के किसी भी समय समाहर्ता को छः महीने का नोटिस देते हुए कारोबार छोड़ने का विकल्प दे सकेगा। फिर भी, यह विकल्प वैसे खनिज समानुदान धारक के लिए नहीं है जिन्होंने अपनी बोली की रकम या बंदोबस्ती की रकम का भुगतान नहीं किया है अथवा खनन पट्टे की किसी शर्त का उल्लघंन किया है।

(2) समाहर्ता ऐसे खनिज समानुदान धारक को कारोबार छोड़ने की अनुमति दे सकेगा और यथा वसूलनीय ऐसे किसी बकायों की कटौती कर खनिज समानुदान धारक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि वापस कर सकेगा।

(3) समाहर्ता, तदनंतर, यथास्थिति एक नई बिडिंग के लिए व्यवस्था की शुरूआत करेगा।

(4) धोखाधड़ी या खनन अथवा पर्यावरणीय शर्त्तों के उल्लंघन या प्रतिवेदित की गई किसी अन्य अनियमितताओं की स्थिति में, कारोबार छोड़ने का कोई विकल्प खनिज समानुदान धारक को उपलब्ध नहीं रहेगा और उनकी प्रतिभूति जमा जप्त हो जाएगी।

अध्याय–XIII
खनन राजस्व

51. **लगान/रॉयलिटी तथा निर्धारण**—

(1) जब खनिज समानुदान दिया अथवा नवीकृत किया जाएगा :—

(क) अनुसूची—II विनिर्दिष्ट दरों पर नियत लगान प्रभारित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची—III'क' में विनिर्दिष्ट दरों पर स्वामिस्व प्रभारित की जाएगी; तथा

(ग) पट्टाधारी द्वारा अधिभोग या उपयोग में लाए गए क्षेत्र समाहर्त्ता द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट दर पर सतह—लगान प्रभारित किया जाएगा।

(2) इस नियमावली के आरंभ की तिथि को एवं से उपनियम (1) के प्रावधान ऐसे आरंभ की तिथि के पूर्व दिए गए अथवा नवीकृत किए गए और इस तिथि की कायम पट्टों पर भी लागू होंगे।

(3) यदि खनिज समानुदान धारक इसी क्षेत्र में एक खनिज से अधिक खनिज का कार्य करने

की अनुज्ञा देता है तो समाहर्त्ता प्रत्येक खनिज के संबंध में पृथक नियत लगान को परिवर्तित कर सकेगा।

परन्तु लीजधारी प्रत्येक खनिज के संबंध में नियत लगान अथवा रॉयलिटी, जो उच्चतर राशि हो, का भुगतान करने का दायी होगा।

(4) पट्टा के किसी लिखित में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खनिज समानुदान धारक अनुसूची–II और अनुसूची–IIIक में समय–समय पर विनिर्दिष्ट दर पर लिए गए/निकाले अथवा हटाये गये किसी लघु खनिज के संबंध में लगान/रॉयलिटी का भुगतान करेगा।

(5) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस दर में बढ़ोत्तरी या कमी के संबंध में अनूसूची II, IIIक एवं IIIख का संशोधन कर सकेगी ताकि जिस पर लगान /रॉयलिटी, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से किसी लघु खनिज के संबंध में भुगतेय होगी।

(6) खनन अधिकारी, ऐसी जाँच पड़ताल तथा सत्यापन के बाद जिसे वह लीजधारी द्वारा प्रपत्र **''झ''** में मासिक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक समझे। वार्षिक रिटर्न प्रपत्र **''ञ''** में लीजधारी द्वारा विहित अवधि के अंत में भुगतेय लगान /रॉयलिटी की राशि निर्धारित करेगा।

(7) इस नियमावली में ये अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लघु खनिजों की नीलामी की दशा में रॉयलिटी नीलामी की राशि होगी। जहाँ रॉयलिटी प्रेषित मात्रा पर नीलामी राशि से अधिक हो वहाँ निकाले गए खनिजों की अधिक मात्रा के लिए अतिरिक्त रॉयलिटी भी भुगतेय हागी।

(8) खनिज समानुदान धारक समय–समय पर राज्य सरकार के प्राधिकारी द्वारा आंकलित, अधिरोपित तथा सभी लोक मॉगों का भी भुगतान करेगें।

52. **एकल बैंक खाता–**

(1) सभी खनिज समानुदान धारक आवश्यक रूप से उक्त पट्टे या संचलन अनुज्ञापत्र से संबंधित अपने सभी प्रचालन के लिए केवल एकल बैंक खाता प्रचलित करेंगे।

(2) खनिज समानुदान धारक आवश्यक रूप से उक्त बैंक खाते की जानकारी समाहर्त्ता, जिले के खनन पदाधिकारी, खान निदेशक तथा खान आयुक्त को देंगे।

(3) कोई व्यक्ति, जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, अभियोजित किया जायेगा।

53. **बैंक खाता फ्रिज करने की शक्ति–** जहाँ समाहर्त्ता को खनन अधिकारी के प्रतिवेदन पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी खनिज समानुदान धारक के बैंक खाता को सरकारी राजस्व की सुरक्षा करने अथवा अभियोजन की सहायता करने के लिए फ्रिज करना है तो वह तुरंत संबंधित बैंक को अगले आदेश तक उस बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी के बैंक खाता को फ्रिज करने हेतु निदेश देते हुए आदेश करेगा।

54. **कैसे शुल्क तथा पेशगी जमा की जाएगी–** इस नियमावली के अधीन भुगतेय कोई राशि कोषागार में कागजी चालान अथवा इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण के माध्यम से संदत्त की जाएगी।

55. सरकार अधिनियम अथवा इस नियमावली के किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी लगान स्वामिस्व अथवा फीस या सरकार की बकाया राशि पर वार्षिक 24 प्रतिशत् की दर से साधारण ब्याज प्रभारित कर सकेगी।

अध्याय–XIV

अपराध और शास्तियाँ।

56. **लघु खनिजों के अप्राधिकृत निष्कासन एवं हटाये जाने के लिए शास्ति–**

(1) जो कोई भी लघु खनिजों को निष्कासित या हटाते हुए पाया जाता है अथवा जिसकी ओर से ऐसा निष्कासन या हटाया जाता है जो इस नियमावली के प्रतिकुल हो चाहे वह ऐजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी, ठीकेदार या उप पट्टाधारी हो, लघु खनिज के अविधिपूर्ण हटाये जाने का पक्षकार माना जाएगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति साधारण कारावास से जिसे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा जुर्माने से जिसे पाँच लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनो से दंडनीय होगा।

(2) कोई भी वाहन का प्रभारी कोई व्यक्ति खनिज ले जाते समय यदि **प्रपत्र 'छ'** में या विहित प्रपत्र में चालान प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसे चालान का निरीक्षण, निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान, उपनिदेशक, खान या खनन अधिकारी या खान निरीक्षक या समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा करने से इन्कार करता है तो वह अधिकारी वाहन के प्रभारी व्यक्ति से जुर्माने के साथ, जिसे दस हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, खनिज का मूल्य वसूल कर सकेगा।

प्रपत्र–छ में वैध चालान के बिना खनिज के परिवहन की दशा में खनिज के कुल मूल्य और जुर्माना, जिसे दस हजार रूपये तक बढाया जा सकेगा, वाहन के प्रभारी व्यक्ति से वसूला जाएगा और सरकारी शीर्ष में जमा किया जा सकेगा। शास्तिों के संग्रहण ओर जमा की रीति एवं औपचारिकताएँ विभाग द्वारा, समय–समय पर विनिश्चित की जाएगी :

परन्तु जब वाहन में लदा हुआ खनिज की मात्रा चालान में उल्लेखित मात्रा से भिन्न हो तो प्राधिकृत अधिकारी उस जुर्माने के साथ, जिसे दस हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा केवल अंतर की मात्रा के लिए खनिज के मूल्य की वसूली कर सकेगा। मूल्यांकन की गई मात्रा का निर्धारण केवल नेत्रानुमान से न कर धर्मकाँटा से किया जायेगा।

अधिरोपित दण्ड की राशि के संग्रहण/जमा करने हेतु विभाग द्वारा मनी रसीद संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को निर्गत किया जायेगा जो दण्ड की राशि मनी रसीद के माध्यम से प्राप्त कर सरकारी कोष में जमा करेगें।

(3) जो कोई भी वैध लीज/परमिट के बिना लघु खनिज हटाता है अथवा जिसकी ओर से इस नियमावली के विरूद्ध ऐसा हटाया जाता है वह ऐजेंट, प्रबंधक ठीकेदार, उपपट्टाधारी लघु खनिज का अविधिमान्य हटाए जाने का पक्षकार होना और उसका मूल्य चुकाने का दायी होगा और सरकार उस व्यक्ति से उस अवधि के लिए जिसके दौरान भूमि इस व्यक्ति के अधिभोग किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना इस नियमावली या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उसे विरूद्ध की जानेवाली अन्य कार्रवाई के प्रतिकूल के बिना यथा स्थिति, लगान, स्वामिस्व अथवा कर की वसूली कर सकेगी।

57. **सरकारी परियोजनाओं मालिकाना फीस–**

(1) सभी सरकारी विभाग, विशेषकर अपनी स्कीम या परियोजनाओं के लिए किसी लघु खनिज का उपयोग करने हेतु मालिकाना फीस की कटौती अपने आपूर्त्तिकर्त्ता या संवदेक से करेगें।

(2) ऐसी मालिकाना फीस की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10(दस) प्रतिशत् फ्लैट दर पर कार्य विभागों द्वारा अपने आपूर्त्तिकर्त्ता/ कार्य ठिकेदारों से की जाएगी और जिले के खनन अधिकारी के पास जमा की जाएगी।

राज्य सरकार, समय–समय पर मालिकाना फीस में बढ़ोतरी या कमी कर सकेगी।

58. **लघु खनिजों का विक्रय मूल्य–** अंतिम उपभोक्ता या जनता के लिए खनिजों का विक्रय मूल्य बाजार बल द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय–XV

अपराधो की पहचान, अनुसंधान तथा विचारण।

59. **प्रवेश निरीक्षण तलाशी लेने तथा जप्त करने की शक्ति–**

(1) किसी खदान अथवा परित्यक्त खदान के संभावित स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से अथवा इस नियमावली से संबंधित अन्य उद्देश्य से काम करने की स्थिति निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई यथा–

(क) खान आयुक्त, खान निदेशक; या

(ख) समाहर्त्ता या समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी,

(ग) अपर निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, खनिज विकास पदाधिकारी और खान निरीक्षक निम्नलिखित कर सकेगा :–

(i) किसी खदान में प्रवेश और निरीक्षण;

(ii) किसी ऐसे खदान का सर्वे और माप करना ;

(iii) किसी खदान में उपलब्ध खनिज स्टॉक का वजन माप करना या माप लेना;

(iv) किसी खदान एवं स्थान उसपर पहचान चिन्ह से संबंधित या के नियंत्रण वाले किसी व्यक्ति के कब्जे वाले किसी दस्तावेज, पुस्त या रजिस्टर या अभिलेख की जाँच करना तथा उस दस्तावेज, पुस्त, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धधरण लेना एवं उसकी प्रतियाँ तैयार करना;

(v) खंड (iv) में यथा निर्देशित किसी ऐसे दस्तावेज, पुस्त या रजिस्टर के उपस्थापन का आदेश देना ;

(vi) किसी खदान पर नियंत्रण रखने वाले या से संबंधित किसी व्यक्ति की जाँच करना ;

(vii) किसी दस्तावेज, नमूना, उपकरण, सवारी, जानवर, सामान, लघु खनिज सामग्री, कच्चे माल या संबंधित किसी अन्य वस्तुओं को जब्त करना।

(2) ऐसी तलाशी और जब्ती की दशा में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के प्रावधान लागू होंगे।

60. **किसी वाहक, परिवहन या पात्र को रोकने और उसकी जाँच करने की शक्ति–**

(1) नियम 59 में उल्लेखित पदाधिकारी लघु खनिज से लदे हुए ले जाने वाले वाहन को जॉच करने के लिए रोक सकेगा।

(2) यदि पदाधिकारी प्रथम दृष्टया में पाता है कि वाहन का भार अनुमत मात्रा और/या परिवहन चालान में निर्धारित मात्रा के अनुरूप नही पाता है तो वह निकटम धर्मकॉटा से वनज करा सकेगा एवं इसका खर्च ड्राईवर अथवा मालिक द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति खनन पदाधिकारी की विधिसंगत समादेश का पालन करने से इंकार करता है, तो उसे इस नियमावली के अधीन अभियोजित किया जायेगा।

61. **लिखित शिकायत पर संज्ञेय अपराध–** प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से अन्यून कोई न्यायालय इस नियमावली के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा और कोई न्यायालय सक्षम अधिकारी या उप निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान, निदेशक, खान अथवा सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की गई लिखित शिकायत के सिवाय इस नियमावली के अधीन किसी अपराध को संज्ञान नहीं लेगा।

62. **अपराध का शमन–** सक्षम अधिकारी, समाहर्त्ता के अनुमोदन से किसी व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित किसी मामले का उसके निदेशन पर यदि शिकायत संस्थित की गई हो और उस राशि के सरकारी खाते में भुगतान पर, जो अपराध के लिए भुगतेय विनिश्चित की जाय, शमन कर सकेगा।

परंतु जहाँ कोई मामला उप निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान, निदेशक, खान अथवा सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा संस्थित किया गया हो वहाँ वह आयुक्त के अनुमोदन से, किसी व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित किसी मामले को शमन कर सकेगा।

63. **गिरफ्तारियों, जब्तियों और तलाशियों के प्रतिवेदन–** प्रत्येक खनन पदाधिकारी कोई गिरफ्तारी, तलाशी या जब्ती करने पर इसका प्रतिवेदन चौबीस घंटे के अन्दर समाहर्ता को एक प्रतिवेदन सौंपेगा।

64. **विशेष न्यायालय–**

(1) अधिनियम की धारा 30 ख के अधीन प्रदत्त शक्ति के निबंधनों के अनुसार, राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन सभी या किसी अपराधों के विचारण के प्रयोजनों के लिए यदि जनहित में आवश्यक समझती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिला में विशेष न्यायालय या तो नियुक्त या अभिहित कर सकेगी।

(2) विशेष न्यायालय विशेष न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली होगी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम 2) के अधीन सत्र न्यायधीश या अपर सत्र न्यायधीश या सहायक सत्र न्यायधीश हों या रहे हों।

(3) विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध के इस अधिनियम के अधीन विचारण का किसी अन्य न्यायालय (जो विशेष न्यायालय न हो) में अभियुक्त के विरूद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर अग्रता होगी और ऐसे अन्य मामलों के विचारण को अधिमानता में तय की जायेगी।

65. **मामलों को नियमित न्यायालयों में अंतरित करने की शक्ति–** जहाँ इस नियमावली के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात कोई विशेष न्यायालय यह समझता है कि इस अपराध का विचारण इस न्यायालय में करने योग्य नहीं है, तो वह इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अपराध का विचारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय के पास नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम 2) के अधीन क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय के पास मामला अंतरित कर सकेगा और जिस न्यायालय के पास मामला अंतरित किया गया है वह अपराध के विचारण को इस प्रकार आगे बढ़ाएगा मानो इस अपराध का संज्ञान उसी ने लिया हो।

66. **अपील–** कोई भी व्यक्ति, जो विशेष न्यायालय के किसी आदेश से व्यथित है तो वह आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

अध्याय–XVI

अपील और पुनरीक्षण।

67. **अपील–**

(1) खनन अधिकारी द्वारा पारित सभी अंतिम आदेश, आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर समाहर्त्ता के समक्ष अपीलीय होंगे।

(2) समाहर्त्ता द्वारा पारित सभी अंतिम आदेश, आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर खान आयुक्त के समक्ष अपीलीय होगे।

(3) सभी अपील दाखिल किय जाने की तिथि से तीन माह के भीतर निपटाए जाएंगे। उस नियम में सभी अपील **प्रपत्र 'ठ'** में होंगे।

68. **पुनरीक्षण–**

(1) खान आयुक्त किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणाों से और यदि इस नियमावली के अधीन समाहर्त्ता द्वारा पारित किसी आदेश से व्यक्ति आदेश के संसूचन की तिथि से 60 दिनों के भीतर और उस तिथि से 75 दिनों के भीतर जिस तिथि को कोई आवेदन समाहर्त्ता द्वारा नामंजूर किया गया समझा जाता है, यदि वैसे नामंजूरी की कोई संसूचना नहीं दी जाती है, कोई आवेदन दाखिल करता है, आदेश के पुनरीक्षण के लिए कार्यवाही आरंभ कर देंगे :

परन्तु पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन यथा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय के बाद भी ग्रहण किया जा सकेगा यदि आवेदक खान आयुक्त का यह समाधान कर देता है कि उसके पास समय पर आवेदन नहीं दाखिल करने का पर्याप्त कारण था।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन और उसकी प्रतियाँ प्राप्त होने पर, खान आयुक्त आवेदन की एक प्रति और उपनियम (1) के अधीन स्वप्रेरणा से उसके द्वारा कार्यवाही आरंभ की गई हो वहाँ वह कार्यवाही आरंभ करने तथा उसके कारण की सूचना, पक्षकार बनाए गए प्रत्येक पक्षकार को वह तिथि विनिर्दिष्ट करते हुए यदि कोई हो, पुनरीक्षण आवेदन के विरूद्ध दे सकेगा, भेज देगें।

(3) उपनियम (2) के निदेशित अभिलेखों पर विचार करने के बाद खान आयुक्त उस आदेश को संपुष्ट (संशोधित) या खारिज कर सकेगा अथवा उसके संबंध में ऐसा अन्य आदेश, खान आयुक्त उपयुक्त एवं उचित समझें, पारित कर सकेगे और उनका आदेश अंतिम होगा।

(4) पुनरीक्षण के लिए किसी आवेदन के अंतिम निपटारे के लंबित रहते हुए खान आयुक्त, पर्याप्त कारणों से, उस आदेश का निष्पादन को स्थगित कर सकेंगे जिसके विरूद्ध कोई पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया हो।

अध्याय–XVII

प्रवर्त्तन।

69. **राज्य स्तरीय खनन कार्यबल–** (1) एक राज्य स्तरीय खनन कार्यबल निम्नवत् गठित किया जाएगा : –

(क)	मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
(ख)	विकास आयुक्त	–	सदस्य
(ग)	प्रधान सचिव, गृह	–	सदस्य
(घ)	पुलिस महानिदेशक	–	सदस्य
(ड.)	प्रधान सचिव,पर्यावरण एवं वन	–	सदस्य
(च)	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार	–	सदस्य
(छ)	प्रधान सचिव, उद्योग	–	सदस्य
(ज)	प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग	–	सदस्य
(झ)	प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग	–	सदस्य
(ञ)	प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	–	सदस्य
(ट)	प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	–	सदस्य
(ठ)	प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग	–	सदस्य
(ड़)	अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्	–	सदस्य
(ढ़)	प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	–	सदस्य
(ण)	निदेशक, खान	–	सदस्य–सचिव ।

(2) मुख्य सचिव किसी अन्य अधिकारी या विशेषज्ञ को उपस्थित होने तथा राज्य स्तरीय खनन कार्य बल की बैठक में भाग लेने और योगदान करने हेतु सहयुक्त या आमंत्रित कर सकेंगे। आधे सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्त्ति होगी ।

70. **संवीक्षा समिति–** राज्य स्तरीय खनन कार्यबल, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में, इन सदस्यों के साथ, जैसा वह उचित समझें, एक संविक्षा समिति गठित करेगा। संवीक्षा समिति राज्य स्तरीय खनन कार्यबल के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

71. **राज्य स्तरीय खनन कार्यबल के कृत्य–** राज्य स्तरीय खनन कार्य बल इस नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा और राज्य में लघु खनिजों के उत्खनन, व्यापार तथा उपलब्धता की संवीक्षा करेगा । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित भी करेगा –

(1) अधिनियम तथा इन नियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन का उपबंध करेगा।

(2) इन नियमों को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक नीतियों एवं मार्गदर्शनों का निर्माण करेगा।

(3) ऐसी कार्रवाई का जिम्मा लेने हेतु किसी अन्य विभाग निदेश जारी करेगा जो अधिनियम तथा इस नियमावली के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक हो।

(4) यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिकथित पर्यावरणीय रक्षोपत्यों के अनुसार खनन क्रियाकलाप चलाया जा रहा है।

72. **प्रमंडल स्तरीय खनन कार्यबल–** (1) प्रमंडल स्तरीय खनन कार्यबल निम्नवत् गठित किया जायेगा :–

(क)	प्रमंडलीय आयुक्त	–	अध्यक्ष
(ख)	सीमावर्त्ती प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त	–	सदस्य
(ग)	प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक	–	सदस्य
(घ)	सीमावर्त्ती प्रमंडलों के पुलिस महानिरीक्षक	–	सदस्य
(ड.)	वन संरक्षक	–	सदस्य
(च)	प्रमंडल के सभी समाहर्त्ता	–	सदस्य
(छ)	प्रमंडल के सभी पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
(ज)	प्रमंडल के सभी जिला वन अधिकारी	–	सदस्य
(झ)	प्रमंडल के सभी खनन पदाधिकारी	–	सदस्य
(त्र)	प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव	–	सदस्य–सचिव ।

(2) प्रमंडलीय आयुक्त ऐसे सदस्यों को, जैसा उचित समझें, अतिरिक्त रूप से सह–युक्त कर सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त ऐसे जिलों के समाहर्त्ताओं एवं पुलिस अधीक्षकों को भी जिनकी सीमाऍं प्रमंडल के साथ हैं, आमंत्रित कर सकेंगे।

(3) आधे सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्त्ति होगी।

(4) यह माह में एक बार बैठक करेगी ।

73. **प्रमंडल स्तरीय खनन कार्यबल के कृत्य–** प्रमंडल स्तरीय खनन कार्यबल इन नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा और प्रमंडल लघु खनिजों के उत्खनन, व्यापार तथा उपलब्धता की संवीक्षा करेगा । इसके अतिरिक्त यह निम्नलिखित भी करेगा:–

(1) प्रमंडल के जिलों एवं प्रमंडल के सीमावर्त्ती जिलों के बीच अंतर्जिला समन्वय सुनिश्चित करेगा।

(2) प्रमंडल के भीतर और बाहर के जिलों के आर–पार लघु खनिजों के अवैध खनन एवं अवैध परिवहन को रोकने हेतु समन्वित कार्य–योजना तैयार करना और प्रारंभ करना ।

74. **जिला स्तरीय खनन कार्यबल–** (1) जिला स्तरीय खनन कार्यबल निम्नवत् गठित किया जायेगा:–

(क)	समाहर्त्ता	–	अध्यक्ष
(ख)	पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
(ग)	सभी अनुमंडलीय अधिकारी	–	सदस्य
(घ)	सभी अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी	–	सदस्य
(ड.)	प्रमंडलीय वन अधिकारी	–	सदस्य
(च)	पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता	–	सदस्य
(छ)	जिला परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
(ज)	जिला खनन पदाधिकारी	–	सदस्य–सचिव ।

(2) समाहर्त्ता जिला स्तरीय खनन कार्यालय की बैठक में उपस्थित होने और योगदान करने हेतु किसी अन्य अधिकारी या विशेषज्ञ को सह–युक्त कर सकेंगे।

(3) आधे सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्त्ति होगी।

(4) यह बैठक निश्चित रूप से माह में एक बार या विभाग द्वारा निदेशित पूर्व क्रम (frequency) पर होगी।

75. **जिला स्तरीय खनन कार्यबल के कृत्य–** जिला स्तरीय खनन कार्य बल इन नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा और जिले में लघु खनिजों के उत्खनन, व्यापार तथा उपलब्धता की संवीक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित भी करेगा:–

(1) यह सुनिश्चित करना कि खनन पट्टे की शर्त्तों के अनुसार सभी खनन क्रिया–कलाप किया जा रहा है।

(2) यह सुनिश्चित करना कि लघु खनिजों का कोई अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओभरलोडिंग, जमाखोरी तथा काला बाजारी नहीं किया जा रहा है।

(3) लघु खनिजों का सभी फुटकर कारबार इन नियमों के अनुसार किया जा रहा है।

(4) दूसरे विभागों को यह निदेश जारी कर सकेगा कि वे नियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे कदम उठाये जो आवश्यक हों।

(5) यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिकथित पर्यावरणीय रक्षोपाय के अनुसार खनन क्रियाकलाप चलाया जा रहा है।

अध्याय–XVIII

छूट

76. **इस नियमावली के उपबंधों से लघु खनिजों को छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति–** राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा या तो पूरे राज्य में या राज्य के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, किसी विनिर्दिष्ट अवधि या अवसर के लिए या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए, किसी लघु खनिज को पूर्णतः या अंशतः और वैसे शर्तों (यदि कोई हो) के अध्यधीन, जिसे विहित करना उचित समझे इस नियमावली के सभी या किन्ही उपबंधों से छूट दे सकेगी।

77. **इस नियमावली के किसी उपबंध के प्रवर्तन को शिथिल करने की सरकार की शक्ति–**

(1) राज्य सरकार इस नियमावली के एक या अनेक उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल कर सकेगी यदि सरकार के विचार से ऐसी शिथिलता लोक हित में आवश्यक हो।

(2) इस नियमावली में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, राज्य सरकार ऐसे मामले में, जिसमें सरकार लोक हित में उचित समझती है तो, खनन पट्टा/खनन बंदोबस्ती की मंजूरी दे सकेगी, और लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से, इस नियमावली में विहित शर्तों एवं निबंधनों से भिन्न शर्तों एवं निबंधनों पर किसी को उत्खनन अनुज्ञापत्र / संचलन अनुज्ञापत्र की मंजूरी को प्राधिकृत कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार इस नियमावली में विहित शर्तो एवं निबंधनों से भिन्न शर्तों एवं निबंधनों पर किसी सरकारी विभाग अथवा राज्य स्वामित्व वाले निगम को अपने क्षेत्राधिकार के अधीन किसी इलाके में खनन पट्टा/बंदोबस्ती की मंजूरी दे सकेगी।

78. **किसी कार्य विभाग को खनन पट्टा आदि–**

(1) इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी कार्य विभाग को, जिलों के विनिर्दिष्ट संख्या में किसी विशिष्ट योजना के लिये विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये अनुज्ञप्ति/पट्टा मंजूर कर सकेगी ।

(2) उक्त कार्य विभाग को बकाया स्वामिस्व तथा ऐसी अन्य फीस, जो इस नियमावली के अधीन लागू हो, देनी होगी।

अध्याय–XIX

विविध।

79. **प्रत्यक्ष गलतियों का सुधार करने की शक्ति–** इस नियमावली के अधीन सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकार अथवा इस नियम के अन्तर्गत पदाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में पाई गई किसी लिपिकीय अथवा गणितीय गलती और आकस्मिक भूल–चूक या लोप के कारण उसमें उत्पन्न किसी भूल का सुधार आदेश की तिथि से दो साल के अन्दर राज्य सरकार के प्राधिकार या अधिकारी यथा स्थिति कर सकेगें;

परंतु किसी व्यक्ति के प्रतिकूल कोई आदेश तब तक नही पारित किया जाएगा जब तक कि उसे अपना मामला अधिकथित करने का अवसर न दे दिया गया हो।

80. **पट्टा की प्रति प्रस्तुत करना–** इस नियमावली के आरंभ के पूर्व से किसी प्राईवेट व्यक्ति से खनन पट्टा अथवा उप पट्टा धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस खनन अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में उस पट्टा या उप पट्टा द्वारा आच्छादित क्षेत्र या क्षेत्र अवस्थित हो या ना हो, पट्टा या उप पट्टा की सत्यापित या सच्ची प्रति समर्पित करेगा।

81. **खनन पट्टा का निर्वचन–** प्रत्येक लीज, लीज से संबंधित लीजधारी द्वारा विवाद के किसी प्रश्न अथवा किसी अन्य विषय या चीज/लीज में निर्माण के निर्बंधन और शर्त्त अथवा लीज में विनिर्दिष्ट

लघु खनिजों के खनन से संबंधित कोई बात अथवा खान या खनन क्रिया का सक्रियता अथवा असक्रियता तथा रॉयलिटी या नियत लगान या खनन अधिकारी को भुगतान की उसकी रीति का समाहर्त्ता के विनिश्चय के लिए प्रावधान करेगी जो अंतिम होगा और लीजधारी पर आबद्धकर होगा।

82. **इस नियमावली के अधीन भुगतेय लगान, रॉयलिटी तथा शस्ति की वसूली की रीति–** लगान रॉयलिटी या शास्ति बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन लोक मांग के रूप में वसूलनीय होगी।

83. **सतह अधिकार आदि के स्वामी को प्रतिकर का भुगतान–**

(1) लघु खनिज धारक जिस भूमि पर खनिज समुदान धारित करता है इस भूमि के सतह के अधिभोगी को वह प्रतिकर भुगतान करने का दायी होगा जो समाहर्त्ता द्वारा विनिश्चत किया जाय।

(2) कृषि भूमि के मामले में वार्षिक कर की राशि पूर्ववर्त्ती 03 वर्षों के लिए समकक्ष भूमि की खेती के लिए औसत वार्षिक वास्तविक आय के आधार पर निकाली जाएगी।

(3) गैर कृषि भूमि के मामले, वार्षिक प्रतिकर की राशि पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए समकक्ष भूमि के औसत वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर निकाली जाएगी।

(4) उपनियम (1) में निर्देशित वार्षिक प्रतिकर का भुगतान उस तिथि के पूर्व किया जाएगा जो समाहर्त्ता द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

84. **निदेश जारी की शक्ति–**

(1) विभाग, खनिज जमा, के सुव्यवस्थित विकास के हित में खनिजों के संरक्षण, वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण के सतत विकास और सुरक्षा के लिए खनन लीज/बंदोबस्ती के स्वामी, ऐजेन्ट या प्रबंधक को निदेश जारी कर सकेगा।

(2) उपनियम(1) के अधीन जारी प्रत्येक निदेश का पालन यथास्थित, खनन लीज/बंदोबस्ती के स्वामी, ऐजेन्ट या प्रबंधक द्वारा किया जाएगा, जो ऐसे निदेश प्रभावी करने में किसी कठिनाई की दशा में ऐसे निदेश के उपांतरण अथवा विखंडन के लिए आवेदन कर सकेगा और इस संबंध में विभाग द्वारा वैसा प्राधिकृत अधिकारी या तो उस निदेश उपांतरित अथवा विखंडित कर सकेगा अथवा उसे संपुष्ट कर सकेगा।

85. **पदाधिकारियों का लोक सेवक होना–**

(1) अधिनियम अथवा इस नियमावली के अधीन किसी शक्ति का उपयोग करने या किन्हीं कार्यों को करने में सक्षम सभी पदाधिकारी और व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45) की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएँगे।

(2) इस अधिनियम या इस नियमावली या खनन राजस्व से संबंधित तात्कालिक रूप से लागू किसी अन्य कानून के अनुपालन में सद्भावपूर्वक किये गये किसी कार्य या करने हेतु दिये गये आदेश के लिए राज्य सरकार या किसी खनन पदाधिकारी के विरुद्ध क्षति के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं होगी।

(3) इस नियमावली के अनुसरण में कुछ करने या किये जाने के आरोप के संबंध में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी वाद पर कोई सिविल न्यायालय विचारण नहीं करेगा, और पूर्व अनुशास्ति को छोड़कर, कोई दण्डाधिकारी किसी खनन पदाधिकारी के विरुद्ध इस नियमावली के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये किसी आरोप का संज्ञान नहीं लेगा।

86. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण–**किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस नियमावली के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए नहीं होगी।

87. **आदेशों का लागू रहना–**बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972, (समय–समय पर यथा संशोधित) बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण निवारण) नियमावली, 2003, बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 या खान आयुक्त, समाहर्ता, राजस्व पर्षद या खनन के मामलों से संबंधित उन नियमावलियों और जो उनकी समाप्ति के तत्काल पूर्व लागू थीं के अधीन नियुक्त किसी अन्य खनन पदाधिकारी के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश अधिसूचना, नियम या विनियम, जहाँ तक ऐसे आदेश या अधिसूचना या नियम या विनियम अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हों, अविराम लागू और अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन निर्मित समझे जाएँगे।

88. **निरसन और व्यावृतियाँ—**

(1) बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972, बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 और बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 एतद् द्वारा निरसित की जाती है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली तथा नीति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम तथा इस नियमावली के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझा जाएगा।

(3) ऐसे निरसित नियमावली के किन्ही उपबंधों के सभी संदर्भ इस नियमावली के तत्संबंधी उपबंधों के संदर्भों के रूप में समझे जाएँगे।

(4) इस नियमावली के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व किसी पदाधिकारी, प्राधिकार या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियाँ (अन्वेषण के माध्यम से की गयी कार्यवाहियों सहित) ऐसे प्रारंभ पर इस नियमावली के अनुसार इसके समक्ष लंबित कार्यवाही समझी जाएँगी और तदनुरूप कार्रवाई की जाती रहेंगी।

89. **कठिनाई दूर करने की शक्ति—** इस नियमावली के उपबंधों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा उपबंध कर सकेगी जिसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

90. **नियमावली का रखा जाना—**यह नियमावली जैसे ही बनाई जाय, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

अनुसूची–I

[नियम 2(x) देंखे]

1	खनन लीज के लिए आवेदन	प्रपत्र–क
2	खनन लीज के विलेख	प्रपत्र–ख
3	खनन क्रिया परमिट के लिए आवेदन	प्रपत्र–ग
4	खनन क्रिया परमिट	प्रपत्र–घ
5	खनिज निपटान परमिट देने हेतु आवेदन	प्रपत्र–ङ०
6	खनिज निपटान परमिट के लिए फारम	प्रपत्र–च
7	ई0चालान का प्रपत्र	प्रपत्र–छ
8	लीजधारी/परमिट धारक द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर	प्रपत्र–ज
9	मासिक रिटर्न	प्रपत्र–झ
10	वार्षिक रिटर्न	प्रपत्र–ञ
11	स्टॉकिस्ट लाइसेन्स	प्रपत्र –ट
12	अपील के लिए फारम	प्रपत्र–ठ

अनुसूची–II

[नियम 51(1)(क) देंखे]

अनिवार्य लगान

अवधि	**अनिवार्य लगान की दर (रूपये में)**
1	2
पट्टा की सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रति वर्ष की दर	50,000.00 रू0 प्रति एकड़ प्रति वर्ष

अनुसूची–III क

[नियम 51(1)(ख) देंखे]

क्रमांक	रॉयलिटी खनिजों का नाम	प्रतिघनमीटर दर, रूपये में।
1	2	3
1	(क) बोल्डर, ग्रेवेल अथवा पत्थर चाहे जिस नाम से परिभाषित हो (ख) नीलामी की रीति से बंदोबस्त पत्थर	150.00 नीलामी की दशा में नीलामी की राशि।
2	(क) निर्माण प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया साधारण बालू (ख) नीलाम घाटों का साधारण बालू	75.00 नीलामी की दशा में नीलामी की राशि।
3	ईट मिट्टी (400 मानक ईटों के बराबर)	18.00
4	साधारण मिट्टी/क्ले जिसका उपयोग बॉध, सड़क, रेलवे, भवन, आदि के निर्माण के प्रयोजन में भरने तथा लेवल करने आदि तथा अन्य वाणिज्यिक कार्य हेतु जिसका उपयोग किया जाता हो।	33.00
5	लाईम सेल, लाईम स्टोन तथा कंकड जिसका उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में किल्न हेतु चूना के विनिर्माण के लिए किया जाता हो तथा चूना का उपयोग बटन के विनिर्माण के लिए किया जाता हो।	165.00
6	मोरम	83.00
7	कैल्सीडोनी कंकड़ जिसका उपयोग केवल बॉल मिल के प्रयोजनार्थ होता है।	95.00
8	ग्रैड्रंलर मिट्टी	83.00
9	क्वार्टइज जिसका उपयोग भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ या सड़क बनाने के लिए किया जाता है।	150.00

क्रमांक	रॉयलिटी खनिजों का नाम	प्रतिघनमीटर दर, रूपये में।
1	2	3
10	रेह मिट्टी	34.00
11	साल्ट पीटर	38.00
12	स्लेट तथा सेल जब उसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है।	110.00
13	फूलर्स मिट्टी (अर्थ)	124.00
14	स्टोन जिसका उपयोग ग्रिन्डिंग स्टोन सहित घरेलू बर्त्तन बनाने के लिए होता हो।	95.00
15	स्टोन सेट तथा स्टोन ब्रिक प्रति सैकड़ा	95.00
16	स्टोन डस्ट	30.00
17	ग्रेनाईट डिकोरेटिंग स्टोन के लिए उपयोग की दशा में प्रति सैकड़ा— (I) 60से0मी0 से अधिक ब्लॉक (II) 60 से0मी0 से कम ब्लॉक	 709.00 355.00
18	क्वार्टज	73.00
19	बालू (अन्य)	75.00
20	सिलिका बालू	75.00
21	स्टीटाईट अथवा टाल्क या सोप स्टोन	
22	अगेट	मूल्यानुसार आधार पर विक्रय मूल्य का तीस प्रतिशत्।
23	बालक्ले	
24	बारिट्स	
25	काल्केरियस बालू	
26	कैल्साइट	
27	चॉक	
28	चइना क्ले	
29	क्ले (अन्य)	
30	कोरन्डम	
31	डिअयसपोर	
32	डोलोमाईट	
33	डूनिट अथवा पाईरोक्सेनाईट	मूल्यानुसार आधार पर विक्रय मूल्य का तीस प्रतिशत्।
34	फेल्साइट	
35	फेल्सपार	
36	फायर क्ले	
37	फुसाईट क्वार्ट्जाईट	
38	जिप्सम	
39	जस्पर	
40	कायोलीन	
41	लैटेराइट	
42	माईका	
43	ओक्रे	
44	पाइरो काइलाईट	
45	सभी अन्य खनिज	

नोटः— (I) बिहार खनिज समानुदान (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 या अन्यथा में प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, बंदोबस्तधारी नीलामी राशि के समकक्ष से अधिक उत्खनित तथा प्रेषित पत्थर की मात्रा के लिए अतिरिक्त रॉयलिटी का भुगतान करेगा।

नोटः— (II) बंदोबस्तधारी नीलामी राशि के समकक्ष से अधिक उत्खनित तथा प्रेषित बालू की मात्रा के लिए अतिरिक्त रॉयलिटी का भुगतान करेगा।

नोटः— (III) साधारण मिट्टी के गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई रॉयलिटी उगाही नही जाएगी।

अनुसूची–III ख

[नियम 38(1) देंखे]

बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 38(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित विभिन्न क्षेत्रों, जनसंख्या, असैनिक निर्माण कार्य की स्थिति, औद्योगिक निर्माण कार्य की स्थिति, शहरीकरण की अवस्था एवं औद्योगिक विकास की गति को ध्यान में रखते हुए बिहार के राज्यपाल विभिन्न क्षेत्रों को श्रेणियों में विभाजित करते हुए प्रत्येक स्थायी चिमनी एवं बंगला ईट भट्ठों के लिए ईंटों की संख्या और उस पर ईट भट्ठा मालिकों/ईंट मिट्टी हटाने वालों द्वारा प्रति भट्ठा प्रति वर्ष राज्य सरकार को देय समेकित स्वामिस्व की राशि निर्धारित करते हैं जो निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है :–

तालिका

क्रमांक	क्षेत्र की श्रेणी	जिला का नाम तथा क्षेत्र	क्षमता स्तंभ 3 में दिखाये गये क्षेत्र में स्थित प्रति स्थायी चिमनी अथवा बंगला ईंट भट्ठा के निर्मित ईंट।	स्वामिस्व–प्रति भट्ठा प्रतिवर्ष देय स्वामिस्व की राशि जो स्तंभ 4 में निर्धारित ईंट की संख्या पर देय है (रूपये में)।
1	2	3	4	5
1.	I	पटना, मुजफ़्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, जिलों का शहरी क्षेत्र।	45 लाख ईंट	रू0 2,02,500.00/–
2.	II	अन्य शहरी क्षेत्र	35 लाख ईंट	रू0 1,57,500.00/–
3.	III	ग्रामीण क्षेत्र	25 लाख ईंट	रू0 1,12,500.00/–
4.	IV	बंगला भट्ठा	01 (एक लाख) ईंट	रू0 4,500.00/–

टिप्पणी (I)– ''शहरी क्षेत्र'' से अभिप्रेत किसी नगर निगम या नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थानीय सीमा के भीतर के क्षेत्रों से है और, यथास्थिति, उस नगर निगम या नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति की सीमा रेखा से चार किलोमीटर की बाहरी दूरी की भीतर पड़ने वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल है।

टिप्पणी (II)– अव्यवसायिक, व्यक्तिगत् उपयोग हेतु बंगला भट्ठा में निर्मित ईंट/ईंट मिट्टी पर कोई स्वामिस्व भुगतेय नहीं होगा।

प्रपत्र–क

[नियम 24(2) देंखे]

लघु खनिजों के लिए खनन लीज हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,

....

महाशय,

मैं/हमें बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के प्रावधानों के अधीन खनन लीज देने के लिए ससम्मान आवेदन किया गया है।

प्राप्ति की तिथि–....................... (लघु हस्ताक्षर)

उक्त नियमावली के नियम 24(3) के अधीन भुगतेय इस आवेदन के संबंध में भुगतान की गई फीस की राशि –............................रूपयें .... (कोषागार अथवा कोषागार व्यवसाय करने वाला भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का नाम) में जमा कर दिया है सुसंगत चालान इसके साथ संलग्न है।

अपेक्षित विशिष्टियाँ नीचे दी गई है :–

1. आवेदन करने वाले व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी का नाम–
2. व्यक्ति की नागरिकता अथवा फर्म या कंपनी के निगमन के रजिस्ट्रीकरण का स्थान;
3. व्यक्ति का व्यवसाय अथवा फर्म या कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय का स्थान;
4. व्यक्ति, फर्म या कंपनी का पत्ता–
5. खनिज जिसका या जिनका आवेदक खनन करने का उसका आशय हो;
6. अवधि जिसके लिए खनन लीज अपेक्षित हो;
7. उस क्षेत्र व्यौरा जिसके संबंध में वह लीज अपेक्षित हों;
   (i) जिला–.. (ii) जे0एल0 संख्या–...
   (iii) प्लॉट संख्या–.............................(iv) कुल क्षेत्र–..
8. उपर्युक्त 7 में उल्लिखित क्षेत्र आच्छादित करने वाले 16''= 1 किलोमीटर के स्केल पर नक्शा या योजना की विशिष्टियाँ, संलग्न करें। जिस क्षेत्र के संबंध में लीज अपेक्षित हो उसकी पहचान समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी दी जाएगी।
9. क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण–...;
10. राज्य सरकार की अधिकारिता के भीतर क्षेत्र और खनिज जिनके लिए आवेदन या कोई व्यक्ति हितबद्ध हो खनिज..................... क्षेत्र....................... तालुका.................... जिला..........
    (क) पहले से कोई लीज धारित करता है;
    (ख) पहले आवेदन किया था किंतु कोई लीज नहीं दी गई–
    (ग) लगातार आवेदन किया है;
11. यदि उपर्युक्त 10 के अधीन हो तो संयुक्त हित की प्रकृति–
12. प्रथम वर्ष के दौरान निकाले जाने वाले खनिजों की संभावित अनुमानित मात्रा–
13. साधन जिनके द्वारा खनिजों को निकाला जाना हो उदाहरणार्थ– हस्तश्रम से या यांत्रिक या विधुत शक्ति से और यांत्रिकरण की मात्रा यदि अवेक्षित हों–
14. निदेश की जाने वाली प्रस्तावित धन राशि–
15. खनन व्यवसाय में आवेदक का पूर्व का अनुभव–
16. वह रीति जिस रीत से निकाले गए खनिजों का उपयोग किया जाएगा, संभावित उपभोक्ता तथा खनिज के उपभोग का स्थान–
17. कोई अन्य विशिष्टयाँ जिसे आवेदक देना चाहे अथवा जिसकी अपेक्षा समाहर्त्ता द्वारा की जाय–
18. इस नियमावली में विहित आवेदन फीस के भुगतान की रीति तथा व्यौरा –
    (**नोट**।– शीर्ष .... के अधीन राज्य सरकार के खाते में भुगतान की जाने वाली)
    मैं/ हमलोग घोषणा करते है कि उपर दी गई विशिष्टियाँ सही है तथा मैं/हमलोग लीज अनुदान के पूर्व आपके द्वारा यथापेक्षित वास्तविक योजना तथा प्रतिभूति जमा इत्यादि सहित कोई अन्य व्यौरा देने के लिए तैयार हूँ/हैं।

स्थान–

तिथि– आपका विश्वासभाजन

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर तथा पदनाम।

प्रपत्र–ख

[नियम 26(1) देंखे]

लघु खनिजों के खनन पट्टा का आदर्श प्रपत्र।

यह एकरारनामा एक ओर बिहार–राज्यपाल (इसमें आगे राज्यपाल के रूप में निर्दिष्ट जिस पद के अन्तर्गत, जहाँ संदर्भ के अनुसार ऐसा माना जा सकता हो; उनके पद उत्तरवर्त्ती और समनुदेशिती भी समझें जाऐंगे) और दूसरी ओर,

1. जब पट्टाधारी कोई एक व्यक्ति हो–.. (व्यक्ति का नाम), पिता का नाम–.............................. ......, निवास स्थान–............................... (पता और पेशा), (इसमें आगे पट्टाधारी के रूप में निर्दिष्ट जिस पद के अन्तर्गत, जहॉ संदर्भ के अनुसार ऐसा माना जा सकता हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समानुदेशिती भी समझें जाऐगें)।
2. जब पट्टाधारी एक से अधिक व्यक्ति हो–.. (व्यक्ति का नाम), निवास स्थान–..................... ...., (पता एवं पेशा)–..............................(व्यक्ति का नाम), निवास स्थान–........................., (पता एवं पेशा), (इसमें आगे पट्टाधारियों के रूप में निर्दिष्ट जिस पद के अन्तर्गत, जहाँ संदर्भ के अनुसार ऐसा माना जा सकता हो, क्रमशः उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी समझें जाऐगें)।
3. जब पट्टाधारी कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म या सिंडीकेट हो– ....(व्यक्ति का नाम), निवास स्थान (पता), और.................................... निवास स्थान (व्यक्ति का नाम), ..., (पता), जो सभी भारतीय पार्टनरशिप ऐक्ट, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत .... (फर्म या सिंडिकेट का नाम) नाम और अभिनाम से .... (फर्म या सिंडिकेट का पता) में सह–भागीदारी में कारबार कर रहे है, (इसमें आगे पट्टाधारियों के रूप में निर्दिष्ट जिस पद के अन्तर्गत, जब संदर्भ के अनुसार ऐसा माना जा सकता हो, उक्त फर्म के सभी भागीदारों, उनके प्रतिनिधि, वारिस, निष्पादक, प्रशासक और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझें जाऐगें)।
4. जब पट्टाधारी को रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो–.............................. (कम्पनी का नाम), जो .... (उस अधिनियम का नाम जिसके अधीन वह निगमित हो) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... (पता) में है (इसमें आगे पट्टाधारियों के रूप में निर्दिष्ट, जिस पद के अन्तर्गत, जहाँ संदर्भ के अनुसार ऐसा माना जा सकता हो, उसके उत्तरवर्ती और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझें जाऐगें) के बीच (आज ता0 .... 20.......को) किया गया।

चूंकि पट्टाधारी/ पट्टाधारियों ने इसके नीचे लिखित अनुसूची (इसमें आगे उक्त अनुसूचि के रूप में निर्दिष्ट) के भाग 1 में वर्णित भूमि के संबंध में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (इसमें आगे उक्त नियमावली के रूप में निर्दिष्ट) के अनुसार, ... (खनिजों का नाम) के खनन पट्टे के लिए बिहार सरकार (इसमें आगे राज्य सरकार के रूप में निर्दिष्ट) के पास आवेदन किया है और खनन पट्टे के लिए प्रतिभूति के रूप में .... रू0 की राशि राज्य सरकार के पास जमा कर दी है।

अब यह एकरारनामा इस बात का साक्षी है कि इस विलेख और उक्त अनुसूची में अंतर्विष्ट लगानों, स्वामिस्वों, प्रसंविदाओं तथा करारों के पट्टाधारी/ पट्टाधारियों द्वारा और उसकी/ उनकी ओर से किये जाने वाले भुगतान, पालन और संपादन के प्रतिफल स्वरूप, राज्यपाल इसके पट्टेधारियों को .... (यहाँ खनिज या खनिजो का नाम दें), (इसमें आगे और उक्त अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में निर्दिष्ट) की सभी खानों, संस्तरों, शिराओं/परतों को, जो उक्त अनुसूची के भाग–I में उल्लिखित और वर्णित भूमि में या उसके नीचे स्थित या पड़ी हो, इसके संबंध में प्रयोज्य और उपभोग्य स्वातंत्र्यों, शक्तियों और विशेषाधिकारों के साथ जो उक्त अनुसूची के भाग–II में उल्लिेखित है, और ऐसे स्वतंत्र्यों, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग के संबंध में उक्त अनुसूची के भाग–III में यथा उल्लिखित निबंधनों तथा शर्त्तों के अध्यधीन, किन्तु उक्त अनुसूची के भाग–IV में उल्लिखित उन स्वातंत्र्यों, शक्तियों और विशेषाधिकारों को पट्टाकरण में बचाकर राज्य सरकार के लिए सुरक्षित रखते हुए पट्टे पर देते है, ताकि इसके द्वारा पट्टाकृत परिसर को पट्टाधारी ता0 .... से .... आगामी पॉच वर्षों की अवधि के लिए धारण करें और उसके लिए उक्त अनुसूची के भाग–VI में अतंर्विष्ट उपबंधो के अध्यधीन, उक्त अनुसूची के भाग–ट में उल्लिखित लगान और स्वामिस्व उसमें विनिर्दिष्ट समयों पर चुकाए तथा पट्टाधारी इसके द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है / करते है जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–टII मे अभिव्यक्त है और राज्य सरकार इसके द्वारा पट्टाधारी /पट्टाधारियों के साथ प्रसंविदा करती है जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–VIII में अभिव्यक्त है और इसके द्वारा इसके पक्षकार इसपर परस्पर सहमत है जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–IX में अभिव्यक्त है।

इसके साक्ष्य में, यह विलेख इसके नीच वर्णित रीति से, पहले उपर लिखित तारीख को और वर्ष में निष्पादित किया गया।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची।

भाग I

पट्टा का अवस्थिति एवं क्षेत्र।

रजिस्ट्रीकरण जिला .... अनुमंडल–......................... और थाना................................ के परगना .... में .... (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) स्थित सभी भूभाग, जिनकी भूकर सर्वेक्षण सं0 .... है और जिनका क्षेत्रफल .... या उसके लगभग है तथा जो इसके साथ अनुबद्ध रेखांक कर चित्रित और उसपर .... रेखाओं से चिन्हित .... से रंगे हुए है तथा जिनकी सीमाएँ निम्नलिखित है:–

उत्तर–...

दक्षिण–...

पूरब–...

पश्चिम–...

इसमें आगे ''उक्त भूमि'' के रूप में निर्दिष्ट।

भाग II

भाग III में उल्लिखित निर्बंधनों और शर्त्तों के अधीन रहते हुए पट्टाधारी/पट्टाधारियों द्वारा प्रयोजन और उपभोग्य स्वतंत्र्य, शक्ति और विशेषाधिकार।

22. **भूमि पर प्रवेश करना तथा खोज करना, प्राप्त करना, कार्य करना आदि–**
उक्त भूमि पर प्रवेश करने तथा उक्त खनिज/ खनिजों की खोज करने के लिए खनन, बोर, खुदाई, ड्रील करने, प्राप्त करने, कार्य करने, ड्रेस करने, प्रसंस्कृत करने, ले जाने, बदलने तथा निपटारा करने के लिए एतद्द्वारा अवधि के दौरान सभी समय स्वातंत्र्य तथा शक्ति।

2. **गड्ढा, शॉफ्ट, तथा आनति बनाना–** इस भाग में उल्लिखित किस प्रयोजन या उसके उक्त भूमि में कोई गड्डा, शैफ्ट, आनति, ड्रिफ्ट, लेबल, वाटरवेज, एयरवेज तथा अन्य कार्य, खोदने, संचालित करने, बनाने, संधारित करने हेतु (तथा उक्त भूमि में इस प्रकार की प्रकृति के किसी विद्यमान कार्यों का उपयोग, अनुरक्षण करने, गहरा करने अथवा विस्तार करने की) स्वातंत्र्य और शक्ति।

3. **मशीनरी एवं उपकरणों आदी लाना एवं उनका उपयोग करना–** इस भाग में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए या से संबंधित उक्त भूमि पर या के अधीन उपयोग करने, इंजन, मशीनरी, प्लांट, ड्रेसिंग फ्लोर, फरनेस, कोक ओयन, ब्रिक किल्न, कार्यशाला, भंडारण गृह, बंगला, गोदाम, शेड तथा अन्य भवन खड़ा करने, निर्माण या अनुक्षित करने तथा उक्त भूमि पर इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता एवं शक्तियाँ।

4. **सड़क एवं रास्ता आदि बनाना और विद्यमान सड़कों एवं रास्तों का उपयोग करना :–** इस भाग में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए अथवा से संबंधित कोई सूचना ट्रामवेज, रेलवे, एयरक्राफ्ट लैंडिंग ग्राउन्ड तथा अन्य रास्ता उक्त भूमि में या पर बनाने तथा उपयोग, अनुरक्षण करने तथा उसपर घोड़ों, मवेशी वैगन, एयरक्राफ्ट, लोकोमोटिव या अन्य यानों के साथ या बिना (अथवा उक्त भूमि में/पर किसी विद्यमान ट्रामवेज, रेलवेज, सड़क तथा अन्य रास्तों यथा सहमत शर्तों पर जाने की स्वतंत्रता एवं शक्तियाँ।

5. **धारा आदि के जल का उपयोग करना–** इस भाग में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए या से संबंधित स्वतंत्र एवं शक्तियों का किसी विद्यमान अथवा भावी लीज धारियों के किसी अधिकार के अध्यधीन तथा उक्त भूमि में अथवा पर किसी धारा, जलमार्ग, झरना अथवा अन्य स्त्रोत को विनियोजित तथा उपयोग करने हेतु उपायुक्त की किसी अनुमति से किसी ऐसी धारा या जल मार्ग पर कार्रवाई, बाँध हेतु तथा किसी ऐसे जल का संग्रहता परिबद्ध करना तथा किसी जलमार्ग कल्मर्ट, नाला या जलाशय बनाने, निर्माण तथा अनुरक्षण करने किंतु किसी कृषिकर्म भूमि, ग्राम, भवन अथवा पशुओं के लिए यथा पूर्व परम्परागत युक्तियुक्त जलापूर्ति के लिए जलप्रदायी स्थानों से वंचित करने अथवा किसी धारा, झरना को किसी प्रकार से कूट कर्म अथवा प्रदूषित नहीं करना इस हेतु स्वतंत्रता एवं शक्तियाँ बशर्ते कि लीजधारी राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना किसी नाव्य धारा में नौचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ऐसी धारा मोड़ेगा।

6. **ढेर लगाने, संचय करने या जमा करने के प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग करना–** उक्त भूमि पर प्रवेश करने तथा उसकी सतह के पर्याप्त भाग पर ढेर लगाने, संचय करने या खान के उत्पादों के भंडारण तथा जमा करने के प्रयोजनार्थ कोई कार्य जारी रखने तथा इस भाग में उल्लिखित दायित्वों एवं शक्तियों के अधीन खोदे या निकाले गये तत्वों एवं किसी औजार, उपकरण, मिट्टी का उपयोग करने हेतु स्वातंत्र्य एवं शक्ति।

7. **उत्पादन की लाभदायकता तथा परिवहन करना–** उक्त भूमि उत्पादित किसी खनिज को लाभदायक बनाने तथा ऐसे लाभदायक बने खनिजों को ले जाने हेतु उक्त भूमि के पर्याप्त भाग पर प्रवेश करना तथा उपयोग करने की स्वातंत्र्य तथा शक्ति।

8. **झाड़ियों को साफ करना तथा पेड़ों आदि को काटना और उपयोग करना—** इस भाग में उल्लिखित प्रयोजन के लिए या से संबंधित स्वतंत्रता तथा शक्तियाँ तथा अन्य के विद्यमान अधिकारों के अध्यधीन तथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय

भाग—III

भाग—II में स्वतंत्र्यो, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के संबंध में निर्बंधन और शर्तें।

1. **कतिपय स्थानों पर कोई निर्माण आदि नही किये जाएँगे—** किसी सार्वजनिक विहार स्थल, श्मशान, कब्रग्राह अथवा व्यक्तियों के किसी घर या ग्राम स्थल, सार्वजनिक सड़क या अन्य स्थान जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक स्थल विनिश्चत करे, पर कोई भवन खड़ा नहीं किया जाएगा अथवा कोई सतह प्रचालन इस रीति से नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भवन, कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकार की उपहति या प्रतिकूलतः प्रभावित करता हो और किसी भूमि का उपयोग ऐसे सतह प्रचालन के लिए नहीं किया जाएगा जो पहले से राज्य सरकार से अन्यथा व्यक्तियों द्वारा इस लीज में शामिल नहीं किए गए कार्यों या प्रयोजन के लिए उपभोग में हो। पट्टाधारी मार्ग, कुँआ या तालाब संबंधी किसी अधिकार में भी हस्तक्षेप नही करेगा।
2. **वैसे भूमि में, जो पहले से उपयोग में न हों, सतह प्रचालन के लिए अनुमति—** सतह प्रचालन के लिए किसी भूमि के उपयोग के पूर्व, जिसका उपयोग ऐसे प्रचालन के लिए नहीं किया गया हो, लीजधारी/ लीजधारीगण जिले के उपायुक्त को, वैसा उपयोग किए जाने की प्रस्तावित भूमि के नाम, या अवस्थिति का अन्य विवरण तथा विस्तार तथा उस प्रयोजन, जिसके लिए उसकी आवश्यकता हो, विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित रूप में दो कलेन्डर माह की पूर्व सूचना देगा और उस भूमि का इस प्रकार उपयोग तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि उस सूचना की प्राप्ति के बाद दो माह के भीतर उपायुक्त द्वारा यदि कोई आपत्ति निर्गत नहीं की जाती तबतक वैसी आरंभ की गई आपत्तियाँ राज्य सरकार के निर्देश पर बालित या अवैध घोषित नहीं की जाएगी।
3. **अनारक्षित भूमि पर स्थित वृक्ष काटना—** पट्टाधारी/पट्टधारीगण समाहर्त्ता के अभिव्यक्त मंजूरी के बिना, उक्त भूमि पर खड़े किसी इमारती लकड़ी के पेड़ों या पेड़ों को नहीं काटेंगे या आहत करेंगे किंतु ऐसी मंजूरी के बिना वैसी किसी झाड़ी अथवा झाड़ झंखाड़ साफ कर सकेंगे जो उनके द्वारा प्राधिकृत किसी प्रचालन में हस्तक्षेप करते हों। समाहर्त्ता पट्टाधारी/पट्टधारीगण से उनके द्वारा किसी पेड़ या इमारती लड़की के पेड़ को गिराने तथा उनके उपयोग के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग में, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर, भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा।
4. **आरक्षित वनों में प्रवेश नहीं करना—** इस अनुसूची में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पट्टाधारी/पट्टधारीगण उक्त भूमि में शामिल किसी आरक्षित वन में प्रवेश नहीं करेंगे अथवा किसी इमारती लकड़ी के पेड़ों या पेड़ों को गिरा, काट अथवा उसका उपयोग नहीं करेंगे।
5. **लोक निर्माण आदि के 50 मीटर के भीतर खनन संक्रिया नही की जायेगी—** पट्टाधारी/पट्टधारीगण, संबंधित रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के सिवाय किसी रेलवे लाइन अथवा किसी रोपवे के स्वार्मिव वाले प्राधिकारी की लिखित अनुमति के सिवाय अथवा के अनुसार किसी रोपवे या किसी रोपवे, टकटकी या पड़ाव के नीचे या भीतर अथवा उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के सिवाय तथा सामान्य या विशेष ऐसे अनुदेशों, निर्बंधनों और शर्त्तों के अनुसार जो ऐसी अनुमति के साथ संलग्न हो, किसी जलाशय, नहर या अन्य लोक निर्माण, जैसे सार्वजनिक सड़क तथा भवन अथवा वास स्थल से 50 मीटर पर अथवा की दूरी के भीतर किसी जगह पर किसी खनन प्रचालन का कार्य नही करेगा या चलाएगा अथवा कार्य करने या चलाने की स्वीकृति नहीं देगा। उक्त 50 मीटर की दूरी की मापी रेलवे, जलाशय अथवा नहर की दशा में, यथास्थिति, बाहरी किनारे अथवा कटिंग को बाहरी किराने से क्षैतिज रूप से तथा भवन की दशा में, उसकी नींव से क्षैतिज रूप से की जाएगी। ग्रामीण सड़कों की दशा में, उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय तथा ऐसे सामान्य या विशेष निदेशों, निर्बधनों और शर्त्तों, जो ऐसी अनमुति के साथ संलग्न की जाय, से अन्यथा कटिंग बाहरी किनारे से 10 मीटर की दूरी के भीतर कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः— इस खंड के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति ''रेलवे प्रशासन'' से अभिप्रेत है भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में इस अधिनियम की धारा 3 के खंड (6) द्वारा यथा परिभाषित। ''सार्वजनिक सड़क'' से अभिप्रेत है वैसी सड़क जो जिला फोरम के रूप में लगातार उपयोग के कारण कृत्रिम सतह द्वारा निर्मित हो गया हो। ''ग्रामीण सड़क'' मे राजस्व अभिलेख में ग्रामीण सड़क के रूप में दिखाया गया कोई रास्ता शामिल है।

6. **निकटतम सरकारी अनुज्ञप्तियो/पट्टो के लिए सुविधाएँ—** पट्टाधारी/ पट्टधारीगण ऐसी किसी भूमि पर, जो पट्टाधारी/पट्टधारियों द्वारा धारित भूमि में अंतविष्ट हो या उसके निकट हो या जिसपर पट्टाधारी द्वारा धारित भूमि होकर पहँचा जा सकता हो, सरकार अनुज्ञप्ति या पट्टाधारण करने वाले विद्यमान या भावी पट्टेधारियो को उसपर पहुँचने की युक्तियुक्त सुविधा देगा।

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों या पट्टाधारियों द्वारा इस प्रस्तुतीकरण के अधीन पट्टाधारी/पट्टधारियों के प्रचालन के प्रति कोई सारवान बाधा या हस्तक्षेप किया जाएगा और आपसी सहमति या असहमति की दशा में राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित न्याय संगत प्रतिकर पट्टाधारी/पट्टधारियों को इस स्वतंत्र के प्रयोग के कारण पट्टाधारी/पट्टधारियों को हुए घाटे या नुकसान के लिए दिया जाएगा।

भाग–IV

राज्य सरकार के लिए आरक्षित स्वंतत्र्यॉ, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार

1. **अन्य खनिजों का कार्य करना–** राज्य सरकार अथवा पट्टाधारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए, इस भूमि पर प्रवेश करने तथा उक्त खनिजों से अन्यथा खनिजों तथा किसी अन्य तत्वों की खोज करने, विन करने कार्य, खुदाई करने, उठाने, सज्जित, प्रसंस्कृत करने, बदलने तथा ढो ले जाने हेतु तथा इस प्रयोजनार्थ खोदने, चलाने, बनाने, खड़ा करने, ऐसे पिट्स, शैफ्ट, इनक्लाइनस्, ड्रिफ्ट, लेवल तथा अन्य लाइन, वाटरवेज, एयरवेज, जलधाराओं, नालों, जलाशयों, इंजन, मशीनरी, प्लांट, भवन, नहरों, ट्रामवेज रेलवेज, रोडवेज तथा अन्य कार्य तथा ऐसी प्रसुविधाओं के लिए, जिसे आवश्यक तथा सुगम समझा जाय, स्वतंत्रता तथा शक्तियाँ :

   परन्तु ऐसी स्वतंत्रता और शक्तियों के प्रयोग में इन प्रस्तुतीकरणों के अधीन किसी पट्टाधारी/पट्टाधारीगण की स्वतंत्रता, शक्तियों एवं विशेषाधिकारों में कोई सारवान् बाधा या हस्ताक्षेप नहीं किया जाएगा तथा और कि न्याय संगत प्रतिकर (यथा परस्पर सहमति पर अथवा असहमति की दशा में राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित) पट्टाधारी/ पट्टाधारियों को, ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्तियों के प्रयोग के कारण या फलस्वरूप पट्टाधारी/पट्टधारीगण को हुई सभी हानि या नुकसान के लिए दिया जाएगा।

2. **रेलवे पटरी तथा सड़क बनाना–** राज्य सरकार या किसी पट्टाधारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के लिए, उक्त भूमि पर प्रवेश करने तथा इन प्रस्तुतीकरणों के भाग II में उल्लिखित प्रयोजनों से अन्यथा किसी प्रयोजन के लिए उस पर अथवा इसके जरिए कोई रेलवेज, ट्रामवेज, रोडवेज, विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन अथवा पाईप लाईन का निर्माण करने तथा ऐसे रेलवेज, ट्रामवेज सड़कों तथा विद्यमान रेलवेज, ट्रामवेज तथा सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मति के लिए इस भूमि से पत्थर, ग्रेभल, मिट्टी तथा अन्य खनिजों को लेने तथा ऐसी रेलवेज, सड़कों, लाइन पर तथा सभी प्रयोजनों के लिए एवं अवसरों की आवश्यकता के अनुसार अन्य तरीके से घोड़ों, मवेशी या अन्य पशुओं, गाड़ी वैगन, वाहन, ट्रक, कार, रेल इंजन या यानों के साथ अथवा इनके बिना सभी समय जाने और पुनः गुजरने की स्वतंत्रता एवं शक्तियाँ परंतु ऐसे अन्य पट्टाधारी या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता एवं शक्तियों के प्रयोग में कोई सारवान बाधा या हस्तक्षेप पट्टाधारी की स्वतंत्र्यों, शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रति नहीं किया जाएगा और ऐसी पट्टाधारी अथवा व्यक्ति द्वारा की ऐसी स्वतंत्रता, शक्तियों एवं विशेषाधिकारों के प्रयोग के कारण अथवा के फलस्वरूप पट्टाधारी को हुई हानि अथवा नुकसानी के लिए इस प्रावधान के अध्यधीन कि जहाँ केवल विद्युत अथवा टेलीफोन लाइन अथवा वैसी ही अन्य लाइनें पट्टा के अधीन इस भूमि में या पर ले जायी गयी हैं, कोई प्रतिकर भुगतेय नहीं समझा जाएगा।

3. **भूल से किया गया पट्टा–** पट्टाधारी का इस पट्टा में शामिल की गई भूमि के संबंध में, जो पहले ही किसी पूर्व पट्टा में शामिल की गई हो, किसी प्रतिकर अथवा नुकसानी के लिए राज्य सरकार के विरूद्ध कोई दावा नहीं होगा किंतु भूमि के संबंध में, जो पट्टा के लिए उपलब्ध नहीं हो और इसकी जानकारी बाद में तो निर्धारण की आनुपातिक कमी का हकदार होगा।

4. **बहुमूल्य खनिज पाए जाने की दशा में कार्रवाई–** किसी भी समय यह विश्वास करने के कारण की दशा में किन जिसके लिए यह पट्टा दी गई है। उन खनिजों के साथ बहुमूल्य खनिज विद्यमान हैं तो समाहर्त्ता उस पट्टाधारी के अनुपालन के लिए ऐसा आदेश जिसे समाहर्त्ता उचित समझे उस खनिज की, जिसके लिए यह लीज दी जा रही है, सफाई अथवा स्क्रीन या जमा पट्टाधारी को यह लीज दिया जाना हमेशा समाहर्त्ता के उस पट्टा को समाप्त करने का अधिकार पूर्वाग्रह के बिना होगा यदि पट्टाकृत खनिज में किसी भी समय कोई बहुमूल्य खनिज अंतर्विष्ट हो जिसके पृथककरण, समाहर्त्ता की राय में, आसानी से संभव न हो अथवा पट्टाधारी के साधनों सं संभव न हो।

भाग V

इस पट्टा द्वारा आरक्षित लगान एवं स्वामिस्व

1. **अनिवार्य/मृत लगान या स्वामिस्व, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना–** पट्टाधारी, पट्टा के प्रथम वर्ष को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष के लिए इस भाग के खंड 2 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य/मृत लगान का भुगतान करेगाः

   परन्तु पट्टाधारी प्रत्येक खनिज के संबंध में अनिवार्य/मृत लगान अथवा स्वामिस्व, जो भी राशि में अधिक हो किंतु दोनों नहीं, का भुगतान करने का दायी होगा।

2. **अनिवार्य/मृत लगान की दर एवं भुगतान की रीति–** इस भाग के खंड 1 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दिनांक .... से पट्टा के अस्तित्व के दौरान, पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण समाहर्त्ता को .... के माह की तिथि............को चार समान त्रैमासिक रूप से चार किस्तों में अथवा प्रत्येक वर्ष की तिथि.................. को दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में इस नियमावली की अनुसूची-II राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय पुनरीक्षण के अध्यधीन इस अनुसूची के भाग–I में यथावर्णित प्रति एकड़ भूमि की निम्नलिखित दर से कतिपय वार्षिक अनिवार्य/मृत लगाने का भुगतान करेगा।

3. **स्वामिस्व/बंदोबस्ती राशि के दर एवं भुगतान की दर एवं रीति–** इस भाग के खंड I के प्रावधानों के अध्यधीन, पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण इस पट्टा के अस्तित्व के दौरान, राज्य सरकार को, इस समय और उस रीति से जो राज्य सरकार विहित करे, पट्टाकृत क्षेत्र से अपने द्वारा हटाए गए किसी खनिज/ खनिजों के संबंध में उक्त नियमावली की अनुसूची–IIIक में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से बंदोबस्ती राशि/ स्वामिस्व के किस्तों का भुगतान करेंगे।

4. **सतही लगान एवं जल (उपकर) का भुगतान–** पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण उस भूमि के, जिसका अधिभोग या उपयोग समय–समय पर, इस प्रस्तुतीकरणो के प्राधिकारी के अधीन पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा किया जाएगा, के सतह के सभी भागों के संबंध में, राज्य सरकार को, उस अधिभोग या उपयोग किए क्षेत्र का प्रतिवर्ष प्रतिएकड़ क्रमशः .... रूपये और .... रूपये की दर से और ऐसे अधिभोग या उपयोग के आरंभ से जब तक कि वैसे क्षेत्र का वैसे अधिभोग या उपयोग समाप्त न हो जाय, और यथा संभव वैसे उपयोग की गई भूमि की सतह भूमि अपनी मूल दशा में प्रत्यावर्तित न हो जाय, की अवधि के दौरान एक एकड़ से कम किसी क्षेत्र के लिए उसी अनुपात में लगान और जल उपकर का भुगतान किया जाएगाः

परन्तु ऐसा लगान/ जल उपकर उस क्षेत्र के अधिभोग/ उपयोग के संबंध में भुगतेय नहीं होगा और किसी सड़क या रास्ते में जिसपर आमजन की पहुँच का पूर्ण अधिकार हो इसमें शामिल हो।

भाग VI
लगान तथा स्वामिस्व से संबंधित प्रावधान।

1. **लगान एवं स्वामिस्व आदि कटौतीयों से मुक्त होगें**–इस अनुसूची के भाग–V में उल्लिखित लगान, जल उपकर तथा रॉयलिटियों का भुगतान किसी कटौती से मुक्त राज्य सरकार को उस (स्थान) .... तथा उस रीति से किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय। रॉयलिटी की गणना की रीति।

2. **स्वामिस्व की संगणना की रीति–** उक्त स्वामिस्वयों की गणना करने के प्रयोजनार्थ, पट्टाधारी/पट्टाधारीगण उत्पादित तथा प्रेषित खनिज/खनिजों का शुद्ध लेखा रखेंगे। स्टॉक में खनिज/खनिजों के लेखा के साथ–साथ वनज अथवा निर्यात की प्रक्रिया की जाँच राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत की जाएगी। यदि लगान तथा स्वामस्वि समय पर संदत्त न तो कार्रवाई की रीति।

3. **मासिक लेखा राज्य सरकार को भेजा जायेगा**–यदि पट्टाधारी/पट्टाधारीगण द्वारा विहित समय के भीतर इस प्रस्तुतीकरणों के निर्बंधनों और शर्त्तों के अधीन राज्य सरकार को किसी लगान रॉयलिटी अथवा अन्य बकाए राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे इसपर अठारह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के साथ, इस अधिकारी के प्रमाण पत्र पर, जो राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, विहित किया जाय, भू–राजस्व के बकाए के रूप में वसूल की जा सकेगी।

4. **बकाया भुगतान पर ब्याज –** पट्टाधारी राज्य सरकार को देय किसी भी रकम पर 24 प्रतिशत् वार्षिक की दर से ब्याज चुकाने का भागी होगा।

5. **लगान और स्वामिस्व समय पर न चुकाये जाने पर की जानी वाली कार्रवाई–** यदि पट्टाधारी/पट्टाधारियों देय लगान, स्वामिस्व या अन्य देय रकम का भुगतान राज्य सरकार को वर्त्तमान शर्त्त एवं प्रावधान के अनुसार नियत समय पर नही किया जाता है तो 24 प्रतिशत् वार्षिक साधारण ब्याज के साथ बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी कानूनी अधिनियम अथवा उसकी नियमावली के अधीन पावना राज्य सरकार वसूल कर सकेगा।

भाग–VII
पट्टाधारी/पट्टाधारियों की प्रसंविदाएँ

1. **पट्टाधारी द्वारा लगानों, स्वामिस्व तथा करों आदि का भुगतान करेगा–** पट्टाधारी/पट्टाधारीगण इस लीज द्वारा आरक्षित लगानों, करों तथा स्वामिस्वयों का भुगतान इन प्रस्तुतीकरणों के भाग V एवं VI में उपबंधित समय पर तथा रीति से करेंगे और करों, उपकरों एवं निर्धारणों एवं अधिरोपणों का लोक मांग की प्रकृति रूप में जो भी हो तथा जो केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्राधिकारों द्वारा भू–राजस्व के लिए मांग को छोड़कर संयुक्त रूप से अन्य परिसरों तथा समान कार्य प्रकृति के अनुसार पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण के परिसरों तथा कार्य प्रकृति के संबंध में, समय–समय पर प्रभारित,

निर्धारित अथवा अधिरोपित किए जाएंगे का भी भुगतान करेंगे।

2. **सीमा चिन्हों को अच्छी दशा में बनाए रखना–** पट्टाधारी/पट्टाधारीगण अपनी खर्च पर इस पट्टा के साथ संलग्न प्लान में दर्शाए गए चिह्नांकनों के अनुसार सीमांकनों तथा परिसरों को खड़ा करेगा, हर समय अनुरक्षण तथा मरम्मत करेंगे। ऐसे चिह्नों तथा पीलरों को आसानी से पहचान के लिए झाड़ियों तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त रूप से साफ रखा जाएगा।

3. **संक्रिया तीन माह के भीतर आरंभ कर दी जाएगी तथा कार्य कारगर ढ़ंग से किया जाएगा–** पट्टाधारी/पट्टाधारीगण पट्टा निष्पादन की तिथि से तीन माह के भीतर प्रचालन आरंभ करेंगे तत्पश्चात अपनी लीज जारी रहने के दौरान सभी समय ऐच्छिक बंदी के बिना कौशलपूर्ण तथा कर्मकर जैसी रीति तथा खंड 12 के अधीन यथा विहित रीति से उक्त भूमि की सतह या उसपर फसलों, भवनों, संरचनाओं या अन्य सम्पत्ति अनावश्यक अथवा परिहार्य नुकसान किए अथवा उसके लिए अनुमति दिए बिना उक्त खनिजों की खोज करेंगे वीन कार्य करेंगे अथवा विकास करेंगे। इस खंड के प्रयोजनार्थ प्रचालन में मशीनरी खड़ा करना, ट्रामवे बिछाना अथवा खान के संबंध सड़कों का निर्माण शामिल हैं।

4. **सभी दावों के लिए सरकार को क्षतिपूर्ति की जायेगी–** पट्टाधारी/पट्टाधारीगण सभी नुकसान, क्षति अथवा व्यवधान जो इस लीज द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग में उनके द्वारा किए जायँ, के लिए विषयों पर लागू विधि के अनुसार विधिपूर्ण प्राधिकारी यथा निर्धारित युक्तियुक्त समाधान करेंगे तथा प्रतिकर का भुगतान करेंगे और सभी दावों के विरूद्ध, जो नुकसान, क्षति या व्यवधान तथा उससे संबंधित सभी खर्च एवं व्यय के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए जाय, की क्षतिपूर्ति करेंगे और राज्य सरकार को पूर्ण रूप से तथा पूर्णतः सुरक्षित करेंगे।

5. **सभी गड्ढों, कूपों आदि को भरना एवं अच्छी दशा में सुरक्षित रखना–** पट्टाधारी/पट्टाधारीगण, इस लीज के अस्तित्व के दौरान इमारती लकड़ी अथवा सभी पिट्स, शैफ्ट्स तथा कार्य के अन्य टिकाऊ साधन जिन्हें उक्त भूमि में बनाया जाय या जिनका उपयोग किया जाय, अच्छी तरह पर्याप्त रूप से सुरक्षित करेंगे और खुला रखेंगे और ऐसे पिट्स, शैफ्ट्स अथवना प्रचालन चाहे वह परित्यक्त हो या नहीं, के चारो तरफ केन्द्र या राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी के समाधान प्रद रूप में पर्याप्त धेराबंदी करेंगे और अनुरक्षित करेंगे और उसी अवधि के दौरान उक्त भूमि में सभी प्रचालन, सिवाय ऐसे को छोड़कर जो यथा संभव परिव्यक्त हो जाय, जल और गंदी हवा से मुक्त हो, बनाए रखेंगे।

6. **खानों को आवश्यक सीमा तक मजबूत करना तथा अवंलब देना–** पट्टाधारी /पट्टाधारीगण, यथास्थिति, संबंधित रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में खान के किसी भाग को, जिसे उसकी किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण और संरचना को सुरक्षा के लिए ऐसी मजबूतीकरण या सहारा देने की आवश्यकता हो, मजबूत करेंगे एवं सहारा देंगे।

7. **कार्य–चालान का निरीक्षण करने की अनुमति देना–** पट्टाधारी/पट्टाधारीगण केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, किसी भवन, उत्खनन या लीज में शामिल भूमि सहित परिसरों में निरीक्षण, परीक्षण, सर्वे, पूर्वेक्षण करने तथा उसका प्लान बनाने, नमूना लेने, किसी द्वारा संग्रहण के प्रयोजनार्थ स्वीकृति देंगे और लीजधारी/ लीजधारीगण अपने द्वारा नियोजित तथा खानों तथा प्रभावकारी रूप से कार्यों से परिचित एवं उचित व्यक्ति के साथ ऐसे अधिकारी, एजेंट, सेवक, एवं मजदूरों को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण संचालित करने में सहायता करेंगे और खानों के कार्यों से संबंधित सभी सुविधाएँ तथा जानकारी, जिनकी उन्हें युक्तियुक्त रूप से आवश्यकता हो, उन्हें मुहैया करेंगे तथा सभी आदेशों एवं विनियमों का अवश्य पालन करेंगे जिसे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण अथवा अन्यथा के फलस्वरूप समय–समय पर, अधिरोपित करना उचित समझे।

8. **दुर्घटनाओं को प्रतिवेदित करना–** पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण, बिना विलंब किए, मृत्यु अथवा गंभीर शारीरिक क्षति या सम्पत्ति को गंभीर क्षति धारित करने वाली अथवा जीवन और सम्पत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या खतरे में डालने वाली किसी भी दुर्धटना, जो इस लीज के अधीन प्रचालन के दौरान घटित हो, को यथास्थिति, समाहर्त्ता/ सक्षम अधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।

9. **अन्य खनिजों का पता चलने की रिपोर्ट करना–** पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण पट्टाकृत क्षेत्र में किसी खनिज की खोज को, जो पट्टा में विनिर्दिष्ट न हो, ऐसी खोज के साथ–साथ ऐसी प्रत्येक खोज की प्रकृति एवं स्थिति की पूर्णू विशिष्टियों साठ दिनों के भीतर, यथास्थिति, समाहर्त्ता/ समक्ष अधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे। यदि किसी खनिज की जो पट्टा में विनिर्दिष्ट न हो, खोज लीज क्षेत्र में हुई हो तो पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण उस खनिज का विन एवं निपटारा तबतक नहीं करेंगे जबतक वह खनिज पट्टा में शामिल नहीं कर लिया जाता अथवा उसका एक पृथक लीज प्राप्त नहीं कर ली जाती।

10. **उत्पादन एवं कर्मचारियों आदि के संबंध में अभिलेख तथा लेखा रखना–** पट्टाधारी/पट्टाधारीगण उक्त कार्यकाल के दौरान सभी समय उक्त भूमि पर अवस्थित या के नजदीक एक कार्यालय में शुद्ध एवं स्पष्ट लेखा–पुस्त, जिसमें समय–समय पर दर्शाई गई निम्नलिखित सही प्रविष्टियाँ अंतर्विष्ट हों, रखेंगे या रखवायेंगे :–

(1) उक्त भूमि से निकाले गए उक्त खनिज/ खनिजों की मात्रा एवं गुणवत्ता;

(2) परिष्कृत या संपरिवर्तित विभिन्न क्वालिटी के खनिजों का परिमाण;

(3) पृथकरूप से विक्रय या निर्यात किए गए उक्त खनिज/खनिजों की विविध गुणवत्ताओं की मात्रा

(4) अन्यथा निपटाए गए उक्त खनिज/ खनिजों की विविध गुणवत्ताओं की मात्रा तथा ऐसे निपटान की रीति तथा प्रयोजन

(5) उक्त खनिज/ खनिजों की कीमत तथा सभी बिक्रयों की सभी अन्य विशिष्टियाँ

(6) खानों में अथवा भूमि पर कार्यों में नियोजित व्यक्तियों की उनकी राष्ट्रीयता, अर्हता तथा तकनीकी कर्मियों को वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए संख्या

(7) ऐसे अन्य तथ्य, विशिष्टियाँ एवं परिस्थितियाँ जिनकी राज्य सरकार, समय–समय पर, अपेक्षा करे तथा ऐसे अधिकारियों को उस समय जो राज्य सरकार नियत करे, ऐसे सभी या किसी लेखा पुस्त का सत्य एवं शुद्ध उद्दहरण तथा पूर्वोक्त सभी या किसी विषय से संबंधित ऐसी जानकारी एवं रिटर्न, जिसे राज्य सरकार विहित करे, मुफ्त भेजेंगे और सभी युक्तियुक्त समय पर ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्रवेश करने और उक्त लेखा पुस्तों, प्लान तथा अभिलेखों के परीक्षण एवं निरीक्षण करने एवं उनकी प्रतियाँ तैयार करने तथा उनसे उद्दहरण लेने के प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, प्रवेश करने हेतु स्वीकृति देंगे।

11. **प्लान आदि संधारित करना–** पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण उक्त अवधि के दौरान हर समय खान कार्यालय में शुद्ध, स्पष्ट अद्यतन एवं पूर्ण प्लान तथा उक्त भूमि में खान सेक्शनों को संधारित करेंगे। वे पट्टा के अधीन सभी प्रचालन एवं कार्यों तथा अपने द्वारा चलाए गए प्रचालन के क्रम में किए गए सभी खंदकों, पिट्स एवं ड्रिलिंग तथा की गई कोताही तथा अन्य बाधाओं को दर्शाऐंगे एवं भूतत्विक द्वारा तथा सभी प्लान तथा सेक्शन संशोधित किए जाएंगे तथा बारह महीने अथवा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किसी अवधि के अंत में इस प्रयोजनार्थ किए जाने वाले वास्तविक सर्वे द्वारा या से भरे जाएंगे और पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण राज्य सरकार को ऐसे प्लान तथा सेक्शनों की जब कभी आवश्यकता हो, की सत्य एवं शुद्ध प्रतियाँ मुफ्त भेजेंगे। सभी खंदकों, पिट्स एवं ड्रिलिंग के सही अभिलेख निम्नलिखित दर्शाएंगे :–

(क) उपमिट्टी तथा स्ट्राटा जिसके माध्यम से वे गुजरते हैं

(ख) संघर्ष किया गया कोई खनिज

(ग) हित का कोई अन्य विषय तथा राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, अपेक्षित सभी डाटा पट्टाधारी/पट्टाधारीगण राज्य सरकार के किसी अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समय पर उसका निरीक्षण करने की स्वीकृति देंगे। वह वे राज्य सरकार, महानिदेशक, भारत भूतत्व सर्वे, महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों द्वारा मांग किए जाने पर आरक्षित गुणवत्ता वार मात्रा के साथ सभी परतों मोटाई, गहराई, झुकाव आदि को दर्शाते हुए क्षेत्र का संयुक्त प्लान की आपूर्ति भी करेंगे।

11 क पट्टाधारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्यून मजदूरी का भुगतान करेंगे।

11 ख पट्टाधारी खान अधिनियम, 1952 जब भी लागू हो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करेंगे।

11 ग पट्टाधारी वृक्षारोपण, भूमि जीर्णोद्वारा, प्रदूषण नियंत्रण उपायों के उपयोग जैसे पर्यावरण की सुरक्षा के उपाय तथा ऐसे अन्य उपाय अपने खर्च पर करेंगे जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर विहित किए जायं।

11 घ पट्टाधारी भू–अधियोगी को उस तिथि को तथा उस रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय, प्रतिकार का भुगतान करेंगे।

11 ङ पट्टाधारी, नियोजन के मामले में, जनजाति तथा वैसे व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे जो खनन प्रचालन करने के कारण विस्थापित हो गए हों।

12. **1957 का अधिनियम 67–** पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण उन नियमों से आबद्ध होंगे जो खान एवं खनिज विकास एवं विनियन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधि–67) की धारा 15 के अधीन भारत सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत किए जाय तथा इस नियमावली में यथा विहित के सिवाय किसी रीति से उक्त पट्टा के अधीन खनन अथवा अन्य प्रचालन नहीं करेंगे।

13. **तोल मशीन उपलब्ध करना**— राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से जब तक छूट प्राप्त न हो, पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण ऐसे पिट हेतु अथवा प्रत्येक पिट हेड्स पर या के नजदीक जहाँ उक्त खनिज जमा करने के लिए लाए जाते हों, एक उचित रूप से निर्मित तथा दक्ष तोल मशीन उपलब्ध करेंगे और इसपर जमा करने विक्रय करने निर्यात तथा परिवर्तित करने हेतु, समय—समय पर, लाए गए उक्त खनिजों तथा परिवर्तित उत्पादों को भी तोलेंगे अथवा तोलवाएंगे और प्रत्येक दिन के बंद होने पर, कुल वजन करवाएंगे, उक्त खनिजों, अयस्कों को चौबिस घंटे पूर्व के दौरान ऐसे साधनों द्वारा विनिश्चित उत्पादित, विक्रय, निर्यात, परिवर्तित किए गए उत्पादों को पूर्वोवत लेखा पुस्तों में दर्ज करायेंगे। पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण राज्य सरकार को उक्त अवधि के दौरान सभी समय किसी व्यक्ति या व्यक्तियेां को यथा पूर्वोवत खनिजों को तोलते समय उपस्थित रहने तथा उनका लेखा रखने एवं लीजधारी/ लीजधारीगण द्वारा रखे गए लेखा को चेक करने हेतु नियोजित करने की अनुमति देंगे।

14. **तोलन मशीन की जाँच की अनुमति देना**—पट्टाधारी/पट्टाधारीगण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति/व्यक्तियों उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय यथा पूर्वोवत उपलब्ध किए गए तथा रखे गए प्रत्येक तोल मशीन तथा उसके साथ उपयोग किए गए वाटों को यह निश्चित करने के लिए कि क्रमशः वे शुद्ध और अच्छी तरह मरम्मत एवं चालू दशा में हैं, का परीक्षण एवं जाँच के लिए स्वीकृति देंगे और यदि किसी ऐसे तोल मशीन या वाटों के ऐसे परीक्षण एवं जाँच पर यदि वे अशुद्ध या मरम्मति के लायक या अच्छी दशा में नहीं पाए जाएंगे तो राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि उसे समायोजित, मरम्मत तथा कामयाब स्थिति में पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण के खर्च पर रखा जाय और यदि वैसा किए जाने के बाद चौदह दिनों के भीतर वैसी अपेक्षाओं का पालन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार उन तोल मशीनों और बाटों को समायोजित, मरम्मत एवं कामयाब करवाएगी तथा वैसा करने का खर्च मांग किए जाने पर पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा एवं जाँच में यदि कोई त्रुटि किसी तोल मशीन या बाटों को राज्य सरकार के प्रतिकूल पाया जाता है तो इस त्रुटि को, उसके चलने से पूर्ववर्ती तीन कलेन्डर माह से अथवा इस तीन माह की अवधि के भीतर वैसे अवसर की दशा में उस तोल मशीन एवं बाटों के उस परीक्षण एवं जाँच के अंतिम अवसर से विद्यमान माना जाएगा और लगान तथा रॉयलिटी संदत्त की जाएगी तथा तद्नुसार लेखापित की जाएगी।

15. **तृतीय पक्षकारों की क्षति के लिए प्रतिकर देना**— पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण इस प्रस्तुतीकरण द्वारा दी गई स्वतंत्रता एवं शक्तियों के प्रयोग में पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा अथवा की ओर से किसी व्यक्ति की सम्पत्ति के नुकसान, क्षति अथवा बाधाओं के लिए युक्तियुक्त समाधान तथा प्रतिकर का भुगतान करेंगे तथा सभी समय राज्य सरकार को सभी वादों, दावों तथा मांगो से या के विरूद्ध जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियेां द्वारा किसी नुकसान, क्षति या बाधा के संबंध में लाए अथवा किए जाय सुरक्षा देंगे और क्षतिपूर्ति करेंगे।

16. **अन्य खनिजों के कार्यो में बाधा नहीं डालना**— पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण एतद् द्वारा दी गई स्वतंत्रता एवं शक्तियों का प्रयोग इस रीति से करेंगे कि इस पट्टा में शामिल नहीं किए किन्हीं खनिजों की उक्त भूमि के भीतर विकास एवं कार्य को कोई अनावश्यक, अथवा युक्तियुक्त नजर अंदाज किए जाने योग्य बाधा या छेड़छाड़ न हो तथा सभी समय राज्य सरकार को और खनन पट्टाधारकों को, यथास्थिति, उक्त भूमि से जुड़ी किसी भूमि के भीतर किसी ऐसे खनिजों के संबंध में, उसे प्राप्त करने, कार्य करने, विकसित तथा ढो ले जाने के प्रयोजनार्थ इस खनिज को उक्त भूमि पर एवं आर—पार पहुँच के युक्तियुक्त साधन तथा सुरक्षित एवं सुविधाजनक रास्ता देंगे परंतु पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण किसी नुकसान या क्षति के लिए, जो इसे/उन्हें इस लीजधारी द्वारा इस रास्ते के उपयोग के कारण अथवा फलस्वरूप उठानी पड़े, युक्तियुक्त प्रतिकर प्राप्त करेंगे।

17. **पट्टा हस्तांतरण**—

(1) पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण समाहर्त्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना—

(क) खनन पट्टा अथवा उसमें किसी अधिकार, हक या हित को समनुदेशित, भाड़े पर या बंधक अथवा किसी भी रीति से हस्तांतरण नहीं करेंगे, या

(ख) कोई ऐसा करार, संविदा या समझौता नहीं करेंगे जिसके द्वारा पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सारवान विस्तार तक वित्त पोषित हो जिसके द्वारा/अधीन पट्टाधारी का प्रचालन या उपक्रम पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण से अन्यथा किसी व्यक्ति या व्यष्टि निकाय द्वारा नियंत्रित होगा अथवा हो,

परन्तु समाहर्त्ता निम्नलिखित के संबंध में तब तक अपना अनुमोदन नहीं देगी जब तक कि —

(क) पट्टाधारी खनन पट्टा के हस्तांतरण के लिए आवेदन के साथ एक शपथ पत्र जिसमें राशि जिसे उसने अतंरिती से ले लिया है या बयाना के रूप में प्रस्ताव कर लिया है, विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत न कर दे

(ख) खनन पट्टा का अंतरण व्यक्ति अथवा सीधे खनन प्रचालन उपक्रम को न किया जाना हो

(2) पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण क्षेत्र तथा उसके चारो ओर 65 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र में परित्यक्त कार्यों के सभी योजनाओं की मूल या अभिप्रमाणित प्रतियाँ अतंरिती को उपलब्ध कर देंगे।

(3) समाहर्त्ता, लिखित रूप में आदेश द्वारा, किसी भी समय पट्टा विनिश्चित कर सकेगी यदि पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण ने उपर्युक्त किसी प्रावधानों को भंग किया जा सकेगाः

परन्तु ऐसा कोई आदेश पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण को अपने मामले का कथन करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

18. **किसी न्यास, निगम, फर्म या व्यक्ति द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित नहीं किया जायेगा—** राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी न्यास, सिंडिकेट, निगम, फर्म, या व्यक्ति द्वारा लीज नियंत्रित नहीं की जायेगी और पट्टाधारी/पट्टाधारीगण स्वयं को नियंत्रित कराने हेतु स्वीकृति नहीं देगे। पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण ऐसा करार, संविदा, समझौता नहीं करेंगे, जिसके द्वारा पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषित होंगे या हों जिसके द्वारा/के अधीन पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण के प्रचालन या उपक्रम किसी न्यास, सिंडिकेट, निमग, फर्म या व्यक्ति के द्वारा/के लाभ के लिए अथवा के नियंत्रण के अध्यधीन तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करार, संविदा या समझौता किए जाने के पूर्व राज्य सरकार की लिखित मंजूरी न दे दी गई हो और पूर्वोवत कोई अथवा प्रत्येक ऐसा करार, संविदा या समझौता यथा पूर्वोवत ऐसी मंजूर से ही किया जाएगा और सदैव उसके अन्य पक्षकार या पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रत्यक्ष ऐसी शर्त के अध्यधीन होंगे कि यह समाप्त करने योग्य होंगे यदि राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप में ऐसी अपेक्षा की जाय और ऐसी अध्ययेक्षा किऐ जाने पर तुरंत पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा तद्नुसार समाप्त कर दिये जाएंगे।

19. **पट्टाधारी आवश्यक कोई अतिरिक्त राशि जमा करेगा—** जब कभी भी प्रतिभूति जमा .... रूपये अथवा उसका कोई भाग अथवा इसके बाद उसके स्थान पर समाहर्त्ता के पास आगे जमा कोई राशि, राज्य सरकार द्वारा एतत्पश्चात् इस निमित्त घोषित शक्तियों के अनुशरण में, जप्त अथवा उपयोजित कर ली जायेगी और लीजधारी/ लीजधारीगण समाहर्त्ता के पास आगे ऐसी राशि जमा करेंगे जो पूर्ण प्रतिभूति जमा राशि के बराबर राशि तक राज्य सरकार के पास जमा में राशि लाने हेतु उसके अविनियोजित भाग के लिए पर्याप्त हो।

20. **पट्टा समाप्ति के बाद अच्छी दशा में खदानों को राज्य सरकार को दिया जाना—** पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण उक्त अवधि अथवा उसके किसी नवीकरण की समाप्ति अथवा विनिश्चय पर सभी खान, पिट्ट, शैफ्ट्स इनवाईन्स, ड्रिफ्ट, लेवल, वाटरवेज, तथा अभी विद्यमान अथवा एतत्पश्चात् उनको छोड़कर जो राज्य सरकार की मंजूरी से परित्यक्त हो गए हों, उक्त भूमि पर किए जाने वाले अथवा के अधीन संक, सभी अन्य कार्य तथा सामान्य तथा निष्पक्ष कार्य के क्रम में सभी इंजन, मशीनरी, प्लांट, भवन, संरचना, अन्य कार्य तथा प्रसुविधाएँ जो उक्त अवधि के आरंभ पर उक्त भूमि पर या के अधीन थे और पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा भूमि के भीतर लगाई गई सभी मशीनरी जो खानों को क्षति पहुँचाए बिना नहीं हटाई जा सकती हों अथवा उक्त भूमि के अधीन कार्य (उन्हें छोड़कर जिन्हें राज्य सरकार की मंजूरी से अनुपयोगी हो गए हों) तथा सभी भवन तथा भूमि की सतह के उपर मरम्मति लायक स्थिति तथा उक्त खानों तथा उक्त खनिजों के आगे कार्य के लिए सभी के संबंध में उपयुक्त पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा खड़ा की गई ईंट एवं पत्थर की संरचनाएँ राज्य सरकार को दे देंगे।

21. **पूर्व क्रय का अधिकार—** (क) राज्य सरकार को, समय—समय पर, उक्त अवधि के दौरान सभी समय (पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण को लिखित सूचना देकर प्रयोग किया जाएगा) उक्त भूमि में या पर पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण के नियंत्रणाधीन पड़े उक्त खनिजों तथा उनके सभी उत्पादों का अग्रक्रयाधिकार होगा तथा पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण सभी संभव शीघ्रता से, इस प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा क्रय किए सभी खनिजों या उत्पादों अथवा अन्य खनिजों का परिदार उस समय की इस यात्रा, रीति तथा उस स्थान पर कर देगा जो उक्त अधिकार का प्रयोग करने वाली सूचना विनिर्दिष्ट किए गए हों।

(ख) इस वर्तमान प्रावधान द्वारा प्रदत्त अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग किया जाएगा तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की ओर से उपाप्त किए गए खनिजों या उनके उत्पादों को ले जाने के लिए कोई चार्टर्ड जलयान लादने के स्थान पर, डिमरेज पर ठहराये जाएंगे तथा पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण ऐसे जलयान के चार्टर्ड पक्ष की शर्तों के अनुसार विलंब शुल्क (डमरेज) के लिए सम्यक् भुगतान तब तक करेंगे जबतक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाय कि विलंब लीजधारी/ लीजधारीगण के नियंत्रण के बाहर के कारणों से न हुआ हो।

(ग) एतद् द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा अग्रक्रयाधिकार में लिए गए सभी खनिजों अथवा उनके उत्पादों के लिए संदत्त की जाने वाली कीमत अग्रक्रय के समय

प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा बशर्ते कि उक्त उचित बाजार मुल्य तक पहुँचने में के क्रम में पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण, यदि आवश्यक हो, सरकार की गोपनीय जानकारी के लिए, विशिष्टतः अन्य ग्राहकों को विक्रय किए गए उक्त खनिजों या उनके उत्पादों की मात्रा, विवरण तथा कीमतों तथा उसकी गाड़ी तथा भाड़े के लिए प्रविष्ट किए गए घोषणा पत्र (चार्टर्ड) राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे और ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को जिन्हें राज्य सरकार निदेशित करें, संविदा तथा ऐसे खनिजों या उत्पादों के विक्रय या भाड़े के लिए प्रविष्ट किए गए घोषणा पत्र, संविदा की मूल या अधिप्रमाणित प्रतियाँ उपस्थापित करेंगे।

(घ) युद्ध एवं आपात की विद्यमान की दशा में भारत के राष्ट्रपति एकमात्र निर्णायक होंगे तथा उसका सबूत इस आशय की अधिसूचना होगी) राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की सहमति से, उक्त अवधि के दौरान समय—समय पर, एवं सभी समय पट्टाधारी/पट्टाधारीगण की लिखित रूप में अनुमति सूचना द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार प्राप्त होगा तथा इस लीज के अधीन उक्त भूमि अथवा प्रचालन पर या के संबंध में पट्टाधारी/पट्टाधारीगण के कार्यों, प्लांट मशीनरी तथा परिसरों का तुरंत कब्जा ले लेगी तथा ऐसे कब्जा और नियंत्रण के दौरान केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा या की ओर से ऐसे कार्यों, प्लांट, परिसरों तथा खनिजों के उपयोग अथवा नियोजन के संबंध में दिए गए निदेशों के अनुरूप पालन करेंगे बशर्ते कि उचित प्रतिकर जो राज्य सरकार द्वारा करार के व्यतिक्रम में विनिश्चित किया जाएगा, लीजधारी/ लीजधारीगण को, उसको/ उनको इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण अथवा फलस्वरूप हुई सभी हानि या नुकसान के लिए दिया जाएगा और भी कि सभी शक्तियों का प्रयोग एतद् द्वारा दी गई अवधि और इस प्रस्तुतीकरण के निर्बंधनों और शर्तों तथा प्रावधानों को आगे जो इस खंड के प्रावधानों को प्रभावी करने हेतु आवश्यक हो, विनिश्चित नहीं करेगी।

22. **विदेशी राष्ट्रीयों का नियोजन** — पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण, खनन प्रचालन के संबंध में, किसी ऐसे व्यक्ति को, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, नियोजित नहीं करेंगे जो भारतीय न हो।

23. **राज्य सरकार द्वारा उपगत खर्च की वसूली**— यदि कोई कार्य या मामला जो इस निमित्त प्रसंविदा के अनुसार एतत्पूर्व अंतर्विष्ट न हो, पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण द्वारा पालन किए जाने वाले हों तो इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर पालन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार उनका पालन करायेगी और पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण मांग पर सभी खर्च जो उनका पालन करने में उपगत होंगे, का भुगतान राज्य सरकार को करेंगे तथा ऐसे खर्च के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

24. **भूतात्विक डाटा प्रस्तुत करना**— पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण,

(क) खनन प्रचालन के दौरान खनन क्षेत्रों या अभियंत्रण तथा भूजल सर्वे, जैसे — विसंगति नक्शा, सेक्शन, प्लान, संरचना, कंटूर मैप, लौगिंग से संबंधित अपने द्वारा संग्रहित सभी भू—भौतिकी द्वारा राज्य सरकार तथा महानिदेशक भारत के भू—वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग को भेज देंगे।

(ख) खनन प्रचालन के दौरान अपने द्वारा संग्रहित रेडियाधर्मी (रेडियाएक्टिव) खनिजों के अनुसंधान से संलग्न सभी जानकारी सचिव, परमाणु उर्जा विभाग, नई दिल्ली तथा राज्य सरकार को भेज देंगे।

ऊपर निर्देशित द्वारा या जानकारी, खनन लीज अवधि के आरंभ की तिथि से गणना प्रत्येक वर्ष भेजी जाएगी।

25. **विस्फोटकों का भंडारण एवं उपयोग**— किसी विस्फोटक का भंडारण एवं उपयोग केवल तत्समय प्रवृत भारतीय विस्फोटक अधिनियम, मेटालिफेरस माइन्स रेगुलेशन तथा खनन निरीक्षक के विधिपूर्ण निदेशों के अनुसार किया जाएगा। पट्टाधारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होगा कि खान के लिए आशचित किसी विस्फोटक का लीज क्षेत्र के भीतर खनन के सिवाय पट्टा क्षेत्र के भीतर या बाहर चुराने या दुरूपयोग के लिए नही किया जाता है।

26. **सीमा विवाद**— यदि कोई सीमा विवाद अथवा अधिकार या रास्ता के संबंध में विवाद अथवा कोई अन्य विवाद पट्टा में किसी निर्बंधन या शर्त्त के निर्माण से संबंधित जो कुछ भी पट्टाधारी और समान निर्बन्धन के अधीन पहले लीज कृत किसी ब्लॉक के पट्टा अथवा जो पश्चात्वर्त्ती पट्टा की गई हो के बीच उत्पन्न हो तो पट्टाधारी वैसे विवाद को समाहर्त्ता अथवा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के निर्णय के लिए प्रस्तुतत करने हेतु बाध्य होंगे। उक्त अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष संस्थित होगी और इस पर प्रमंडल आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा और पट्टाधारियों पर आबद्धकर होगा।

27. **नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाना**— पट्टाधारी वैसी सभी विधमान विधियों तथा नियमों एवं विनियमों का पालन करेगें जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाय अथवा

सभी ऐसी विधियाँ, नियम तथा विनियम जो, समय–समय पर, खान एवं खनिजों के कार्य तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पट्टाधारी के कर्मचारियों या आमजन के विश्वास को प्रभावित करने वाले अन्य विषय के संबंध में लागू किए जायं। राज्य सरकार से अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी से खान के कार्यों के संबंध में अविधिपूर्ण या अनियमित किसी कार्य से संबंधित किसी नोटिस पर पट्टाधारी, पट्टाधारक या उसके कर्मयारी द्वारा किए गए किसी अविधिमान्य या अविधिपूर्ण कार्य के चलते सभी हानि के लिए राज्य सरकार को प्रतिकर का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

28. पट्टाधारी पट्टा रद्दकरण का दायी होगा यदि पट्टाधारी खान का कार्य या खनन क्रिया सक्षम अधिकारी या समाहर्त्ता की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना लगातार एक वर्ष की अवधि तक रोक देना है :

29. यदि पट्टाधारी पट्टाकृत क्षेत्र के किसी भाग में लगातार छः माह अवधि तक जिसका समाहर्त्ता एक मात्र निर्णायक है, कार्य नही करता है तो समाहर्त्ता को पट्टा समाप्त करने तथा क्षेत्र का दुबारा कब्जा, करने की शक्ति होगी बशर्त्ते कि पट्टाधारी को उसके विरूद्ध कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

30. यदि पट्टाधारी पट्टाकृत क्षेत्र के 10 प्रतिशत् से अधिक भाग पर लगातार 6 माह से अवधि तक, जिसका समाहर्त्ता एक मात्र निर्णायक होगा, कार्य नहीं करता है तो समाहर्त्ता को पट्टा में समाविष्ट क्षेत्र के 75 प्रतिशत् भाग का दुबारा कब्जा करने की शक्ति होगी बशर्त्ते कि पट्टाधारी को उसके विरूद्ध कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और उसके द्वारा कार्य किए गए क्षेत्र को शामिल करते हुए पट्टाधारी के साथ छोड़ा गया क्षेत्र एक कम्पैक्ट ब्लॉक होगा और मूल पट्टा के निर्बंधन, समाहर्त्ता द्वारा दुबारा कब्जा किए जाने की तिथि से उसके अंतिम आदेश के बाद, यथा उपांतरित समझें जाएँगे।

31. यह सुनिश्चित करना पट्टाधारी की जिम्मेवारी होगी कि किसी व्यक्तिगत/ सार्वजनिक/समानुदायिक संपत्ति; कृषि योग्य भूमि/संरचना, यथा–सड़क/मंदिर/ मजिस्द/ गुरूद्धारा/चर्च या किसी अन्य संपत्ति का नुकसान खनन के दौरान न हो, अन्यथा पट्टाधारी को संबंधित को प्रतिकर का भुगतान करना पड़ेगा और उसकी बंदोबस्ती इस आधारों पर रद्द की जा सकती है तथा सभी जमा राशि जब्त की जा सकती है।

32. समाहर्त्ता पट्टाकृत क्षेत्र को रद्दकर सकेगा यदि उक्त क्षेत्र भावी पुरातात्विक स्थल आरक्षित/सुरक्षित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो।

33. सभी खनन प्रचालन लीजधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्यावरणीय निर्बंधन की अधीन दिए गए निर्बंधन और शर्त्तों के अनुसार होंगे।

34. बंदोबस्ती के अधीन कोई खनन प्रचालन पट्टाधारी द्वारा पूरी बंदोबस्ती अवधि के लिए तैयार किए गए अनुमोदित खनन योजना के निर्बंधन और शर्त्तों के अनुसार किया जाएगा।

35. पट्टाधारी को पूरी लीज अवधि के दौरान प्रत्येक कलेन्डर वर्ष विहित दर पर जिला खनिज फाउन्डेशन को भुगतान करना होगा।

36. पट्टाधारी को आयकर और सरचार्ज के रूप में प्रत्येक कलेन्डर वर्ष बंदोबस्ती राशि के 2.06 प्रतिशत् का भुगतान करना होगा।

37. पट्टाधारी का राज्य सरकार विरूद्ध खनिजों की अनुपलब्धता या सीमा विवाद अथवा परिवहन में कारित किसी बाधा के चलते प्रतिकर या नुकसान का कोई दावा नहीं होगा।

38. पट्टाधारी अन्य लीजधारियों को अपने नीलाम क्षेत्र से खनिज के परिवहन की स्वीकृति देगा।

39. पट्टाधारी, पट्टाधारी का नाम, पता, बंदोबस्ती की अवधि तथा स्थानीय प्रबंधक का नाम एवं पता प्रदर्शित करने वाला खनन स्थल पर एक साईन बोर्ड प्रदर्शित करेगा।

40. पट्टाधारी को श्रम अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अधीन खनन क्रिया स्थल पर शेड/आश्रय/पीने का पानी, पालना घर, प्राथमिक चिकित्सा किट इत्यादि का प्रबंध करना होगा।

41. पट्टाधारी समाहर्त्ता द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शर्त्त का जिसे वह लोकहित के संबंध में आवश्यक समझे, पालन करेगा। यदि पट्टाधारी उपरिल्लिखित किसी निर्बंधनों और शर्त्त को भंग करता है तो पट्टाधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सकारण आदेश पारित करके बंदोबस्ती समाप्त कर सकेगा।

42. यदि पट्टाधारी किसी किस्त, जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रीकरण फीस का समय पर भुगतान करने व्यक्तिक्रम करता है तो समाहर्त्ता विहित समय सीमा के भीतर भुगतान करने हेतु उससे अपेक्षा करते हुए तीस दिनों का नोटिस पट्टाधारी को देगा और यदि उस अवधि के भुगतान नही किया जाता है तो समाहत्ता, किसी कार्यवाही, जो पट्टाधारी के विरूद्ध की जाती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बंदोबस्ती समाप्त कर सकेगा और पूरी प्रतिभूति जमा या उसके भाग को जब्त कर सकेगा।

43. पट्टाधारी को किसी डिपहोल ब्लास्टिंग के लिए खनन क्षेत्र में कोई एच0ई0एम0एम0 उपयोग करने के लिए मेटालिफेरॉस माइन्स रेगुलेशन, 1961 के विनियम 106(2)(ख) के अधीन डी0जी0एम0एस0 से

अनुमति लेनी होगी।

44. पट्टाधारी को केवल मुख्य सड़क से, पी0एम0जी0 एस0 वाई सड़क से नहीं, खनिज से लदे वाहनों को भेजना होगा।

45. पट्टाधारी की इस नियमावली में विहित समय सीमा के भीतर खान बंदी योजना प्रस्तुत करना होगा।

46. पट्टाधारी को प्रत्येक वर्ष 31वीं दिसम्बर के पूर्व वार्षिक रिपोर्ट, अनुमोदित खान बंदी योजना में यथा परिकल्पित चलाए गए सुरक्षात्मक तथा पुनर्वासित विस्तार को दर्शाते हुए, प्रस्तुत करना होगा।

47. पट्टाधारी नियमावली में विहित प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण लीज अवधि में अपने खर्च पर सीमा पीलरों को बनाए रखेगा।

48. पट्टाधारी जिला दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किसी विस्फोटक का उपयोग एवं भंडारण करेगा। लीजधारी भारतीय विस्फोटक अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किसी विस्फोटक का उपयोग करेगा। विष्फोटकों की आपूर्त्ति समाहर्त्ता द्वारा अनुशंसित फर्मों द्वारा की जाएगी।

49. पट्टाधारी का पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर पड़ी हुई किसी प्रकार की संपत्ति पर कोई दावा नही होगा।

50. पट्टा अवधि पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए वैध होगी। क्षेत्र को हस्तगत करने में विलंब के लिए कोई दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

51. पट्टा विलेख अपेक्षित फीस के भुगतान कर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी। पट्टा विलेख का रजिस्ट्रीकरण न होने की दशा में पट्टा रद्द की जा सकेगी।

भाग–VIII

राज्य सरकार द्वारा की गइ प्रसंविदाएँ

1. **पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण अधिकार को शांतिपूर्वक धारित एवं उसका उपयोग कर सकेगा–** एतद् द्वारा आरक्षित लगानों, करों, स्वामिस्वों का भुगतान तथा इसमें अंतर्विष्ट तथा पट्टाधारी/पट्टाधारीगण की ओर से अनुपालित तथा संपादित की जाने वाली प्रसंविदाओं और करारों का अनुपालन एवं संपादन करते हुए पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण एतद् द्वारा दी गई अवधि के लिए और के दौरान राज्य सरकार से या द्वारा अथवा इसके अधीन अधिकार पूर्वक दावा करने वाला कोई व्यक्ति बिना किसी विधिपूर्व हस्तक्षेप के एतद् द्वारा पट्टाकृत अधिकारों तथा परिसरों को शांतिपूर्वक धारित एवं उपयोग कर सकेगा।

2. **पक्षकारों की भूमि का अर्जन तथा उसका प्रतिकर–** इस अनुसूची के भाग–VII के खंड 4 के प्रावधानों के अनुसार यदि पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण उक्त भूमि के किसी भाग की सतह का कोई अधियोगी किसी नुकसान या क्षति के लिए, जो पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण के प्रस्तावित प्रचालन से उत्पन्न हो, प्रतिकर के भुगतान के लिए देगा तो उक्त अधियोगी राज्य सरकार के आरक्षित अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग की अपनी सहमति देने से इंकार कर देंगे और पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण राज्य सरकार को वह मामला प्रतिवेदित कर देंगे तथा ऑफर किया गया प्रतिकर की राशि उसके पास जमा कर देंगे और यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय ऑफर की गई प्रतिकर की राशि उचित एवं युक्तियुक्त नहीं है अथवा यदि इसका समाधान उस प्रकार नहीं होता है और पट्टाधारी/पट्टाधारीगण के ऐसी और राशि, जो राज्य सरकार उचित एवं युक्तियुक्त विचार करे, उसके पास जमा करनी होगी तब राज्य सरकार उस पट्टाधारी/पट्टाधारीगण को उक्त भूमि पर प्रवेश करने ऐसे प्रचालन, जो इस पट्टा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, करने की स्वीकृति अधियोगी को देने हेतु आदेश करेगी। ऐसा प्रतिकर की राशि के निर्धारण करने में राज्य सरकार भू–अर्जन अधिनियम के सिद्धांतों में मार्गदर्शित होगी।

3. पट्टा **समर्पण करने की स्वतंत्रता–** पट्टाधारी/ पट्टाधारीगण किसी भी समय, यथास्थिति, समाहर्त्ता को लिखित रूप में न्यूनतम छः माह की सूचना की समाप्ति पर बशर्ते कि पट्टाधारी/पट्टाधारीगण ऐसी समाप्ति पर सभी लगानों, करो, स्वामिस्व नुकसान के लिए प्रतिकर तथा अन्य राशि, जो इस प्रस्तुतीकरण के अधीन पट्टाकर्त्ता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का तब बकाया हो, का भुगतान कर देंगे और इस प्रस्तुतीकरण को राज्य सरकार को दे देंगे तब यह पट्टा तथा उक्त अवधि तथा एतद् द्वारा दी गई स्वतंत्र्यॉ, शक्तियाँ और विशेषाधिकार अत्यंतिकरूप से अस्तित्व में नहीं रहेंगे और समाप्त हो जाएगे किन्तु इस प्रस्तुतीकरण में अंतर्विष्ट किसी प्रसंविदा या करार के किसी भंग के संबंध में पट्टाकर्त्ता किसी अधिकर एवं उपचार के प्रतिकूल नहीं होंगे।

4. पट्टाधारी के आवेदन किए जाने पर समाहर्त्ता उसे अपनी पट्टा से, जो जमीन पर खनिजों के समूह के

लिए हो जों उक्त खनिजों की जमा समाप्त या पट्टाकृत इस हद तक हो गई हो कि खनिजों का कार्य रास्ता रहना संभव न हो तो पट्टाधारी निम्नलिखित शर्त्तो के अध्यधीन एक या अधिक खनिजों का समर्पण करने हेतु अनमुति दे सकेगा

(क) समर्पण के लिए आशाचित तिथि से कम से कम छः महीने पूर्व खनिज के ऐसे समर्पण के लिए आवेदन करता है तथा

(ख) यह वचनबंध देता है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे इस खनिज के लिए पश्चात्वर्ती खनन लीज दी गई हो, समर्पण किए गए खनिज के कार्यों में वह कोई बाधा नहीं करेगा।

5. **प्रतिभूति जमा की वापसी—** इस पट्टा की समाप्ति के बाद 12 कलेन्डर माह के भीतर उस तिथि को जिसका चयन राज्य सरकार करे, इस लीज के संबंध में भुगतान की गई प्रतिभूति जमा की राशि और तब राज्य सरकार के पास अधिशेष जमा तथा इस पट्टा में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए जो आवश्यक न हो, पट्टाधारी/पट्टाधारीगण को वापस कर दी जाएगी। प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नहीं होगी।

भाग IX
सामान्य प्रावधान

1. **किसी शर्त का भंश :—** इस भाग के खंड 2 एवं 3 में उल्लिखित से अन्यथा इस पट्टा की किसी शर्त के भंग होने की दशा में, समाहर्त्ता पट्टाधारी अथवा उसके अंतरितीयो या समनुदेशितियों से शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो भाग V के खण्ड 2 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक अनिवार्य लगान की राशि से अधिक नही होगी।

2. **निरीक्षण में बाधा डालना—** यदि पट्टाधारी या उसका अंतरिती या समनुदेशिती समाहर्त्ता या समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के प्रवेश या उनके द्वारा निरीक्षण में बाधा डाले या उसकी अनुमति न दे तो ऐसी दशाओं में और अधिक नही होगी भाग III के खंड 1 और भाग VII के खंड 13, 14 तथा 2 में उल्लिखित पट्टा की शर्तों में से किसी एक के भंग किये जाने की दशा में समाहर्त्ता उस लीज को रद्द कर सकेगा और संपूर्ण प्रतिभूति जमा अथवा उसके भाग को जप्त कर सकेगा।

3. **किसी अन्य शर्त का भंग किया जाना—** यदि पट्टाधारी या उसका अंतरिती, समनुदेशिती भाग III के खंड–3 तथा भाग VII के खंड 2, 3, 6, 10, 23 में विनिर्दिष्ट किसी शर्त को भंग करता है तब और किसी ऐसे मामले में समाहर्त्ता यथास्थिति, पट्टाधारी या उसके अंतरिती या समनुदेशिती को नोटिस की तिथि 30 दिनों के भीतर भंग के उपचार के लिए उनको आदेश देते हुए लिखित नोटिस देंगे और यदि भंग का उपचार इस अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो समाहर्त्ता पट्टा समाप्त कर सकेगा परन्तु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात से समाहर्त्ता, पट्टाधारी या उसके अंतरिती या समनुदेशिती समाहर्त्ता के विरूद्ध ऐसा कोई अन्य अधिकार या उपचार को लागू करने से विवर्जित न होगा जो समाहर्त्ता, इसमें अंतर्विष्ट किसी अन्य उपबंध के अधीन लागू कर सकता हो।

4. जिस पट्टाधारी को पूर्वोक्त नोटिस दिया गया हो, यदि वह प्रसंविदाओं और करारों को भंग करते तो उस दशा में समाहर्त्ता, नोटिस देने के बदले उतनी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो भाग V के खंड 2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनिवार्य लगान की रकम के चार गुने से अधिक न हो।

5. **दैवी आपत के चलते पट्टा के निबंधनों का पालन न किया जाना—** इस लीज के किसी निर्बंधनों और शर्त्तों को पूरा करने में लीजधारी की ओर विफलता समाहर्त्ता को लीजधारी के विरूद्ध कोई दावा प्रदान नहीं करेगा अथवा इस लीज का भंग नहीं समझा जाएगा, जहाँ तक उक्त समाहर्त्ता द्वारा ऐसी विफलता ''फोर्स मेजर'' से उत्पन्न विचार की जाती और यदि फोर्स मेजर के माध्यम से लीजधारी द्वारा इस लीज के किसी निर्बंधन और शर्त्त को पूरा रकने में विलंब किया जाता है तो विलंब ऐसी अवधि इस लीज द्वारा नियत की गई अवधि में जोड़ दी जाएगी। इस खंड में अभिव्यक्ति ''फोर्स मेजर'' से अभिप्रेत है ईश्वरीय कृत्य, युद्ध, विप्लव, दंगा, सिविल कमोसन, हड़ताल, भूकंप, ज्वार, तुफान ज्वार भाठा बाढ, बिजली गिरना, विस्फोट, अग्नि तथा अन्य हादशा जिसे लीजधारी युक्तियुक्त रोक या नियंत्रित न कर सके।

6. **पट्टाधारी पट्टा की समाप्ति पर अपनी संपत्ति हटा सकेगा—** पट्टाधारी पहले इस प्रस्तुतीकरण के कारण भुगतेय लगन तथा रॉयलिटी का भुगतान एवं उन्मोचित कर उक्त अवधि की समाप्ति या

पर्यवसान पर अथवा उसके बाद छह कलेन्डर माह के भीतर अपने स्वयं के लाभ के लिए सभी या किसी मशीनरी, प्लांट, भवन तथा अन्य कार्य, संरचना, प्रसुविधाओं को, जो लीजधारी द्वारा उक्त भूमि पर खड़ा किए गए, लगाये गये या रखे गये हो, और जिसे लीजधारी इस अनुसूचि इस अनुसूची के भाग VII के खंड 18 के अधीन समाहर्त्ता को परिदत्त करने हेतु वचनबंध न हो/ हों और जिन्हें समाहर्त्ता क्रय करने की इच्छा न रखता हो, हटा सकेगा।

7. **पट्टा समाप्त होने के बाद छः महीने से अधिक समय तक छोड़ दी गई सम्पति का समपहरण–** यदि उक्त अवधि की समाप्ति या पर्यवसान के बाद छः कलेन्डर माह के अंत तक अथवा इस तिथि के बाद, जो इस अनुसूचि के भाग VIII के खंड–4 में अंतर्विष्ट प्रावधान के अधीन उक्त भूमि के लीजधारी द्वारा कोई मशीनरी, प्लांट, भवन, संरचना तथा अन्य कार्य, संरचना एवं प्रसुविधाएँ या अन्य संपत्ति रह जाय तो उसका विक्रय या निपटारा, इस रीति से जिसे समाहर्त्ता उचित समझे, बिना किसी प्रतिकर के भुगतान अथवा उसके संबंध में पट्टाधारी के किसी हिसा के दायित्व के, किया जा सकेगा।

8. **लोक मांग अधिनियम के अधीन वसूली–** इस पट्टा अथवा किसी विधि के किसी प्रावधान द्वारा प्राधिकृत वसूली की किसी अन्य रीति के प्रतिकूल के बिना, पट्टाधारी के विरूद्ध इसके अधीन बकाया सभी राशि बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम अथवा प्रवृत किसी कानूनी अधिनियम या नियमावली के अधीन लोक मांग के रूप में वसूल की जा सकेंगी।

9. **स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रत्याशित स्वामिस्व–** स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रत्याशित स्वामिस्व .... रूपये है।

10. **प्रबंध ऐजेटों का उत्तरदायित्वः–** पट्टाधारी के प्रबंध ऐजेटों पट्टाधारी के समान ही उत्तरदायी और दायित्व के अधीन होगा।

11. **सूचना की तामिला–** पट्टाधारी को इस प्रस्तुतीकरण द्वारा दिए जाने हेतु अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में उक्त भूमि पर निवास करने वाले उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसे पट्टाधारी ऐसी सूचनाएँ प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त करे और ऐसी सूचना इस पट्टा में अभिलिखित पता पर अथवा भारत में ऐसे अन्य पता पर, जिसे पट्टाधारी, समय–समय पर लिखित रूप में समाहर्त्ता अथवा इस निमित्त समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी को नोटिस की प्राप्ति के लिए नामित करे, लीजधारी को संबोधित पता पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दी जाएगी और प्रत्येक ऐसी तामीला इस पट्टाधारी पर उचित एवं वैध तामीला मानी जाएगी उसके द्वारा वह प्रश्नगत अथवा आक्षेपित नहीं की जाएगी। साक्ष्य के रूप में जहाँ यह प्रस्तुतीकरण उसके अधीन पूर्व लिखित दिन, माह तथा वर्ष दी गई रीति से निष्पादित की गई है।

12. स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ डिमाइज्टु भूमि से प्रत्याशित रॉयलिटी प्रतिवर्ष .... रूपये है। इसके साक्ष्य में पहले उपर लिखी गई तारीख को यह विलेख इसके अधीन वर्णित रीति से निष्पादित किया गया ।

1 .... की उपस्थिति में बिहार के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से .... द्वारा हस्ताक्षरित

2. .... की उपस्थिति में पट्टाधारी/पट्टाधारियों के लिए उनकी ओर से .... द्वारा हस्ताक्षरित

1.

2.

प्रपत्र–ग

[नियम 34(1) देंखे]

खनन क्रिया परमिट के आवेदन का प्रारूप।

संख्या................, दिनांक–

सेवा में,

सक्षम पदाधिकारी,

....

महाशय,

मैं/हमलोगों का निवेदन है कि बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अधीन खनन क्रिया परमिट मुझे/हमलोगों को दिया जाय। आवेदन के संबंध में 5000/– रूपये फीस की राशि जमा कर दी गई है (चालान की प्रति संलग्न है।)।

निम्नलिखित विशिष्टियाँ संलग्न की गई हैं :–

(i) खनन बकाया भुगतान के अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है,

(ii) उन रैयतों की लिखित सहमति जिनसे खनिज निकाला जाना है यदि भूमि जिससे लघु खनिज जाना है रैयती भूमि हो;

(iii) खनिज जिसे अवेदक का खदान क्रिया करने का आशय हो;

(iv) उस भूमि का ब्यौरा जिससे खनिज खोदकर निकाला जाएगा।

मैं/हमलोग एतद्द्वारा घोषणा करते है कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही है और आपके द्वारा यथापेक्षित कोई अन्य ब्यौरा पेश करने के लिए मैं/हमलोग तैयार है। मैं/हमलोग एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि इस नियमावली में यथा इंगित निर्बंधनों और शर्त्तों का तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शर्त्त का पालन करूँगा/करेंगे।

आपका विश्वासभाजन

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर
तथा पदनाम।

प्रपत्र–घ

[नियम 33(1) देंखे]

बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अधीन लघु खनिजों के लिए निर्गत किया जाने वाले परमिट का प्रारूप।

परमिट संख्या–..

परमिट धारक का नाम एवं पता–

परिक्षेत्र का नाम, ग्राम प्लॉट संख्या आदि	परमिट समाप्ति की तिथि	लघु खनिजों के नाम एवं विवरण	प्रयोजन जिसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा।	खनिजों के संख्या एवं मात्रा	रॉयलिटी की दर	कुल संदत्त राशि
1	2	3	4	5	6	7

मुहर

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परमिट नीचे लिखे निर्बंधनों और शर्त्तों के अध्यधीन निर्गत किया जाता है :–

(1) खनिजों को विहित समय–सीमा के भीतर हटाना होगा।

(2) खदान क्रिया सतह से 03 मीटर गहराई अधिक स्वीकार नहीं है।

(3) परमिट द्वारा आच्छाति भूमि के नुकसान के लिए प्रतिकर, यदि कोई हो, देना होगा।

(4) क्षेत्र जिसकी अधिकारिता में पड़ता हो उस सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व सहमति के बिना पेड़ों को गिराना स्वीकार्य नहीं है।

(5) सतह प्रचालन किसी सार्वजनिक निषिद्ध तथा प्रतिबंधित स्थानों पर नहीं किया जाएगा।

(6) प्रत्येक प्रकार की दुर्घटना, तुरंत सक्षम आयुक्त को रिपोर्ट की जाएगी।

(7) तीसरे पक्षों के दावों की क्षतिपूर्त्ति के लिए पक्षकार दायी होगा।

(8) परमिट के रद्दकरण के बाद बचे खनिज सरकार जप्त हो जाएगी और वह सरकारी संपत्ति मानी जाएगी।

(9) इस परमिट से अधिक खनिजों की कोई अधिक मात्रा को पूर्व परमिट के बिना हटाया नहीं जाएगा अन्यथा परमिट धारक बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा।

(10) निकाले और हटाने के लिए समुचित लेखा विहित प्रारूप में संधारित किया जाएगा और मासिक रिटर्न निकालना जिस माह से संबंधित हो इसके बाद वाले माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(11) क्षेत्र से प्रेषित या विक्रय किए गए खनिजों के लिए विहित प्रारूप में ई0चालन निर्गत करना होगा।

नोटः– उपरोक्त किसी शर्त्त का भंग परमिट के रद्दकरण, निकाले गए खनिजों की जप्ती तथा ऐसी अन्य कार्रवाई जो आवश्यक समझी जाय, का दायी होगा।

प्रपत्र–ड.

[नियम 37(1),(2) और (3) देंखे]

नाले के जल निकास/नहर/नदी के अनुरक्षण की प्रक्रिया के दौरान निकाले गए अथवा भवन/संरचना के निर्माण मरम्मती या ध्वंस के दौरान उत्पादित अथवा बाढ़ के चलते जमा/उत्पादन क्रियाकलापों के माध्यम से बिखरे हुए खनिज के निपटान के लिए खनिज निपटान परमिट देने हेतु आवेदन पत्र।

सेवा में,

जिला खनन अधिकारी,
खान एवं भूतत्व विभाग,
....

महाशय,

अधोहस्ताक्षरी को नाले के जल निकास/नहर/नदी के अनुरक्षण प्रक्रिया के दौरान अथवा भवन/सरंचना के निर्माण या मरम्मती या ध्वंस की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अथवा बाढ़क के चलते जमा/................. .... (स्थल की अवस्थिति) पर उत्पादन क्रिया–कलापों के माध्यम से बिखरे लघु खनिजों को हटाना और परिवहन करना है। अनुमोदित स्थल योजना की प्रति संलगन है। खुदाई /मरम्मती/ध्वंस खनिज यथा................. की प्रक्रिया में उपर्युक्त विकासशील क्रिया कलापों के आनुषंगिक खनिजों को भी निकालना है। उसे स्थल पर उपभोग करने अथवा निपटाने की आवश्यकता है जिसके लए अनुमति की याचना है।

2. उस क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिए अनुमति की मांग की गई है निम्नवत् दिया जाता है–

(क) क्षेत्र की अवस्थिति;

(ख) प्रयोजन;

(ग) कुल क्षेत्र/बना क्षेत्र;

(घ) लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई देते हुए खुदाई के लिए अपेक्षित क्षेत्र का विस्तार;

(ड०) हटाए जाने वाले खनिजों की मात्रा एवं विशिष्टियॉ;

(च) भुगतेय अग्रिम रॉयलिटी।

3. आवेदक आगे अधिकथित करता है कि–

(i) इस नियमावली के अधीन विहित दरों पर रॉयलिटी फाउन्डेशन/बेसमेंट की खुदानई के आनुषंगिक उत्खनित/संरचना के ध्वंस/ नाला/नहर नदी के अनुरक्षण/बाढ़ के चलते जमा खनिजों पर अग्रिम भुगतान की जाएगी।

(ii) वाणिज्यिक खनन के लिए उक्त स्थल से खनिजों खोदकर निकालने के लिए खुदाई का आशय नहीं है किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित फाउन्डेशन या बेसमेन्ट के लिए संरचना के ध्वंस या विकासशील क्रियाकलापों के लिए खुदाई की आशय है।

(iii) खोदकर निकाले गए आनुषंगी खनिजों का निपटान केवल सक्षम अधिकारी/ जिला खनन अधिकारी द्वारा यथा आपूर्त्ति वैध ई0चालान /परिवहन पास के निर्गमन पर होगा।

दिनांक–

अनुलग्नक–यथोक्त

आवेदक का नाम एवं पता

(i) भू–स्वामित्व का सबूत।

(ii) विकासशील क्रियाकलाप या भवन निर्माण/ध्वंस आदि का जिम्मा लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/मंजूरी की प्रति के साथ स्थल योजना।

प्रपत्र–च

[नियम 37(1),(2) और (3) देंखे]
खनिज निपटान परमिट देने के लिए प्रारूप।

खनिज निपटान परमिट संख्या–................., स्थान.................................., दिनांक–........,

चूँकि श्री .... (नाम एवं पदनाम)..................................(लघु खनिजों के नाम), ग्राम...................................., अंचल.., जिला.. के खेसरा................... .... से .... घनमीटर/टन/घनफीट का निपटान के लिए बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 37 के अधीन आवेदन किया है और .... रूपये की आवेदन फीस की राशि तथा .... रूपये की राशि अग्रिम रॉयलिटी जमा कर दी है।

2. (ग्राम).., अंचल....................................., जिला–................................. में इससे उपाबद्ध योजना में इंगित क्षेत्र से नाले /नहर/नदी के जल–निकास के अनुरक्षण के दौरान अथवा भवन/संरचना के निर्माण या मरम्मती/ध्वंस की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अथवा बाढ़ के कारण जमा/उत्पादन क्रिया कलापों के माध्यम बिखरे खनिजो .... को खोदकर निकालने, संग्रह करने, हटाने तथा परिवहन की अनुमति एतद् द्वारा दी जाती है।

3. खनिज निपटान परमिट .... (अवधि) से .... तक वैध होगा।

4. खनिज निपटान परमिट निम्नलिखित शर्त्तों द्वारा शासित होगा, यथा–

(क) परमिट धारक क्षेत्र से हटाए गए और परिवहन किए गए खनिजों का पूर्ण एवं सही लेखा संधारित करेगा।

(ख) परमिट धारक उपनिदेशक/खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक अथवा समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को स्थल निरीक्षक तथा लेखा–सत्यापन करने की स्वीकृति देगा।

(ग) 30 दिनों अथवा पूर्ण समयावधि के भीतर जैसे ही अनुज्ञा प्राप्त मात्रा का परिवहन कर दिया जाय वैसे ही संबंधित विभाग द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित जमा हुई मात्रा का पूर्ण विवरण मंजूर करने वाले प्राधिकारी को भेज देगा।

(घ) परमिट धारक उस क्षेत्र से /खनिजों के उत्खनन अथवा हटाए जाने के लिए लागू अधिनियम तथा नियमावली के अधीन सक्षम प्राधिकारी से सभी अनुमति/ सहमति प्राप्त कर लेगा।

(ड०) परमिट धारक प्रत्येक माह के 15वीं तिथि तक विहित प्रपत्र में एक रिटर्न जिला खनन अधिकारी/समाहर्त्ता को समर्पित करेगा।

(च) कोई अन्य शर्त्त, जिसे मंजूर करने वाला प्राधिकारी उचित समझें।

अनुलग्नक– परमिट के अधीन दिए गए
क्षेत्र को दर्शाने वाली योजना।

कार्यालय मुहर के साथ सक्षम
प्राधिकारी का हस्ताक्षर।

प्रपत्र–छ

[नियम 41 देंखे]

खनिज परिवहन पास/ई0चालान

खान एवं विभाग,

बिहार सरकार

चालान /पास संख्या–..................................

1. वर्ष–
2. घाट/खदान की अवस्थिति–
3. घाट/खदान की जी0पी0एस0 समन्वय–
4. घाट स्वामी/बंदोबस्तीधारक का नाम–
5. बंदोबस्तीधारक की मोबाईल संख्या–
6. बंदोबस्तीधारक का पूर्ण पता–
7. लीज समाप्ति की तिथि–
8. इस चालान निर्गमन की तिथि तथा समय–
9. यह चालान .... तक वैध है–
10. ग्राहक का नाम–
11. ग्राहक की मोबाईल संख्या–
12. खनिज का नाम–
13. खनिज का भार (मेट्रिक टन में)–
14. खनिज की मात्रा (घनफीट में)–
15. पिट हेड पर वसूली गई राशि–
16. वाहन संख्या–
17. वाहन का प्रकार–
18. चालक का नाम–
19. चालक की मोबाइल संख्या–
20. गंतव्य स्थल–

नोट :– आवश्यकतानसुार इलेक्ट्रोनिक सिस्टम से विहित प्रपत्र में अतिरिक्त प्रविष्टियाँ दर्ज की जाएंगी।

प्रपत्र–ज

[नियम 46(1) देंखे]

(लीजधारी/परमिट धारक द्वारा संधारित किया जानेवाला रजिस्टर)

1. लीजधारी/परमिट धारक का नाम और पता–...
....

2. खदान लीज/परमिट का ब्यौरा– ....

3. क्षेत्र– ....

4. खनिज– ....

5. खदान स्थल की अवस्थिति–..

क्र0 सं0	तिथि	ओपेनिंग बैलेस	खोदकर निकाली गई मात्रा	कुल	उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें विक्रय या प्रेषित किया जाएगा	निर्गत प्रेषित की गई कुल मात्रा	विक्रय या प्रेषित की गई कुल मात्रा	दिन की बंदी पर स्टॉक की मात्रा	रॉयलिटी की राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र–झ

मासिक रिटर्न

नियम 46(2) देंखे,

(पूर्ववर्त्ती माह के संबंध में प्रत्येक माह की 15 वीं तिथि के पूर्व समर्पित किया जाएगा)

(1) माह का रिटर्न–.. (माह तथा वर्ष का नाम)

(2) पता के साथ लीजधारी का नाम–..

(3) खनन लीज का ब्यौरा– ....

(क) मंजूरी आदेश संख्या एवं तिथि–..

(ख) लीज निष्पादन की तिथि– ....

(ग) खनन लीज की अवस्थिति–..

(घ) खनन लीज का क्षेत्र– ....

(ड०) खनन लीज की अवधि–..

(4) लघु खनिज का नाम–...

(5) माह के प्रथम दिन पर आरंभ स्टॉक–...

(6) उत्पादित मात्रा–..

(7) उपयोग की गई मात्रा–...

(8) माह के अंत में बंदी स्टॉक–...

(9) पीट माउथ वाल्व– ....

(10) खनन कार्य दिवस की संख्या–...

(11) खान में कार्य रूकावट दिवसों की संख्या ऐसे रूकावट के कारण इंगित करें–.. ....

(12) किए गए कार्य मैनडेज की संख्या–...

(13) औसत दैनिक नियोजन–...

(14) लगाए गई मशीनरी एवं उपकरणों का ब्यौरा–...

(15) मात्रा के साथ उपयोग किए गए विस्फोटकों का ब्यौरा– ....

अभ्युक्ति –

दिनांक–

स्थान–

लीजधारी अथवा उसके प्राधिकृत ऐजेंट या प्रबंधक

का मुहर के साथ हस्ताक्षर।

प्रपत्र—ञ

वार्षिक रिटर्न

[नियम 46(3) देंखे]

(पूर्ववर्त्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 30वीं अप्रैल तक समर्पित किया जाएगा)

1. वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न—...
(01लीं अप्रील 20... से 31वीं मार्च 20....... तथा वर्ष का नाम)

2. लीजधारी का पता के साथ नाम—..

3. खनन लीज का ब्यौरा— ....

(क) मंजूरी आदेश संख्या एवं तिथि—...

(ख) लीज निष्पादन की तिथि— ....

(ग) खनन लीज की अवस्थिति—..

(घ) खनन लीज का क्षेत्र— ....

(ड०) खनन लीज की अवधि—...

4. लघु खनिज का नाम—..

5. माह के प्रथम दिन पर आरंभ स्टॉक—...

6. वर्ष के दौरान उत्पादित मात्रा—...

7. (क) वर्ष के दौरान उपयोग की गई मात्रा—...

(ख) वर्ष के दौरान प्रेषित की गई मात्रा—..

8. वर्ष के अंत में बंद स्टॉक—..

9. औसत पीट्स माउथ मूल्य (रूपये में)—..

10. संदत्त रॉयलिटी (रूपये में)/किस्त की राशि—..

(क) चालू वर्ष के लिए—..

(ख) पहले का बकाया मद—...

11. संदत्त मृत लगान (रूपये में)—...

(क) चालू वर्ष के लिए—...

(ख) पहले का बकाया दर—...

12. वर्ष के दौरान खान कार्य दिवसों की संख्या—...

13. वर्ष के दौरान कार्यरोक दिवसों की संख्या

ऐसे रोक के कारण सहित —..

14. कार्य किए गए मैनडेज की संख्या—...

15. औसत दैनिक नियोजन—..

16. दुर्घटना, यदि कोई हो —...

17. लगाए गई मशीनरी तथा उपकरणों का ब्यौरा—...

18. उपयोग की गई मात्रा के साथ विस्फोटको का ब्यौरा— ....

अभ्युक्ति —
दिनांक—
स्थान—

लीजधारी अथवा उसके प्राधिकृत ऐजेंट
या प्रबंधक का मुहर के साथ हस्ताक्षर।

अनुज्ञप्ति हेतु प्रपत्र–ट

[नियम 39(1) देंखे]

मेसर्स /श्री/श्रीमति.. को .... (स्थान का नाम) ...., थाना–......................................., जिला–..................... पर लघु खनिजों स्टॉक करने हेतु व्यक्ति होना अनुमोदित किया जाता है और वे बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के प्रावधानों का पालन करेंगे।

सक्षम पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र–ठ

अपील के लिए फारम

[नियम 67(3) देंखे]

1. व्यक्ति/व्यक्तियों/फर्म अथवा कंपनी का नाम और पता–...
2. आदेश की संख्या एवं तिथि जिसके विरूद्ध
   अपील की गई हो। सत्यापित प्रति संलग्न करनी है..
3. प्राधिकार का पदनाम जिसने आदेश पारित किया गया हो–...
4. (i) नियम 67 के उपनियम (1)/(2) के निर्बंधनों के अनुसार आदेश के संसूचन की तिथि से 60 दिनों के भीतर क्या अपील दाखिल की गई है–..
   (ii) यदि नही तो उसका कारण–...
5. खनिज या खनिजों के नाम जिनके लिए अपील की गई हो–...
   ....
6. क्षेत्र का ब्यौरा जिसके संबंध में अपील की गई
   हो (उसका प्लान संलग्न करना है)–...
   (क) ग्राम/स्थान–..
   (ख) पोस्ट ऑफिस/थाना–..
   (ग) पिन कोड–..
   (घ) प्रखण्ड/अनुमंडल/जिला–...
7. अपील के आधार– (क) ....
   (ख) ....
   (ग) ....
8. अभियोजित पक्षकार/पक्षकारों के नाम एवं पता।
   उसे/उन्हें अभियोजित किएजाने का कारण उल्लिखित करना है–..
   ....
   ....

दिनांक–

स्थान–

आपका विश्वासभाजन

आवेदक का हस्ताक्षर।